



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील सं 34/2025

श्री सौरभ पिता स्व श्री ए.एल.मोदी उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी मकान सं ए/21 सूर्या रेजीडेंसी जुनवानी रोड,
कोहका, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़।

---अपीलार्थी

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार, रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, ए-1 ब्लॉक, दूसरी मंजिल, पुजारी चैंबर्स, पचपेड़ी
नाका, रायपुर, छत्तीसगढ़- 492001, इसके सहायक निदेशक के द्वारा

---- उत्तरवादी

विविध अपील सं 35/2025

श्रीमती शांति देवी चौरसिया पति लेफ्टिनेंट श्री ओ.एन. चौरसिया, उम्र लगभग 78 वर्ष, निवासी मकान नंबर
ए/22, सूर्या रेजीडेंसी, जुनवानी रोड, कोहका, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़।

---अपीलार्थी

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार इसके सहायक निदेशक के द्वारा, रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, ए-1 ब्लॉक,
दूसरी मंजिल, पुजारी चैंबर्स, पचपेड़ी नाका, रायपुर, छत्तीसगढ़।- 492001,

---- उत्तरवादी

विविध अपील सं 37/2025

श्री अनुराग चौरसिया पिता श्री तारकेश्वर प्रसाद चौरसिया उम्र लगभग 47 वर्ष निवासी मकान नंबर 02
विद्यापति नगर, महावीर रोड, क्वार्टर नंबर 30 के सामने, पी.ओ. बारीडीह, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
झारखंड- 831017

---अपीलार्थी

बनाम



प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार इसके सहायक निदेशक के द्वारा, रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ए-1 ब्लॉक, दूसरी मंजिल, पुजारी चैंबर्स, पचपेडी नाका, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001,

----- उत्तरवादी

विविध अपील सं 41/2025

मेसर्स इंदरमानी मिनरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसका पंजीकृत कार्यालय 711, मुंगेली रोड, कैलाश डल्ल मिल, कुडुदंड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495001 निर्देशक-प्रकाश चंद अग्रवाल के द्वारा, पिता स्वर्गीय एस। मोहन लाल, आयु लगभग 57 वर्ष, आवास संख्या 711, मुंगेली रोड, कैलाश दल मिल, कुडुदंड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495001।

---अपीलार्थी

बनाम

1 - भारत सरकार का प्रवर्तन निदेशालय, सहायक निदेशक के द्वारा, क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरी मंजिल, ए-1 ब्लॉक, पुजारी चैंबर्स, पचपेडी नाका, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 - उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरी मंजिल, ए-1 ब्लॉक, पुजारी चैंबर्स, पचपेडी नाका, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। 3 - धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002, नई दिल्ली के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, पंजीयक के माध्यम से, कमरा संख्या 26, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

---उत्तरवादी

विविध अपील सं 44/2025

केजेएसएल कोल तथा पावर प्राइवेट लिमिटेड का कॉर्पोरेट कार्यालय सी-1, पहली मंजिल, ऐश्वर्या चैंबर, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर छत्तीसगढ़-492001 संचालक के माध्यम से - अजय कुमार साहू पिता नारायण प्रसाद साहू उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी मुक्ति धाम रोड सूर्या विहार, यदुनंदन नगर, तिफरा- बिलासपुर जिला- बिलासपुर (सी. जी.)

---अपीलार्थी

बनाम

1 - भारत सरकार के प्रवर्तन निदेशालय, -सहायक निदेशक के द्वारा, क्षेत्रीय कार्यालय दूसरी मंजिल, ए-1 ब्लॉक पुजारी चैंबर्स, पचपेडी नाका रायपुर, जिलारायपुर (छत्तीसगढ़)



2 - उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरी मंजिल ए-1 ब्लॉक, पुजारी चैंबर्स पचपेड़ी नाका रायपुर, जिलारायपुर (छत्तीसगढ़)

3 - न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत। 2002, नई दिल्लीपंजीयक के द्वारा, कमरा संख्या 26, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

---उत्तरवादी

विविध अपील सं 48/2025

दिव्या तिवारी पति सूर्यकांत तिवारी 45 वर्ष निवासी आई-34 अनुपम नगर रायपुर, छत्तीसगढ़

---अपीलार्थी

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय सहायक निदेशक के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

---- उत्तरवादी

विविध अपील सं 49/2025

कैलाश तिवारी, पति स्वर्गीय श्री शशिभूषण तिवारी, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी आई-34 अनुपम नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।

---अपीलार्थी

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय सहायक निदेशक के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

---- उत्तरवादी

विविध अपील सं 50/2025

रजनीकांत तिवारी पिता लेफ्टिनेंट श्री शशिभूषण तिवारी 54 वर्ष निवासी म.सं 125, रायपुर नाका महासमुंद, छत्तीसगढ़ वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है

---अपीलार्थी

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय सहायक निदेशक के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर



----- उत्तरवादी

विविध अपील सं 51/2025

सूर्यकांत तिवारी पिता लेफ्टिनेंट शशिभूषण तिवारी 51 वर्ष निवासी आई-34 अनुपम नगर रायपुर, छत्तीसगढ़
.वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

----अपीलार्थी

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय सहायक निदेशक के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

--- उत्तरवादी

विविध अपील सं 80/2025

समीर विश्‍नोई पिता स्वर्गीय श्री. वी. निवासी. विश्‍नोई 42 वर्ष निवासी डी-2/29, ऑफिसर्स कॉलोनी,
देवेन्द्र नगर, रायपुर (सी. जी.)

----अपीलार्थी

बनाम

उप निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार, ए-1 ब्लॉक, पुजारी चैंबर्स, पचपेड़ी नाका, रायपुर (सी. जी.)

----- उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु :--श्री हर्षवर्धन परगनिहा, अधिवक्ता {एमए नं.34/2025, 35/2025 तथा
37/2025},श्री निखिल वाष्‍णोय (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), सुश्री पलक द्विवेदी तथा श्री सजल
कुमार गुप्‍ता, अधिवक्ता (एम. ए. सं. 41/2025 तथा 44/2025),श्री शशांक मिश्रा, श्री गगन तिवारी तथा
श्री संजय कुमार यादव, अधिवक्ता (एमए सं 48/2025,49/2025,50/2025 तथा 51/2025) श्री
अभुदय त्रिपाठी, अधिवक्ता (एमए सं. 80/2025)

उत्तरवादी हेतु : डॉ. सौरभ कुमार पांडे, विशेष लोक अभियोजक



सुनवाई दिनांक :02/07/2025

निर्णय दिनांक :23/07/2025

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री बिभू दत्ता गुरु, न्यायाधीश

सी.ए.वी निर्णय

रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश के अनुसार

1. श्री हर्षवर्द्धन परगनिहा {एमए सं 34/2025, 35/2025 और 37/2025}, श्री निखिल वाष्ण्य (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), सुश्री पलक द्विवेदी और श्री सजल कुमार गुप्ता {एमए सं 41/2025, 44/2025 और 48/2025}, श्री शशांक मिश्रा, श्री गगन तिवारी और श्री संजय कुमार यादव {एमए नंबर 48/2025, 49/2025, 50/2025 और 51/2025} और श्री अभुदय त्रिपाठी {एमए सं 80/2025} संबंधित अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उत्तरवादी /प्रवर्तन निदेशालय (संक्षेप में, ईडी) के विद्वान अधिवक्ता डॉ. सौरभ कुमार पांडे हेतु भी सुना गया।

2. चूंकि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (संक्षेप में, पीएमएलए) की धारा 42 के तहत दायर ये सभी अपीलें नई दिल्ली स्थित सेफेमा के अंतर्गत माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक सामान्य आदेश से संबंधित हैं, इसलिए इन सभी की एक साथ सुनवाई की गई और इस सामान्य निर्णय द्वारा इनका निराकरण किया जा रहा है।

3. अपीलकर्ता ने एमए संख्या 34/2025 में निम्नलिखित अनुतोष की मांग की गयी है:

“क. वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाए और अपीलकर्ता की ओर से माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की गई अपील के संपूर्ण अभिलेख मंगवाए जाएं, जो एफपीए-पीएमएलए-6158-आरपी-2023 के रूप में पंजीकृत है;

ख. एफपीए-पीएमएलए-6158-आरपी-2023 में दिनांक 05.12.2024 के आक्षेपित अंतिम आदेश को अपास्त करने का आदेश पारित किया जाए, जिसके द्वारा माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया है और परिणामस्वरूप प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर ओ.सी. संख्या 1874/2023 में विद्वान न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (पीएमएलए) द्वारा दिनांक 01.06.2023 को पारित आदेश को यथावत रखा गया है;



ग. इस प्रकरण के तथ्यों तथा परिस्थितियों में ऐसे अन्य तथा आगे के आदेश पारित करें जो यह माननीय न्यायालय उचित समझे।"

4. अपीलार्थी ने एम. ए. सं. 35/2025 में निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना की है:

"क. वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाए और अपीलकर्ता की ओर से माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की गई अपील के संपूर्ण अभिलेखों को मंगवाया जाए, जो एफपीए-पीएमएलए-6157-आरपी-2023 के रूप में पंजीकृत है:

ख. एफपीए-पीएमएलए-6157-आरपी-2023 में दिनांक 05.12.2024 के आक्षेपित अंतिम आदेश को अपास्त करने का आदेश पारित किया जाए, जिसके द्वारा माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया है और परिणामस्वरूप प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर ओ.सी. संख्या 1874/2023 में विद्वान न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (पीएमएलए) द्वारा दिनांक 01.06.2023 को पारित आदेश को बरकरार रखा गया है;

ग. इस प्रकरण के तथ्यों तथा परिस्थितियों में ऐसे अन्य तथा आगे के आदेश पारित करें जो यह माननीय न्यायालय उचित समझे।"

5. अपीलार्थी ने एम. ए. सं. 37/2025 में निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना की है:

"क. वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाए;

ख. यह आदेश पारित किया जाए कि माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण (एस. ए. एफ. ई. एम. ए) द्वारा दिनांक 05.12.2024 को एफपीए-पीएमएलए-6159/आरपी/2023 में पारित आक्षेपित आदेश और पीएमएलए के अंतर्गत न्याय निर्णायक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 01.06.2023 को ओ.सी. संख्या 1874/2023 में पारित पुष्टिकरण आदेश के प्रभाव और संचालन को संलग्न अपील के लंबित रहने तक स्थगित रखा जाए;

ग. वर्तमान प्रकरण के आलोक और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले ऐसे आदेश और निर्देश पारित किए जाएं।"

6. अपीलार्थी ने एम. ए. सं. 41/2025 में निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना की है:

"क) कृपया वर्तमान अपील को स्वीकार करें और अपील संख्या एफपीए-पीएमएलए-

6266/आरपी/2023 में माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 05.12.2024 को पारित आदेश और अपीलकर्ता के संबंध में निर्णय प्राधिकारी द्वारा मूल परिवाद संख्या 1874/2023 में दिनांक 01.06.2023 को पारित आदेश को रद्द करें; और/या

ख) माननीय उच्च न्यायालय न्याय के हित में उचित, उपयुक्त और आवश्यक समझे जाने वाले अन्य आदेश एवं निर्देश पारित कर सकता है।"



7. अपीलार्थी ने एम. ए. सं. 44/2025 में निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना की है:

"क) कृपया वर्तमान अपील को स्वीकार करें और अपील संख्या एफपीए-पीएमएलए-6266/आरपी/2023 में माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 05.12.2024 को पारित आदेश और अपीलकर्ता के संबंध में निर्णय प्राधिकारी द्वारा मूल परिवाद संख्या 1874/2023 में दिनांक 01.06/2023 को पारित आदेश को रद्द करें; और/या

ख) ऐसे अन्य आदेश तथा निर्देश पारित करें जो यह माननीय उच्च न्यायालय न्याय के हित हेतु उचित, उपयुक्त तथा आवश्यक समझे।

8. अपीलार्थी ने एम. ए. सं. 48/2025 में निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना की है:

"अतः यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय पीएमएलए के अंतर्गत एफपीए-पीएमएलए संख्या 6228/2023 में दिनांक 05.12.2024 को पारित आक्षेपित आदेश और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 01.06.2023 को ओसी संख्या 1874/2023 दिनांक 05.01.2023 तथा ईसीआईआर/आरपीजेडओ/09/2022 दिनांक 29.09.2022 में पारित आदेश को निरस्त कर दे और न्याय के हित में माननीय न्यायालय द्वारा उचित और आवश्यक समझे जाने वाले अन्य आदेश पारित करे।"

9. अपीलार्थी ने एम. ए. सं. 49/2025 में निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना की है:

"अतः यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय पीएमएलए के अंतर्गत एफपीए-पीएमएलए संख्या 6227/2023 में दिनांक 05 दिसंबर 2024 को अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश तथा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा ओसी संख्या 1874/2023 ईसीआईआर/आरपीजेडओ/09/2022 दिनांक 29.09.2022 और दिनांक 05.01.2023 को पारित आदेश को अपास्त किया जावे तथा न्याय के हित में उचित और आवश्यक समझे जाने वाले अन्य आदेश पारित करे।"

10. अपीलार्थी ने एम. ए. सं. 50/2025 में निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना की है:

" अतः यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय पीएमएलए के अंतर्गत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 05.12.2024 को एफपीए-पीएमएलए संख्या 6315/2023 में पारित आदेश और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 01.06.2023 को ओसी संख्या 1874/2023 दिनांक 05.01.2023 को ईसीआईआर/आरपीजेडओ/09/2022 दिनांक 29.09.2022 में पारित आदेश को अपास्त करने की कृपा करे; और न्याय के हित में माननीय न्यायालय द्वारा उचित और आवश्यक समझे जाने वाले अन्य आदेश पारित करे।"

11. अपीलार्थी ने एम. ए. सं. 51/2025 में निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना की है:



अतः यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय पीएमएलए के अंतर्गत एफपीए-पीएमएलए संख्या 6275/2023 में दिनांक 05 दिसंबर 2024 को अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश तथा ओसी संख्या 1874/2023 दिनांक 05.01.2023 में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2023 को अपास्त करने की कृपा करे; और न्याय के हित में माननीय न्यायालय द्वारा उचित और आवश्यक समझे जाने वाले अन्य आदेश पारित करे।"

12. अपीलार्थी ने एम. ए. सं. 80/2025 में निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना की है:

अतः यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय धन शोधन निवारण अधिनियम, 2005 की धारा 26 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 05/12/2024 को पारित आदेश और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2005 की धारा 6 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01/06/2023 को पारित आदेश को रद्द कर दे तथा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई अपीलकर्ता की संपत्तियों को मुक्त कर दे।"

13. पीएमएलए की धारा 42 के तहत दायर इन अपीलों में दिनांक 05.12.2024 के उस सामान्य अंतिम आदेश (जिसे आगे 'विवादित आदेश' कहा गया है) को चुनौती दी गई है, जो तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेरकर्ता (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में, अपीलीय न्यायाधिकरण) द्वारा नई दिल्ली में पारित किया गया था। (संक्षेप में, एस.ए.एफ.ई.एम.ए)एफ. पी. ए.-पी. एम. एल. ए.-6157/आर. पी. /2023 और अन्य संबंधित अपीलों में, माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ताओं द्वारा दिनांक 01.06.2023 के उस आदेश (संक्षेप में, पुष्टिकरण आदेश) को चुनौती देते हुए दायर की गई अपील को खारिज कर दिया है, जो माननीय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (संक्षेप में, एए) द्वारा मूल परिवाद संख्या 1874/2023 में पारित किया गया था, जिसके द्वारा दिनांक 09.12.2022 के अनंतिम कुर्की आदेश (संक्षेप में, पीएओ) को निरस्त किया गया था। अपीलकर्ताओं की पुष्टि हो गई है।

14. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का संक्षिप्त विवरण यह है कि 12.07.2022 को कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित व्हाइटफील्ड स्थित कडुगोड़ी पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में आईपीसी) की धारा 186, 204, 353 और 120 बी के तहत अपराध के लिए अपराध संख्या 129/2022 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। सूर्यकांत तिवारी, जो छत्तीसगढ़ के रायपुर निवासी हैं, को मुख्य आरोपी बताया गया था। इसके बाद 03.09.2022 को कर्नाटक राज्य पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 384 के तहत अपराध को भी इसमें जोड़ दिया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (संक्षेप में, सीबीडीटी) ने 13.09.2022 को "रेपाइप के जय अम्बे समूह (सूर्यकांत तिवारी समूह) के मामले में ईडी के साथ सूचना साझा करना" शीर्षक से एक कार्यालय ज्ञापन (संक्षेप में, ओएम) जारी किया, जो भोपाल के डीजीआईटी, जांच की रिपोर्ट पर आधारित है। उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, सूर्यकांत तिवारी ने छत्तीसगढ़ राज्य के सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके आईपीसी की धारा 384 और 120 बी के तहत दंडनीय बड़े पैमाने पर अवैध जबरन वसूली का अपराध किया।



सीबीडीटी ने पीएमएलए की धारा 3 के उल्लंघन के लिए मामले की जांच हेतु ईडी को नियुक्त करने की आवश्यकता बताई। एफआईआर और आयकर विभाग को प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, सूर्यकांत तिवारी और उनके सहयोगियों के परिसरों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया। हस्तलिखित डायरियों, कागजों और डिजिटल साक्ष्यों के रूप में विभिन्न प्रमाण एकत्र किए गए जिनसे श्री सूर्यकांत तिवारी और उनके सहयोगियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा संचालित और समन्वित एक गिरोह द्वारा नकद लेनदेन का खुलासा हुआ। यह गिरोह छत्तीसगढ़ राज्य में कोयले की ढुलाई और परिवहन करने वाली विभिन्न संस्थाओं के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा जारी कोयला वितरण आदेश के तहत निर्धारित कानूनी राशि से अधिक अवैध रूप से नकद राशि वसूल रहा था। सूर्यकांत तिवारी और उनके सहयोगियों द्वारा संचालित यह गिरोह राज्य खनन अधिकारियों/जिला अधिकारियों तथा कोयला क्षेत्र में तैनात नेटवर्क एजेंटों की सक्रिय मिलीभगत से खदानों से कोयले के परिवहन पर प्रति टन 25 रुपये की अवैध वसूली में शामिल था। यह सिंडिकेट सुनियोजित साजिश के तहत काम करता था, और गिरोह को अवैध भुगतान मिलने के बाद ही आदेशों की डिलीवरी की जाती थी। सूर्यकांत तिवारी को श्रीमती सौम्या चौरासिया (उप सचिव, सीएमओ (छत्तीसगढ़ प्रशासनिक कार्यालय), समीर विश्‍नोई (भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी) और रजनीकांत तिवारी, रोशन सिंह, निखिल चंद्रकार, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी, हेमंत जायसवाल, जोगिंदर सिंह आदि जैसे सरकारी अधिकारियों का सहयोग प्राप्त था। एकत्रित धन को आरोपियों में बांटा जाना था और यहां तक कि सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं को रिश्वत के रूप में देकर चुनाव खर्चों को पूरा किया जाना था। अन्वेषण में ज्ञात होता है कि धन का एक बड़ा हिस्सा कई स्तरों पर लेन-देन के माध्यम से साफ-सुथरा धन दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया था और संपत्तियों, कोयला कारखानों और अन्य परिसंपत्तियों में निवेश करके इसे मुख्यधारा में लाया गया था।

15. बेंगलुरु के माननीय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट न्यायालय से प्राप्त अनुमति के अनुसार, एफआईआर में आईपीसी की धारा 384 जोड़ी गई थी, लेकिन 8 जून 2023 को आरोपपत्र दाखिल करते समय, यह आईपीसी की धारा 384 के तहत अपराध के लिए नहीं था, और इसलिए केवल आईपीसी की धारा 204 और 353 के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया था। आईसीआईआर 29 सितंबर 2022 को पंजीकृत किया गया था, जब एफआईआर में आईपीसी की धारा 384 का उल्लेख था, हालांकि 8 जून 2023 को बहुत बाद में आरोपपत्र दाखिल करते समय, यह आईपीसी की धारा 384 के तहत अपराध के लिए दाखिल नहीं किया गया था। हालांकि, इसमें यह उल्लेख था कि सूर्यकांत तिवारी और उसका गिरोह छत्तीसगढ़ राज्य में सक्रिय था। अतः, आईपीसी की धारा 384 के तहत अपराध छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस द्वारा लिया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस द्वारा 17.01.2024 को एफआईआर संख्या 03/2024 के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस को हस्तांतरित अपराध के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 ए और 12 तथा आईपीसी की धारा 420/120 बी के तहत सूर्यकांत तिवारी और अन्य के



खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। यह भी एक तथ्य है कि 26.06.2023 को आयकर विभाग द्वारा प्रकट किए गए अपराधों और तथ्यों को एक परिशिष्ट जारी करके ईसीआईआर में शामिल किया गया था।

16. ईडी ने ईसीआईआर में अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत अभियोग परिवाद दर्ज की गयी और आईपीसी की धारा 384 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 09.12.2022 के पीएओ के माध्यम से संपत्तियों को कुर्क करने की कार्यवाही की। अपीलकर्ताओं ने स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया, हालांकि, उनकी संबंधित संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया। पीएओ के बाद, ईडी ने 05.01.2023 को पीएमएलए की धारा 5(5) के तहत माननीय एए के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिसमें सूर्यकांत तिवारी, रजनीकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी, सुनील कुमार अग्रवाल, मेसर्स इंदरमणि मिनरल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (संक्षेप में, आईएमआईपीएल), मेसर्स केजेएसएल कोल एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, समीर विश्नोई, श्रीमती प्रीति गोदारा, मेसर्स श्री प्रीति त्रिमूला एग्रो फार्म, मेसर्स तेजस्वी सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती सौम्या चौरसिया, श्रीमती शांति देवी चौरसिया, अनुराग चौरसिया, सौरभ मोदी और अनिल अग्रवाल के खिलाफ दिनांक 09.12.2022 के पीएओ संख्या 2/2022 की पुष्टि की मांग की गई थी। ईडी ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक पूरक परिवाद भी दायर की, जिसमें कुछ अपीलकर्ताओं को आरोपी बनाया गया था।

17. 12.01.2023 को, एए ने एमपीएलए की धारा 8(1) के तहत अपीलकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए। अपीलकर्ताओं ने उक्त नोटिसों के जवाब दाखिल किए। ईडी ने अपीलकर्ताओं द्वारा दाखिल किए गए जवाब पर प्रतिउत्तर भी दाखिल किया गया। इसके बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने 30.05.2023 को पहली अभियोजन परिवाद और पहली पूरक अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया और उसके बाद, विद्वान एए ने 01.06.2023 के पुष्टिकरण आदेश द्वारा प्रतिवादी/ईडी द्वारा पीएओ संख्या 2/2022, दिनांक 09.12.2022 के माध्यम से अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्तियों की कुर्की की पुष्टि की।

18. विद्वान एए द्वारा पुष्टिकरण आदेश पारित होने के बाद, कर्नाटक पुलिस ने ईसीआईआर और पीएमएलए के तहत परिणामी कार्यवाही का आधार बनने वाली मूल एफआईआर के संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बंगलुरु, ग्रामीण के समक्ष सीआरपीसी की धारा 173 के तहत अपना आरोप पत्र दाखिल किया। हालांकि, धारा 384 आईपीसी, जो मूल एफआईआर में एकमात्र अनुसूचित अपराध था, को आरोप पत्र में शामिल नहीं किया गया था। प्रस्तुत आरोपपत्र के आधार पर, माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 16.06.2023 को आईपीसी की धारा 204 और 353 के तहत अपराधों का संज्ञान लिया गया। ईडी ने पीएमएलए की धारा 8(4) के तहत कब्जे का नोटिस और धन शोधन निवारण (न्यायनिर्णय प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई कुर्क संपत्तियों पर कब्जा लेना) नियम, 2013 के नियम 5(2) के तहत बेदखली नोटिस भी भेजा था, जो कि विषय ओ.सी. में एए द्वारा कुर्क की गई कुछ संपत्तियों के लिए था। पुष्टिकरण आदेश और पुष्टिकरण आदेश के आधार पर जारी किए गए कब्जे के नोटिस से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ताओं ने पीएमएलए



की धारा 26 के तहत माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की, जिसे दिनांक 05.12.2024 के अंतिम आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसे इस अपील के इस समूह में चुनौती देने का प्रयास किया जा रहा है।

19. श्री हर्षवर्धन परगनिया, अपीलकर्ताओं (एमए संख्या 34/2025-सौरभ मोदी, 35/2025-शांति देवी चौरासिया और 37/2025-अनुराग चौरासिया) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने संक्षेप में निम्नलिखित तर्क दिया गया :--

(i) पीएमएलए की धारा 24 के तहत अनुमान के लिए आधारभूत तथ्य स्थापित नहीं किए गए हैं;

(ii) आधारभूत अपराध के अभाव में वर्तमान प्रकरण में कुर्की अवैध है;

iii) ईडी यह साबित करने में विफल रहा है कि पीएओ के तहत कुर्क की गई संपत्तियां पीएमएलए की धारा 2(यू) के तहत परिभाषित अपराध की आय (संक्षेप में, पीओसी) थीं;

(iv) अनंतिम कुर्की आदेशों की पुष्टि जिस तरीके से की गई वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत थी।

20. श्री परघानिया ने प्रस्तुत किया कि पीएमएलए की धारा 24 के तहत अनुमान के लिए आधारभूत तथ्य स्थापित नहीं किए गए हैं। माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि पीएमएलए की धारा 24 के तहत अनुमान के आधार पर ही पुष्टिकरण आदेश द्वारा पीएओ की पुष्टि की गई थी और इस तथ्य का खंडन नहीं किया गया है। हालांकि, धारा 24 के तहत अनुमान तभी लागू किया जा सकता है जब निम्नलिखित मूलभूत पहलू स्थापित हों, अर्थात्:

(i) अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि की गई हो, (ii) प्रश्नगत संपत्ति किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त की गई हो; और (iii) संबंधित व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त संपत्ति से संबंधित किसी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल हो। यदि यह तथ्य स्थापित हो जाता है कि संपत्ति मौजूद थी और संबंधित व्यक्ति उससे संबंधित किसी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल था, तो यह स्वयं ही धन शोधन का अपराध बनता है। वर्तमान प्रकरण में, ईडी द्वारा तीनों मूलभूत तथ्यों में से कोई भी साबित नहीं किया गया है। वास्तव में, न तो अपीलीय आदेश और न ही पुष्टिकरण आदेश में उपरोक्त पहलुओं पर कोई कारण दर्ज किया गया है और पी.ए.ओ. को विद्वान ए.ए. द्वारा केवल पी.एम.एल.ए. की धारा 24 के तहत अनुमान के आधार पर ही पुष्टि की गई थी।

21. श्री परघानिया ने प्रस्तुत किया कि कर्नाटक पुलिस ने 08.06.2023 को कर्नाटक एफआईआर के संबंध में अपना आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें आईपीसी की धारा 384 के तहत अपराध को हटा दिया गया क्योंकि जबर्न वसूली का कथित कृत्य क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर नहीं किया गया था। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद, कर्नाटक पुलिस ने कर्नाटक में दर्ज एफआईआर के संबंध में, माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आईपीसी की केवल धारा 204 और 353 का संज्ञान लेते हुए एक आदेश पारित किया। कर्नाटक



एफआईआर के संबंध में अनुसूचित अपराध का संज्ञान नहीं लिया गया, जो कि ईसीआईआर का आधार है। अनुसूचित अपराध को पुनर्जीवित करने के लिए, प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग करते हुए, 11.01.2024 को पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत छत्तीसगढ़ के ईओडब्ल्यू/एसीबी को एक संदर्भ भेजा गया, जिसके परिणामस्वरूप 17.01.2024 को अपराध संख्या 3/2024 के रूप में एक अलग एफआईआर दर्ज की गई। 17.05.2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित अपराध में कोई सक्रिय जांच न होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए सुनील कुमार अग्रवाल को ईसीआईआर में अंतरिम जमानत प्रदान की। ईओडब्ल्यू एफआईआर के संबंध में आईपीसी की धारा 384 पहली बार ईओडब्ल्यू/एसीबी द्वारा रायपुर स्थित विशेष न्यायालय (पीसी एक्ट) के समक्ष 19.07.2024 को दायर आरोपपत्र में सामने आई।

22. श्री परधानिया ने आगे कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि ईडी ने अपना दायित्व पूरा किया है। यह सर्वविदित है कि अनुमान केवल विधिवत सिद्ध तथ्यों के आधार पर ही लगाया जा सकता है, न कि अन्य अनुमानों, धारणाओं या अटकलों के आधार पर। अपीलकर्ता अनुराग चौरसिया या उनके चचेरे भाई सौम्या चौरसिया द्वारा (मनीष उपाध्याय के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से) नकद राशि की प्राप्ति ठोस साक्ष्यों से निश्चित रूप से सिद्ध नहीं हुई है। ईडी का पूरा मामला अप्रमाणित डायरी प्रविष्टियों पर आधारित है, जिनकी कानून में कोई वैधता नहीं है। इसके अलावा, ईडी ने अपीलकर्ता अनुराग चौरसिया के खिलाफ पीएमएलए की धारा 50 के तहत सह-आरोपियों जैसे मनीष उपाध्याय, लक्ष्मीकांत तिवारी आदि के बयानों पर भरोसा किया है, जबकि यह सर्वविदित है कि विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा पुष्टि किए बिना सह-आरोपियों के बयानों को ठोस साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त, दीपेश टांक और लक्ष्मीकांत तिवारी के बयान उक्त सह-आरोपियों को हिरासत में लिए जाने के बाद (क्रमशः 13.10.2022 और 23.01.2023 को) दर्ज किए गए हैं और इसलिए, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 के अंतर्गत आते हैं।

23. अपीलकर्ता शांति देवी चौरसिया के संबंध में, उन पर धन शोधन का आरोप नहीं है और उन्हें न्यायाधिकरण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 44 के तहत ईडी द्वारा दायर शिकायत में माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है। पीएमएलए के तहत उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है। इसलिए वे पीएमएलए की धारा 8(3)(क) का लाभ पाने की हकदार हैं। पुष्टिकरण आदेश में उनके खिलाफ विवेकाधीन अनुमान लागू करने के लिए ठोस कारणों का भी अभाव है। ईडी ने छत्तीसगढ़ के ठाकुरेंतोला में पीएओ में एक जमीन को अटैच किया है, जो किसी भी तरह से पीओसी नहीं हो सकती है क्योंकि इसे अनुसूचित अपराधों से पहले खरीदा गया था। यह संपत्ति श्रीमती आशामणि मोदी द्वारा 2019 में अधिग्रहित की गई थी, जो 15.07.2020 की अधिसूचना से पहले की है, जिसे कथित तौर पर प्रमाण पत्र जारी करने का आधार माना जाता है।

24. श्री परधानिया ने आगे कहा कि इस मामले में संपत्ति की कुर्की आधार अपराध के अभाव में गलत है। अनुसूचित अपराध के अभाव में पीएओ और उसके बाद ईडी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही अमान्य है। इस संबंध में माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण का तर्क मान्य नहीं है, क्योंकि पीएमएलए के तहत कोई भी



कार्यवाही तभी उचित ठहराई जा सकती है जब अनुसूचित अपराध की शिकायत या तो संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज हो या सक्षम न्यायालय के समक्ष जांच के लिए लंबित हो। वर्तमान मामलों में, कर्नाटक की एफआईआर, जो ईसीआईआर का आधार है, के संबंध में सक्षम न्यायालय में अनुसूचित अपराध के लिए कोई आरोपपत्र/रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बंगलुरु ग्रामीण के न्यायालय ने दिनांक 16.06.2023 के अपने संज्ञान आदेश में कर्नाटक एफआईआर के संबंध में किसी भी अनुसूचित अपराध को शामिल नहीं किया है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 190 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेना मात्र औपचारिकता नहीं है, बल्कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आगे की कार्यवाही करने और अपराध का न्यायिक संज्ञान लेने के लिए सक्रिय रूप से विचार करने का एक कदम है। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री की समीक्षा करने के बाद न तो अनुसूचित अपराध, अर्थात् आईपीसी की धारा 384 का न्यायिक संज्ञान लिया है और न ही इस संबंध में आगे की जांच का निर्देश दिया है। अतः, वर्तमान मामले में कोई अनुसूचित अपराध मौजूद नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईसीआईआर के संबंध में अपने दो अलग-अलग आदेशों (सुनील कुमार अग्रवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय और लक्ष्मीकांत तिवारी बनाम प्रवर्तन निदेशालय) में अनुसूची अपराध के अभाव का संज्ञान लिया है। अंततः, ईसीआईआर के पंजीकरण के बाद ईडी को मूल अपराध को प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, और विशेष रूप से तब जब अभियोजन परिवाद का संज्ञान न्यायिक अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है। ईडी के संदर्भ के बाद ईसीआईआर द्वारा दर्ज की गई एफआईआर, पीएमएलए के तहत शुरू की गई अभियोजन कार्यवाही में अनुसूचित अपराध के अभाव की अंतर्निहित खामी को दूर नहीं करेगी।

25. श्री परधानिया ने आगे कहा कि ईडी यह मानने के लिए कारण बताने में विफल रही है कि पीएओ के माध्यम से कुर्क की गई संपत्तियां पीएमएलए की धारा 2(यू) के तहत परिभाषित पीओसी थीं। अपीलकर्ताओं ने कुर्क की गई संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए ठोस स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए। इसके अलावा, जैसा कि ईडी ने आरोप लगाया है, इनमें से कोई भी संपत्ति नकद लेनदेन के माध्यम से अधिग्रहित नहीं की गई थी। कुर्क की गई संपत्तियों की खरीद के लिए भुगतान उचित और वैध बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया गया था, जिससे पीएमएलए की धारा 8(2) के तहत दायित्व पूरा हो जाता है, जिसे आक्षेपित आदेश में अनदेखा किया गया है। अपीलकर्ताओं ने एए के समक्ष ओसी के जवाब में दाखिल अपने-अपने उत्तरों में धन के स्रोत के संबंध में विस्तृत और तर्कसंगत स्पष्टीकरण दिया है। विवादित आदेश और पुष्टिकरण आदेश में अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को अस्वीकार करने का कोई कारण दर्ज नहीं है। यद्यपि ईडी के पास अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत बैंक विवरणों में दर्ज प्रविष्टियों को सत्यापित करने का अधिकार है, तथापि धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का खंडन या खंडन नहीं किया गया है। अपीलकर्ताओं की ओर से दायर लिखित निवेदनों में उक्त पहलू को माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण के ध्यान में लाया गया था, परन्तु विवादित आदेश में इस पर विचार नहीं किया गया। ईडी, संबंधित संपत्तियों के आपराधिक मूल या स्रोत को स्थापित किए बिना, इस धारणा पर कोई कार्रवाई



नहीं कर सकती कि कुर्क की गई संपत्ति साक्ष्य का आधार है।पीएमएलए की धारा 5 और 8 दोनों के तहत ईडी के लिए यह अनिवार्य है कि वह यह प्रदर्शित करे कि यह मानने के कारण थे कि कुर्क की गई संपत्तियां साक्ष्य का आधार हैं।

26. श्री परधानिया ने आगे यह तर्क दिया कि कर्नाटक एफआईआर और ईडी द्वारा कुर्क की गई अपीलकर्ता की संपत्तियों के बीच ईडी द्वारा दर्ज किए गए कारणों या ईडी द्वारा माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किए गए आदेश पत्र में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि से संपत्तियों की प्राप्ति दर्शाने वाले किसी प्रत्यक्ष संबंध के अभाव में, ईडी को किसी भी संपत्ति को कुर्क करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।आक्षेपित आदेश या पुष्टिकरण आदेश में दिए गए तर्कों को पढ़ने मात्र से भी ऐसा कोई प्रत्यक्ष संबंध सिद्ध नहीं होता है।आक्षेपित आदेश में माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण का तर्क वास्तव में अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किए गए आदेश पत्र और परिवार में लगाए गए आरोपों का पुनरुत्पादन है, जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा दायर किए गए उत्तर में दिए गए स्पष्टीकरण के साथ उनका मिलान नहीं किया गया है।इसके विपरीत, विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण ने विवादित आदेश में कहा है कि कथित कोयला कार्टेल से प्राप्त नकदी बैंक में जमा की गई थी, जिसका उपयोग बाद में बैंकिंग चैनलों के माध्यम से अचल संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया था।हालांकि, न तो पीएओ और न ही विद्वान एए द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में अपीलकर्ताओं के बैंक खातों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा करने का कोई उल्लेख है। ऐसे किसी भी आरोप के अभाव में, विद्वान अपीलीय प्राधिकारी को ईडी को अपने आरोपों में सुधार करने और उन आधारों पर पुष्टिकरण आदेश को बरकरार रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, जिनका उल्लेख कारण बताओ नोटिस में नहीं किया गया था।

27. श्री परधानिया ने आगे कहा है कि जिस तरीके से पीएओ की पुष्टि की गई है, वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज कर दिया कि माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत थी। पीएमएलए की धारा 6(15) स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य करती है कि माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से बाध्य हैं।

28. अपीलकर्ता सौरभ मोदी के संबंध में, पीएओ और ओ.सी. में, ईडी ने सह-आरोपी दीपेश टांक के बैंक खाते में जमा राशि और मनोज कुमार सिन्हा के बयान का उल्लेख किया है।हालांकि, बैंक खाता विवरण और अन्य संबंधित दस्तावेज अपीलकर्ता को उन दस्तावेजों के हिस्से के रूप में उपलब्ध नहीं कराए गए जिन पर भरोसा किया गया है।माननीय एए अपीलकर्ता की संपत्ति को अटैच करने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं कर सकता था जब तक कि उसे संबंधित सामग्री उपलब्ध न कराई गई हो।यह भी सर्वविदित है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को इस बहाने से नजरअंदाज या समाप्त नहीं किया जा सकता है कि उनका पालन करने से कोई परिणाम नहीं निकलता।माननीय ए. ए. द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में यह निष्कर्ष निकालने का कोई ठोस आधार नहीं है कि कुर्क की गई संपत्तियां आय के स्रोत से प्राप्त हुई हैं। यह सर्वविदित विधि है कि



जब भी कोई कानून "विश्वास करने का कारण" प्रदान करता है, तो कारण या तो नोटिस में स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखे गए दस्तावेजों में उपलब्ध होने चाहिए। पीएमएलए की धारा 8(2) के तहत आय के स्रोत को दर्शाने की आवश्यकता तभी उत्पन्न होती है जब पीएमएलए की धारा 8(1) के तहत जारी कारण बताओ नोटिस संपत्ति की कुर्की को उचित ठहराने वाले ठोस कारणों को बताते हुए वैधानिक आवश्यकता को पूरा करता है। वर्तमान मामले में, 12.01.2023 को जारी कारण बताओ नोटिस स्वयं इस संबंध में अपर्याप्त है।

29. अपीलकर्ता शांति देवी चौरसिया के संबंध में, श्री परधानिया द्वारा उपरोक्त के समान ही तर्क प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अनुराग चौरसिया और शांति देवी चौरसिया द्वारा दीपेश टांक, चंद्रशेखर सिन्हा और मनोज कुमार सिन्हा से प्रतिपरीक्षा करने के लिए दायर किए गए आवेदनों को विद्वान ए. ए. ने निराधार आधारों पर खारिज कर दिया था, क्योंकि इससे कोई परिणाम निकलने की संभावना नहीं थी। उनके द्वारा दिए गए साक्ष्यों को गलत साबित करना उनकी बचाव रणनीति का एक आवश्यक हिस्सा था और पीएमएलए की धारा 8(1) के तहत दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक था। इसलिए, उन्हें यह अवसर दिया जाना चाहिए था।

30. अपने तर्क के समर्थन में, श्री परधानिया ने निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भर करते हैं :--

प्रेम प्रकाश बनाम भारत संघ (2024-9 एस. सी. सी. 787) जिसे विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ ((2023) 12 एस. सी. सी. 1) के साथ पढ़ा गया, सरला गुप्ता और एक अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय (सी. आर. ए. सं. 1622/2022, ने 07.05.2025 पर निर्णय लिया, राज्य ए. पी. बनाम वी. वासुदेव राव (2004) 9 एस. सी. सी. 319, सी. बी. आई. बनाम एस. सी. सी. 410, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह (2012) 3 एस. सी. सी. 64, तुला राम बनाम किशोर सिंह (1977) 4 एस. सी. सी. 459, यश टुटेजा बनाम भारत संघ (2024 आई. एन. एस. सी. 301), एस.एल. कपूर बनाम जगमोहन (1980) 4 एस. सी. सी. 379, चिंतापल्ली एजेंसी तालुक अरैक सेल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बनाम सचिव (खाद्य और कृषि) ए. पी. सरकार 4 एस. सी. सी. 337, असलम मोहम्मद मर्चेट बनाम सक्षम प्राधिकरण (2008) 14 एस. सी. सी. 186, कोठारी फिलामेंट्स बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (2009) 2 एस. सी. सी. 193, के. गोविंदराज बनाम भारत संघ (2024 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड) मामले में मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय 3500}, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का निर्णय, सीमा गर्ग बनाम उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय {2020 एस. सी. सी. ऑनलाइनपी एंड एच 738}, दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय, राजीव चन्ना बनाम भारत संघ {2024 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 2535}, जे. सेकर बनाम भारत संघ {2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 6523:(2018) 246 डी. एल. टी. 610}, तथा हरीश फैबियानाई तथा अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय तथा अन्य (2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 3121), रमन भुरारिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 657) तेलंगाना राज्य हेतु उच्च न्यायालय का निर्णय मेसर्स स्मार्टकॉइन फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड बनाम उप निदेशक तथा एक अन्य (आपराधिक



याचिका सं. 2090/2023, दिनांक 06.11.2024) तथा वैनपिक पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम निदेशालय प्रवर्तन (2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन टी. एस. 1793) कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय, आयकर उपायुक्त बनाम सुनील कुमार शर्मा (2024 159 टैक्समैन) मेंकॉम 179 (कर्नाटक)}।

31. अपीलकर्ताओं-आईएमआईपीएल (एमए संख्या 41/2025) और केजेएसएल कोल एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड (संक्षेप में, केएसजेएल) (एमए संख्या 44/2025) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री निखिल वर्शनी ने प्रस्तुत किया कि ये मामले जबरन वसूली गिरोहों के पीड़ितों और अपराधियों के बीच अंतर, संपत्ति और पीओसी के बीच संबंध स्थापित करने के लिए समय संबंधी आवश्यकताओं और आधारभूत अनुसूचित अपराध की अनुपस्थिति में पीएमएलए के तहत संपत्ति की कुर्की के लिए आवश्यक मानकों के संबंध में मौलिक प्रश्न उठाते हैं। संक्षेप में, अपीलार्थी-के. एस. जे. एल. के संबंध में उनके तर्क इस प्रकार हैं:

- (i) आक्षेपित आदेश में अपीलकर्ताओं की कथित भूमिका के संबंध में एक भी आरोप नहीं लगाया गया है;
- (ii) माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण इस बात पर विचार करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता को आरोपी सूर्यकांत तिवारी का बेनामीदार नहीं कहा जा सकता है क्योंकि धन का भुगतान अपीलकर्ता द्वारा उचित बैंकिंग माध्यम से किया गया था और वह सूर्यकांत तिवारी की ओर से संपत्ति धारण नहीं कर रहा है;
- (iii) माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण यह समझने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता वास्तविक क्रेता है और उसने बैंकिंग चैनल के माध्यम से अपने खाते में दर्ज धन का उपयोग करके संपत्तियों की खरीद की है
- (iv) माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण आय के स्रोत को दर्शाने के लिए अपीलकर्ता के लाभ और हानि विवरण को समझने में विफल रहा है और मनमाने ढंग से यह टिप्पणी की है कि अपीलकर्ता धन के स्रोत का खुलासा नहीं कर सकता है;
- (v) माननीय न्यायाधिकरण ने प्रत्येक अपीलकर्ता के तथ्यों पर अलग-अलग विचार किए बिना तर्कहीन आदेश पारित किया है;
- (vi) माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण यह समझने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध उसकी संपत्तियों की कुर्की को उचित ठहराने का कोई कारण नहीं है।
- (vii) माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने पूरी तरह से भिन्न तथ्यों पर आधारित अपीलों में एक ही आदेश पारित करने में गलती की है।

32. उपरोक्त के अतिरिक्त, अपीलकर्ता-आईएमआईपीएल के संबंध में श्री वर्शनी की दलीलें यह हैं कि माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण यह समझने में विफल रहा कि 52 संपत्तियों में से 29 संपत्तियां मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी द्वारा कथित अपराध के घटित होने से पहले अधिग्रहित की गई थीं और इन्हें कुर्क नहीं किया जा सकता क्योंकि ये प्रमाण पत्र (पी. ओ. सी) के अंतर्गत नहीं आती हैं



33. अपीलकर्ता-मेसर्स आईएमआईपीएल के संबंध में, श्री वर्शनी ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता कोयला खनन और कोयला धुलाई व्यवसाय में लगी एक कंपनी है और उन्होंने उस विवादित आदेश को रद्द करने की मांग की है जो 52 संपत्तियों के संबंध में पीएओ की पुष्टि को बरकरार रखता है, जिनमें से 29 संपत्तियां कथित अनुसूचित अपराध के घटित होने से पहले, अर्थात् 15.07.2020 से पहले अधिग्रहित की गई थीं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अन्य संपत्तियाँ (15.07.2020 से पहले अर्जित 29 संपत्तियों के अलावा), अर्थात् अभिकथित अपराध) भी उचित बैंकिंग चैनल के माध्यम से तथा प्रचलित बाजार दरों से अधिक भुगतान किए गए लेखा धन के उपयोग के साथ प्रामाणिक रूप से अर्जित किया गया था। विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण उन तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करने में विफल रहा है जो अपीलार्थी के लिए उपयुक्त हैं तथा उसने तर्कों की सराहना किए बिना यंत्रवत रूप से आदेश पारित किया है। अपीलार्थी का मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी तथा उसके सहयोगियों के विरुद्ध अभिकथित जबरन वसूली के अपराध से कोई संबंध नहीं था। अपीलकर्ता ने 01.05.2022 के बोर्ड संकल्प के माध्यम से अधिक संपत्तियों के अधिग्रहण का संकल्प लिया, क्योंकि अपीलकर्ता नए क्षेत्रों में विस्तार कर रहा था, जिसके लिए उसे अतिरिक्त धन/बैंकों से गारंटी की आवश्यकता थी, जो अचल संपत्तियों के रूप में अतिरिक्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों की मांग कर रहे थे। 01.05.2022 के बोर्ड संकल्प के अनुसरण में, अपीलकर्ता ने सूर्यकांत तिवारी और उनके सहयोगियों से 52 संपत्तियां अधिग्रहित कीं और मई 2022 में अग्रिम भुगतान किया। 30.06.2022 को, आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत सूर्यकांत तिवारी और उनके सहयोगियों के परिसरों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। सूर्यकांत तिवारी और उनके सहयोगियों के खिलाफ बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई, विशेष रूप से, तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान अपीलकर्ता को दोषी ठहराने वाली कोई भी चीज नहीं मिली। अपीलकर्ता के परिसर में कोई भी तलाशी और जब्ती अभियान नहीं चलाया गया था। 11.10.2022 को, प्रतिवादी/ईडी ने अपीलकर्ता के प्रमोटर सुनील कुमार अग्रवाल के परिसर में तलाशी ली और तलाशी अभियान में नकदी सहित कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। 09.12.2022 को, उत्तरवादी ने पीएओ संख्या 2/2022 के माध्यम से अपीलकर्ता के स्वामित्व वाली 52 संपत्तियों सहित संपत्तियों को जब्त कर लिया। इसके बाद, उत्तरवादी/ईडी द्वारा पीएमएलए की धारा 5(5) के तहत दिनांक 06.01.2023 को ओसी संख्या 1874/2023 दाखिल की गई। बाद में, 12.01.2023 को, पीएमएलए की धारा 8 के तहत माननीय एए द्वारा ओसी संख्या 1874/2023 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें अपीलकर्ता को संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए आय के स्रोत का खुलासा करने और पीएओ के अनुसार संपत्तियों की कुर्की से छूट के लिए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया। 01.06.2023 को, माननीय एए ने बिना सोचे-समझे यांत्रिक रूप से पीएओ में बावन (52) संपत्तियों की कुर्की के लिए पुष्टिकरण आदेश पारित किया गया।

34. श्री वर्शनी के अनुसार, अपीलीय न्यायाधिकरण ने विवादित आदेश पारित करते समय अपीलकर्ता के विरुद्ध निम्नलिखित टिप्पणियाँ की हैं--



(क) अपीलकर्ता ने सूर्यकांत तिवारी और उनके सहयोगियों से संपत्तियाँ खरीदीं, जिनमें 29 संपत्तियाँ 15.07.2020 से पहले आयकर छापों के बाद खरीदी गईं ताकि इन संपत्तियों की कुर्की को रोका जा सके।

(ख) अपीलकर्ता ने अपील दाखिल करते समय 52 संपत्तियों से संबंधित तथ्यों का विवरण नहीं दिया है, जिससे अपीलीय न्यायाधिकरण इस मुद्दे का विश्लेषण कर सके।

(ग) कंपनी की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए भी, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आय का उपयोग उद्योगों के लिए पूंजी के रूप में करने के बजाय अचल संपत्तियों की खरीद में क्यों किया गया था।

(घ) अपराध की अवधि की जानकारी न होना और यह कहना कि 29 संपत्तियाँ अपराध होने से पहले खरीदी गई थीं, अपराध की अवधि एफआईआर दर्ज होने की तारीख यानी 12.07.2022 से मानी गई है, जबकि अपराध एफआईआर दर्ज होने की दिनांक से बहुत पहले शुरू हुआ था। इसलिए, ये 29 संपत्तियाँ भी अपराध होने की अवधि के दौरान ही खरीदी गई थीं।

(ङ) अपीलकर्ता संपत्तियों के अधिग्रहण के स्रोत का खुलासा करने में विफल रहा है। अपीलकर्ता ने केवल अपनी वित्तीय स्थिति का उल्लेख किया है, यह बताए बिना कि संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल की गई नकदी उनके पास कैसे आई।

(च) संपत्ति खरीदने के लिए भारी रकम नकद में दी गई थी और इसकी पुष्टि गवाहों ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत अपने बयान में की है।

(छ) अपीलकर्ता ने स्रोत और प्रमाण प्रस्तुत किए बिना संपत्तियाँ खरीदी हैं।

(ज) अपीलकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए दाखिल किए गए आयकर विवरण (आईटीआर) का खुलासा नहीं किया है, और इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के आयकर विवरण से वित्तीय वर्ष 2022-23 से पहले कुर्क की गई संपत्तियों का औचित्य सिद्ध नहीं होता है।

35. श्री वर्शनी ने प्रस्तुत किया कि माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता-मेसर्सआईएमआईपीएल को सूर्यकांत तिवारी का बेनामीदार नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि धन का भुगतान अपीलकर्ता द्वारा उचित बैंकिंग माध्यम से किया गया है और वह सूर्यकांत तिवारी की ओर से संपत्तियाँ धारण नहीं कर रहा है। यह स्थापित विधि है कि किसी हस्तांतरण को बेनामी लेनदेन मानने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत लागू होते हैं:

(1) यह साबित करने का भार कि कोई हस्तांतरण बेनामी लेनदेन है, उस व्यक्ति पर होता है जो ऐसा दावा करता है।



(2) यदि यह सिद्ध हो जाता है कि क्रय राशि उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से आई है जिसके पक्ष में संपत्ति हस्तांतरित की गई है, तो प्रथम दृष्ट्या यह माना जाता है कि क्रय राशि प्रदान करने वाले व्यक्ति के लाभ के लिए ही खरीद की गई है, जब तक कि इसके विपरीत कोई साक्ष्य न हो।

(3) लेनदेन का वास्तविक स्वरूप क्रय राशि प्रदान करने वाले व्यक्ति के आशय से निर्धारित होता है।

(4) उसका आशय क्या था, यह प्रश्न आसपास की परिस्थितियों, पक्षों के संबंधों, लेन-देन को अंजाम देने के पीछे उनके उद्देश्य और उनके बाद के आचरण आदि के आधार पर तय किया जाना चाहिए।

36. वर्तमान मामले में बेनामी लेन-देन के मूल तत्व, अर्थात् संपत्ति की खरीद के लिए धन का भुगतान उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिसके पक्ष में संपत्ति हस्तांतरित की गई है, संतुष्ट नहीं होते हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संपत्ति की खरीद के लिए भुगतान अपीलकर्ता से सूर्यकांत तिवारी को उचित बैंकिंग चैनल के माध्यम से किया गया है। इसके अलावा, प्रतिवादी यह साबित करने का भार वहन करने में सक्षम नहीं है कि अपीलकर्ता सूर्यकांत तिवारी का बेनामीदार है, क्योंकि उसके पास आरोपों को साबित करने के लिए निराधार अनुमानों और अटकलों के अलावा कोई सहायक साक्ष्य नहीं है। अपीलकर्ता के पास मौजूद संपत्तियों को केवल इस आधार पर कुर्क किया गया है कि अपीलकर्ता सूर्यकांत तिवारी का बेनामीदार है, इसलिए पीएमएलए की धारा 2(1)(यू) के तहत इन संपत्तियों को उनके मूल्य के आधार पर कुर्क किया गया है। इस बात का कोई प्रमाण न होने पर कि अपीलकर्ता सूर्यकांत तिवारी का बेनामीदार है, अपीलकर्ता के पास मौजूद वे संपत्तियां, जिन्हें उचित बैंकिंग माध्यम से ऐसे धन का उपयोग करके खरीदा गया है जिसका अनुसूचित अपराध से कोई संबंध नहीं है, कुर्क नहीं की जा सकतीं। अतः कुर्क की गई संपत्तियां किसी भी तरह से सबूत के तौर पर मान्य नहीं हैं। माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण यह समझने में विफल रहा है कि 52 में से 29 संपत्तियां मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी द्वारा कथित अपराध किए जाने से पहले अधिग्रहित की गई थीं और इन्हें कुर्क नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सबूत के तौर पर मान्य नहीं हैं। कुर्क की गई 29 संपत्तियां अपीलकर्ता द्वारा सूर्यकांत तिवारी और उनके सहयोगियों से खरीदी गई थीं, जिन्हें उन्होंने आपराधिक गतिविधि किए जाने से पहले, अर्थात् 15.07.2020 से पहले अधिग्रहित किया था। ओसी में आरोप लगाया गया है कि अवैध वसूली 30.07.2020 से शुरू हुई, अर्थात् 15.07.2020 को अधिसूचना जारी होने के बाद ही। इसके आलोक में, अपीलीय न्यायाधिकरण को उन संपत्तियों की कुर्की की पुष्टि नहीं करनी चाहिए थी जो सूर्यकांत तिवारी ने अपराध होने से पहले अर्जित की थीं और बाद में उचित विधि माध्यम से अपीलकर्ता को हस्तांतरित कर दी थीं। यह सर्वविदित विधि है कि अपराध होने से पहले अर्जित और अपराध से असंबंधित संपत्ति को पीएमएलए के तहत कुर्क नहीं किया जा सकता है। माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने गलत तरीके से यह टिप्पणी की है कि अपीलकर्ता ने 12.07.2022 की एफआईआर दर्ज होने से पहले 29 (उनतीस) संपत्तियां अर्जित की होंगी। हालांकि, न्यायाधिकरण ने यह टिप्पणी की है कि ये संपत्तियां अपराध होने की अवधि के दौरान, अर्थात् 15.07.2022 के बाद अर्जित की गई थीं। माननीय अपीलीय प्राधिकारी की यह टिप्पणी स्थापित तथ्यों और प्रतिवादी/ईडी द्वारा स्वीकार की गई बातों के पूर्णतः विपरीत है। 37. श्री वर्शनी ने



आगे कहा कि यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि दंडनीय संपत्ति (पीओसी) के लिए, अनुसूचित अपराध से संबंधित संपत्ति किसी व्यक्ति द्वारा "संबंधित अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप" प्राप्त की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के विजय मदनलाल (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए, श्री वर्शनी ने कहा कि पीएमएलए के प्रयोजन के लिए अनुसूचित अपराध में संदर्भित किसी भी संपत्ति को दंडनीय संपत्ति (पीओसी) मानते समय इस अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। दंडनीय संपत्ति (पीओसी) के तीन भागों के बीच स्पष्ट विभाजन है; दंडनीय संपत्ति (पीओसी) के रूप में कुर्क की गई कोई भी संपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त होनी चाहिए। इसके अलावा, अनुसूचित अपराध के घटित होने से पहले अर्जित संपत्तियों को पीएमएलए के तहत कुर्क नहीं किया जा सकता है। समतुल्य मूल्य की संपत्ति को तभी कुर्क किया जा सकता है जब अनुसूचित अपराध से प्राप्त या अर्जित संपत्ति भारत से बाहर ले जाई गई हो या रखी गई हो। यह कानूनी स्थिति कि किसी संपत्ति को अभियोग के दायरे से संबंधित नहीं माना जा सकता यदि अनुसूचित अपराध संपत्ति के अधिग्रहण के बाद किया गया हो, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पवना दिब्बुर बनाम प्रवर्तन निदेशालय {(2023) 15 एससीसी 91 कंडिका 31.1} मामले में भी बरकरार रखी गई है। इसके अलावा, केरल उच्च न्यायालय ने यह माना है कि अपराध होने से पहले अधिग्रहित संपत्तियों को अभियोग के दायरे की परिभाषा में शामिल करना अनुचित है। पीएमएलए के तहत अधिकारियों को उन संपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिनका संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं है।

38. श्री वर्शनी ने आगे कहा कि अपीलीय न्यायाधिकरण यह समझने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता एक वास्तविक क्रेता है और उसने अपनी लेखा-जोखा राशि का उपयोग करके संपत्तियां खरीदी हैं। यह सर्वविदित है कि यदि कोई व्यक्ति प्रासंगिक सामग्री और साक्ष्यों के माध्यम से, जिनका प्रमाणिक मूल्य हो, यह सिद्ध कर दे कि उसका अधिग्रहण वास्तविक, वैध और उचित बाजार मूल्य पर किया गया है, तो अधिग्रहण आयोग को अभिलेख में मौजूद सामग्री और साक्ष्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए और यदि संपत्ति के वास्तविक अधिग्रहण से संतुष्ट हो जाए, तो ऐसी संपत्ति को अस्थायी कुर्की से मुक्त कर देना चाहिए। अपीलकर्ता संपत्तियों को खरीदने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के साथ एक वास्तविक तृतीय पक्ष क्रेता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखता है। 31.03.2023 तक अपीलकर्ता की मूर्त शुद्ध संपत्ति 2,87,42,00,000 रुपये थी और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर पश्चात लाभ 70,14,00,000 रुपये था। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता ने प्रचलित सर्कल दरों से अधिक भुगतान किया और वैध रूप से अर्जित धन का उपयोग करके बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भुगतान करके संपत्तियों का अधिग्रहण किया। सभी संपत्तियां विधिवत पंजीकृत थीं और छत्तीसगढ़ सरकार को आवश्यक पंजीकरण और स्टॉप शुल्क का भुगतान किया गया था। सभी 52 संपत्तियों के लिए अग्रिम भुगतान मई 2022 में, सूर्यकांत तिवारी के घर पर 30.06.2022 को आयकर विभाग की छापेमारी से पहले किया गया था। अपीलकर्ता ने संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए धन के स्रोत का खुलासा किया और बाजार मूल्य पर उच्च दरों पर बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भुगतान किया। अपीलकर्ता ने 2022-23 का आयकर विवरण (आईटीआर) माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया,



हालांकि, अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह मानने में गलती की कि 70,14,00,000 रुपये का लाभ और 287,42,00,000 रुपये की मूर्त शुद्ध संपत्ति 2022-23 वित्तीय वर्ष से पहले खरीदी गई संपत्तियों को उचित नहीं ठहराती है। माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा कि कुर्क की गई कोई भी संपत्ति उक्त वित्तीय वर्ष से पहले नहीं खरीदी गई थी। सभी संपत्तियों के लिए अग्रिम भुगतान मई 2022 में किया गया था, जो मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी के परिसर पर आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी (अर्थात् 30.06.2022) से भी पहले का था। यह तथ्य कुर्क की गई संपत्तियों के विक्रय विलेखों में भी परिलक्षित होता है। उपरोक्त तर्क के संदर्भ में, यह निवेदन किया जाता है कि अपीलकर्ता को यह पूर्वाभास नहीं हो सकता था कि मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी पर छापे मारा जाएगा, और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता ने सूर्यकांत तिवारी के पास मौजूद संपत्तियों की कुर्की को रोकने के लिए यह योजना बनाई थी। संपत्तियों के अधिग्रहण का उद्देश्य अपीलकर्ता के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 01.05.2022 को पारित बोर्ड संकल्प से स्पष्ट होता है, जिसमें व्यवसाय विस्तार के उद्देश्य से बैंकों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में अधिक संपत्तियों के अधिग्रहण का संकल्प लिया गया था।

39. श्री वर्शनी ने निवेदन किया कि माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण अपीलकर्ता के लाभ और हानि विवरणों का मूल्यांकन करने में विफल रहा, जिससे आय के स्रोत का पता चलता है, और उसने मनमाने ढंग से यह टिप्पणी की है कि अपीलकर्ता धन के स्रोत का खुलासा नहीं कर सकता है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने गलत तरीके से यह माना है कि "अपीलकर्ता ने एक या दो संपत्तियां नहीं खरीदीं, बल्कि 52 संपत्तियां खरीदीं, जबकि उन्होंने अपनी अपील में इसका स्रोत और प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। यहां तक कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आयकर रिटर्न भी संलग्न नहीं किया गया था। इसे बाद में प्रस्तुत किया गया, लेकिन इससे पहले की संपत्तियों की खरीद के संबंध में इसकी प्रासंगिकता नहीं बताई गई।" माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह मानने में गलती की है कि अपीलकर्ता विक्रय विलेख और वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के बावजूद खरीद को साबित करने के लिए स्रोत और दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ था। माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण यह समझने में भी विफल रहा कि अपीलकर्ता के पास उक्त संपत्तियों को खरीदने के लिए पर्याप्त धन और वित्तीय क्षमता थी, वास्तव में अपीलकर्ता ने अधिग्रहण के लिए संपत्तियों के प्रचलित सर्कल रेट से अधिक भुगतान किया था। माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने बिना सोचे-समझे यह गलत टिप्पणी की है कि "उनके द्वारा दायर अपील में, वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आयकर रिटर्न भी संलग्न नहीं किया गया था। इसे बाद में प्रस्तुत किया गया था, यह दिखाए बिना कि यह इससे पहले की संपत्तियों की खरीद के लिए सुसंगत है।" उल्लेखनीय रूप से, 52 अटैच की गई संपत्तियों में से एक भी संपत्ति अपीलकर्ता द्वारा 2022 से पहले अधिग्रहित नहीं की गई थी, जिसे प्रतिवादी/ईडी ने भी स्वीकार किया है। अपीलकर्ता ने संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अपने धन के स्रोत का खुलासा किया था और इसलिए उस पर सूर्यकांत तिवारी के सिंडिकेट द्वारा अर्जित आय को छिपाने में शामिल होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता



था।आक्षेपित आदेश का सरसरी तौर पर अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता के संबंध में नकद भुगतान या अवैध स्रोतों से भुगतान का कोई आरोप नहीं है।नकद भुगतान का कोई भी आरोप केवल सूर्यकांत तिवारी के संबंध में है, अपीलकर्ता के विरुद्ध नहीं है।अपीलीय न्यायाधिकरण यह विचार करने में भी विफल रहा है कि अनुसूचित अपराध के घटित होने में अपीलकर्ता की कोई भूमिका नहीं थी और सुनील कुमार अग्रवाल के विरुद्ध मात्र आरोप अपीलकर्ता की उन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं जिन्हें 1 मई, 2022 को विधिवत पारित बोर्ड संकल्प के अनुसार उचित माध्यम से अधिग्रहित किया गया है।अपीलीय प्राधिकारी सुनील कुमार अग्रवाल और अपीलकर्ता के बीच अंतर को समझने में विफल रहा है।अपीलकर्ता एक स्वतंत्र कंपनी है जिसने 01.05.2022 के बोर्ड संकल्प के तहत संपत्तियों की खरीद की है, जिसे कंपनी के सभी निदेशकों द्वारा विधिवत पारित किया गया है, न कि केवल सुनील कुमार अग्रवाल द्वारा।

40. उपरोक्त तथ्यात्मक परिस्थितियों के अतिरिक्त, श्री वर्शनी ने प्रस्तुत किया कि माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने प्रत्येक अपीलकर्ता के तथ्यों पर अलग-अलग विचार किए बिना एक तर्कहीन आदेश पारित किया है।माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने यांत्रिक ढंग से एक अस्पष्ट आदेश पारित किया, जिसमें अपीलकर्ता से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार नहीं किया गया और अपीलकर्ता के विशिष्ट तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया तथा निम्नलिखित आधारों को बिना किसी तर्क के खारिज कर दिया गया। अपीलकर्ता का अपराध से कोई संबंध नहीं है, मामले को एक साथ जोड़ने के कारण अपीलकर्ता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।सूर्यकांत तिवारी के कुकर्मों का खामियाजा अपीलकर्ता को भुगतने देना अन्यायपूर्ण है।आक्षेपित आदेश ठोस प्रमाण के बिना केवल अनुमानों और अटकलों पर आधारित है। माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता के विरुद्ध निर्णय देने के लिए किसी भी साक्ष्य का सहारा नहीं लिया है; उसने केवल पीएमएलए की धारा 50 के तहत सह-आरोपी के बयानों का हवाला दिया है, जबकि कोई सहायक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।इसलिए, माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण का विश्वास संदेह और गलत तथ्यों पर आधारित था।आक्षेपित आदेश ने गलत तरीके से इस तथ्य पर भरोसा किया है और इसे इस तथ्य से जोड़ा है कि संपत्तियां सूर्यकांत तिवारी के कथित बेनामीदारों से बाजार दर से कम दरों पर खरीदी गई थीं और उक्त संपत्तियां व्यावहारिक रूप से अभी भी सिंडिकेट के नियंत्रण में हैं, बिना किसी प्रासंगिक और स्वीकार्य साक्ष्य के, केवल अनुमानों और अटकलों के आधार पर।विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह मान लिया कि आरोपी पर छापे की जानकारी अपीलकर्ता (जो उस राज्य से भिन्न राज्य में रहता था जहां छपा मारा गया था) को सामान्य रूप से ज्ञात होगी।माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता जबरन वसूली गिरोह का शिकार था, केवल यह कहकर कि उसे सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करानी चाहिए थी और सूर्यकांत तिवारी के राजनीतिक संबंधों और संबद्धताओं को देखते हुए अपीलकर्ता एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता था, क्योंकि राज्य में सूर्यकांत तिवारी के प्रभाव के कारण पुलिस के पास जाना गंभीर प्रतिशोध माना जाता है। माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण यह समझने में विफल रहा कि अपीलकर्ता की संपत्तियों की कुर्की को उचित ठहराने के लिए उसके खिलाफ कोई "विश्वास करने योग्य कारण" नहीं हैं।यह सर्वविदित कानून है कि विश्वास



के कारणों को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहले से बनाई गई राय की हूबहू नकल नहीं माना जा सकता है। जिस अधिकारी को अपने विश्वास के कारणों को लिखना होता है, उसे स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए। यह विधि में दिए गए शब्दों का यांत्रिक पुनरुत्पादन नहीं हो सकता। तदनुसार, जब कोई प्राधिकारी ऐसे निर्णय की न्यायिक पुनर्विलोकन करते हुए विश्वास के कारणों का अध्ययन करता है, तो अधिकारी की विचार प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए। पीएमएलए की धारा 8(1) के तहत दिए गए कारणों के आधार पर, ऐसा कोई विश्वास का कारण नहीं है जो अपीलकर्ता की भूमिका को स्पष्ट करता है या यह बताता हो कि अपीलकर्ता की संपत्तियां पीओसी क्यों हैं और इसलिए उन्हें कुर्क किया जाना चाहिए। आक्षेपित आदेश में सभी प्रभावित पक्षों को एक समान मानकर उनके साथ एक जैसा व्यवहार करने की खामी है। सभी प्रभावित पक्षों के लिए एक समान आदेश पारित करके, माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने जबरन वसूली करने वाले और जबरन वसूली गिरोह के पीड़ितों के बीच के अंतर को धुंधला कर दिया है और यह ध्यान में नहीं रखा है कि अपीलकर्ता एक वास्तविक क्रेता है। अपीलकर्ता के तर्कों का सतही मूल्यांकन, अपीलकर्ता से संबंधित विशिष्ट टिप्पणियों में तर्कहीनता से स्पष्ट होता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपीलकर्ता अन्य प्रभावित पक्षों से एक अलग वर्ग का है और सभी प्रभावित पक्षों को एक ही आदेश में शामिल करके, माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण अपीलकर्ता के तर्कों की विशिष्ट प्रकृति को समझने में विफल रहा है।

41. श्री वर्शनी ने दिनांक 11.04.2025 को उत्तरवादी/ईडी द्वारा दाखिल किए गए उत्तर की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा है कि उत्तरवादी/ईडी ने बिना किसी पुख्ता सबूत के, केवल कल्पना के आधार पर निम्नलिखित निराधार दावे किए हैं; अर्थात् - (क) अपीलकर्ता गिरोह का सदस्य बन गया और उसने सूर्यकांत तिवारी को अपने प्रमाण पत्र को हस्तांतरित करने में सहायता की। इसके जवाब में यह निवेदन किया जाता है कि अपीलकर्ता जबरन वसूली गिरोह का शिकार है और वह कभी भी गिरोह का सदस्य नहीं बना तथा जबरन वसूली के अनुसूचित अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है। (ख) अपीलकर्ता द्वारा संपत्तियों की खरीद के लिए भुगतान किए जाने के बाद, सूर्यकांत तिवारी और उनके सहयोगियों ने बैंक से वह राशि निकाल ली और अपीलकर्ता को नकद लौटा दी। इस तर्क के जवाब में, श्री वर्शनी ने कहा कि इस आरोप के समर्थन में एक भी पुख्ता सबूत नहीं है और प्रतिवादी द्वारा की गई तलाशी और जब्ती कार्रवाई में अपीलकर्ता के परिसर से कभी भी कोई नकद बरामद नहीं हुआ। (ग) अपीलकर्ता ने कुछ संपत्तियां केवल कागजों पर ही खरीदी हैं, जबकि वास्तविकता में इन संपत्तियों का वास्तविक स्वामित्व अभी भी सूर्यकांत तिवारी के पास है। इस आरोप के जवाब में यह कहा गया है कि अपीलकर्ता ने बोर्ड संकल्प के अनुसरण में अपने व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए इन संपत्तियों का अधिग्रहण किया था। प्रतिवादी/ईडी द्वारा यह दावा कि दिनेश चौधरी ने श्रीमती कैलाश तिवारी के साथ कुर्क की गई संपत्तियों में से एक पर ढाबा चलाने के लिए समझौता किया है, निराधार है। अपीलकर्ता के निदेशक सुनील कुमार अग्रवाल को 13.10.2022 को, यानी उक्त संपत्ति के अधिग्रहण के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए, अपीलकर्ता और उसके निदेशक कुर्क की गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा हस्तांतरित करने में असमर्थ रहे। (घ) अपीलकर्ता सूर्यकांत तिवारी के बेनामीदार के रूप में संपत्तियों को धारण कर रहा है।



इसके जवाब में यह प्रस्तुत किया गया है कि 'बेनामीदार' होने की मुख्य शर्तें, अर्थात् संपत्ति की खरीद के लिए भुगतान किसी तीसरे पक्ष द्वारा किया जाना, पूरी नहीं होती हैं। इसके अलावा, उत्तरवादी बेनामी होने के आरोप के समर्थन में कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाया है। (ई)अपीलकर्ता के निदेशक द्वारा दिनांक 01.05.2022 को संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए पारित बोर्ड संकल्प मनगढ़ंत है। इसके जवाब में, यह निवेदन किया जाता है कि प्रतिवादी ने यह तर्क निराधार प्रस्तुत किया है। दिनांक 01.05.2022 का बोर्ड संकल्प कंपनी के सभी निदेशकों द्वारा विधिवत पारित किया गया था और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(3) के तहत दिनांक 19.04.2022 को नोटिस द्वारा बैठक बुलाई गई थी।

42. इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी/ईडी ने अपने उत्तर में कुछ तथ्यों को स्वीकार किया है जो अपीलकर्ता की सत्यनिष्ठा को सिद्ध करते हैं, अर्थात् - (क) अपीलकर्ता का नाम छत्तीसगढ़ एसीबी/ईओडब्ल्यू द्वारा दिनांक 18.07.2024 और 09.10.2024 को दायर आरोप पत्र या पूरक आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नहीं है। (ख) अपीलकर्ता द्वारा खरीदी गई कुर्क संपत्तियों में से 29 संपत्तियां 15.07.2020 से पहले अधिग्रहित की गई थीं, अर्थात् उस दिनांक से पहले जिस दिन अनुसूचित अपराध कथित रूप से किया गया था। (ग) सूर्यकांत तिवारी के गिरोह द्वारा की जा रही जबरन वसूली के अपराध में अपीलकर्ता की कोई भूमिका नहीं थी। (घ) कुर्क संपत्तियों को खरीदते समय, अपीलकर्ता ने केवल विक्रय विलेख की राशि का भुगतान किया है और इसके अतिरिक्त कोई भी भुगतान नकद या किसी अन्य माध्यम से नहीं किया है।

43. श्री वर्शनी ने अंत में निवेदन किया कि उपरोक्त तथ्यों तथा प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं का निवेदन है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपीलकर्ताओं के संबंध में पारित आदेश को अपास्त किया जाना चाहिए क्योंकि अपीलकर्ताओं की संपत्तियां पीएमएलए के अंतर्गत "संपत्ति का प्रमाण" नहीं हैं। आगे निवेदन किया गया है कि इस आदेश से अपीलकर्ताओं के व्यावसायिक कार्यों को गंभीर हानि हुई है।

44. अपीलकर्ता मेसर्स के.एस.जे.एल. कोल एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में, श्री वर्शनी ने बताया कि यह कंपनी भी 2010 से पर्याप्त वित्तीय क्षमता और वैध व्यावसायिक गतिविधियों के साथ कोयला धुलाई व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी सात कोयला धुलाई केंद्रों का संचालन कर रही है और उसने मां मदवरानी कोल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (संक्षेप में, एमएमसीबीपीएल) से दो अतिरिक्त कोयला धुलाई केंद्र अधिग्रहित करके अपने परिचालन का विस्तार करने का व्यावसायिक निर्णय लिया गया।

45. श्री वर्शनी ने बताया कि अपीलकर्ता का मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी और उसके सहयोगियों के खिलाफ लगाए गए जबरन वसूली के आरोप से कोई संबंध नहीं है। 15.06.2022 को, अपीलकर्ता के निदेशक मंडल, अर्थात् सत्यनारायण यादव और अजय कुमार साहू ने स्थान और रणनीतिक लाभों के लिए एमएमसीबीपीएल से अतिरिक्त कोयला धुलाई केंद्र अधिग्रहित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बोर्ड के संकल्प के अनुसरण में, 20.06.2022 को एमएमसीबीपीएल और अपीलकर्ता के बीच 35,28,84,000/- रुपये में विक्रय का



करार हुआ, जिसमें 2,50,00,000/- रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया और पोस्ट-डेटेड चेक जारी किए गए। 30.06.2022 को, आयकर विभाग ने सूर्यकांत तिवारी और उनके सहयोगियों के परिसर में आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। सूर्यकांत तिवारी और उनके सहयोगियों के विरुद्ध बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई, विशेष रूप से, तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान अपीलकर्ता को दोषी ठहराने वाली कोई भी सामग्री नहीं मिली। अपीलकर्ता के परिसर में ऐसा कोई तलाशी और जब्ती अभियान नहीं चलाया गया। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता ने छापेमारी के बाद कोयला वाशरीज़ खरीदीं, क्योंकि बिक्री का करार आईटीडी द्वारा की गई छापेमारी से पहले का है। इसके अलावा, अपीलकर्ता को यह अनुमान नहीं था कि सूर्यकांत तिवारी पर भी छापेमारी की जाएगी। अपीलकर्ता कंपनी द्वारा अधिग्रहित संपत्तियां भ्रष्टाचार के धन से नहीं खरीदी गई थीं। अपीलकर्ता के खिलाफ एक भी आरोप नहीं लगाया गया है। सभी आरोप सुनील कुमार अग्रवाल की भूमिका से संबंधित हैं, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि अपीलकर्ता एक स्वतंत्र कानूनी इकाई है जिसने अपने निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 15.06.2022 को पारित बोर्ड संकल्प के माध्यम से संपत्तियां अधिग्रहित की हैं। माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने विवादित आदेश पारित करते हुए अपीलकर्ता कंपनी के विरुद्ध निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं, अर्थात्: (क) सुनील कुमार अग्रवाल ने सूर्यकांत तिवारी को मेसर्स इंड्युग प्राइवेट लिमिटेड (संक्षेप में, इंड्युग) और मेसर्स सत्या पॉवर प्राइवेट लिमिटेड (संक्षेप में, सत्या पॉवर) की कोयला वाशरी अधिग्रहित करने में सहायता की। (ख) एमएमसीबीपीएल ने इंड्युग और सत्या पॉवर से 96,00,00,000 रुपये में कोयला वाशरी अधिग्रहित कीं, जिसमें से 34,00,00,000 रुपये पंजीकृत मूल्य था और शेष राशि सूर्यकांत तिवारी द्वारा इंड्युग और सत्या पॉवर को नकद में भुगतान की गई थी। (ग) आयकर विभाग की छापेमारी के बाद, सुनील कुमार अग्रवाल ने कोयला वाशरीज़ का मालिक होने का फर्जी दावा करते हुए फर्जी लेनदेन किया और उसे अपीलकर्ता के नाम पर पंजीकृत कराया। (घ) अपीलकर्ता के प्रमोटर सुनील कुमार अग्रवाल ने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पी. ओ. सी) छिपाने के लिए एम. एम. सी. बी. पी. एल से 34,00,00,000 रुपये में कोयला वाशरीज़ खरीदीं। (ङ) सुनील कुमार अग्रवाल, सूर्यकांत तिवारी के बेनामी के रूप में काम कर रहे हैं और उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में सहायता की है। (च) सभी संपत्तियां वर्ष 2020 में खरीदी गई थीं और अपीलकर्ता ने सभी संपत्तियों को हासिल करने के स्रोत को साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश नहीं किए।

46. श्री वर्शनी ने प्रस्तुत किया कि तथ्यात्मक आधार यह है कि विवादित आदेश में अपीलकर्ता की कथित भूमिका के संबंध में एक भी आरोप नहीं लगाया गया है। आक्षेपित आदेश या पीएओ का सरसरी तौर पर अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस तथ्य को नहीं समझा है कि पीएमएलए के तहत अपीलकर्ता की संपत्तियों को अटैच करने के लिए उसकी कोई भूमिका निर्धारित नहीं की गई थी। माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण यह समझने में भी विफल रहा कि अपीलकर्ता की अनुसूचित अपराध करने में कोई भूमिका नहीं थी और न ही अपीलकर्ता के पास मौजूद संपत्तियों का कथित आपराधिक गतिविधि से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है। माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण यह विचार करने में भी विफल रहा है कि



सुनील कुमार अग्रवाल के विरुद्ध मात्र आरोप लगाना अपीलकर्ता की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अपीलकर्ता ने 15.06.2022 को विधिवत पारित बोर्ड संकल्प के अनुसार उचित माध्यम से ये संपत्तियां अर्जित की हैं। इसके अतिरिक्त, माननीय अपीलीय प्राधिकारी सुनील कुमार अग्रवाल और अपीलकर्ता के बीच अंतर को समझने में भी विफल रहा है। अपीलकर्ता एक स्वतंत्र कंपनी है जिसने 16.06.2022 के बोर्ड संकल्प के माध्यम से संपत्तियों की खरीद की है, जिसे कंपनी के निदेशकों, अर्थात् सत्यनारायण यादव और अजय कुमार साहू द्वारा विधिवत पारित किया गया है, न कि सुनील कुमार अग्रवाल द्वारा। माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण यह समझने में भी विफल रहा है कि अपीलकर्ता को सूर्यकांत तिवारी का बेनामीदार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धन का भुगतान अपीलकर्ता द्वारा उचित बैंकिंग माध्यम से किया गया है और वह सूर्यकांत तिवारी की ओर से संपत्तियां धारण नहीं कर रहा है। अपीलकर्ता के सूर्यकांत तिवारी का बेनामीदार होने के आरोप के संबंध में, अपीलकर्ता-आईएमआईपीएल के संबंध में दिए गए तर्कों के समान ही तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण यह समझने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता एक वास्तविक क्रेता है और उसने अपने खाते में दर्ज धन का उपयोग करके उचित बैंकिंग माध्यम से संपत्तियां खरीदी हैं। अपीलार्थी-कंपनी के पास संपत्तियों को क्रयने के लिए समस्त साधन थे। अपीलार्थी संपत्तियों को क्रय करने के लिए वित्तीय साधन के साथ एक प्रामाणिक तीसरे पक्ष के क्रयार के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखता है। अपीलकर्ता की 31.03.2023 तक की मूल शुद्ध संपत्ति 38,97,00,000 रुपये थी और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर कटौती के बाद का लाभ 25,09,00,000 रुपये था। इससे पता चलता है कि अपीलकर्ता के पास कोयला धोने की फैक्ट्रियों को खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन थे। इसके अलावा, अपीलकर्ता कंपनी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एनडीएसकेए एंड एसोसिएट्स द्वारा दिनांक 04.03.2020 को जारी प्रमाण पत्रों, ऋषभ अग्रवाल एंड एसोसिएट्स द्वारा दिनांक 09.11.2021 को जारी प्रमाण पत्रों और आशीष गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा दिनांक 08.08.2017 को जारी प्रमाण पत्रों के अनुसार उक्त कोयला वाशरी के मूल्यांकन से अधिक भुगतान किया था। चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्टों के अनुसार, कोयला धुलाई कारखानों का कुल बाजार मूल्य 12,96,68,000 रुपये निर्धारित किया गया था। हालांकि, यह निर्विवाद तथ्य है कि अपीलकर्ता ने एमएमसीबीपीएल से इन कोयला धुलाई कारखानों को लगभग 35,28,84,000 रुपये (टीडीएस सहित) में अधिग्रहित किया था। कोयला धुलाई कारखानों की विक्रय हेतु करार अपीलकर्ता के निदेशकों द्वारा 15.06.2022 को पारित बोर्ड संकल्प के अनुसार निष्पादित किया गया था। अपीलकर्ता को यह अनुमान नहीं था कि सूर्यकांत तिवारी के परिसर पर आयकर विभाग द्वारा छापे मारे जाएंगे। इसके अलावा, अपीलकर्ता कंपनी ने कोरबा जिले के कलेक्टर द्वारा आदेश संख्या आरपी. संख्या 202207050400027/ए-21/202122 के तहत एमएमसीबीपीएल द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में भूमि की बिक्री की अनुमति दिए जाने के बाद ही कोयला वाशरी खरीदी थी। दोनों कोयला वाशरी के लिए अग्रिम भुगतान 20.06.2022 को जारी किए गए चेक के माध्यम से आय के रूप



में किया गया था और शेष राशि के लिए पोस्ट डेटेड चेक भी अपीलकर्ता द्वारा उसी तारीख को जारी किए गए थे। दिनांक 15.06.2022 को अपीलकर्ता के निदेशक मंडल, अर्थात् सत्यनारायण यादव और अजय कुमार साहू द्वारा, अपने व्यवसाय को विभिन्न कोयला खनन क्षेत्रों में विस्तारित करने और संबंधित ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बोर्ड संकल्प पारित किया गया था, जिसके लिए उसे स्थान और अन्य रणनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक निजी रेलवे साइडिंग के साथ-साथ अतिरिक्त क्षमताएं हासिल करने/निर्माण करने की आवश्यकता थी।

47. श्री वर्शनी ने प्रस्तुत किया कि माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण यह समझने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता की 11 संपत्तियां पीओसी नहीं हैं क्योंकि उनका अनुसूचित अपराध से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा, इसने अपीलकर्ता के लाभ और हानि विवरणों को समझने में भी विफल रहा है, जिससे आय के स्रोत का पता चलता है, और मनमाने ढंग से यह टिप्पणी की है कि अपीलकर्ता धन के स्रोत का खुलासा नहीं कर सका है। माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह गलत अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलकर्ता ने सभी संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए स्रोत साबित करने हेतु ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह मानने में गलती की है कि अपीलकर्ता विक्रय विलेख और वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए आयकर विवरण प्रस्तुत करने के बावजूद खरीद को साबित करने के लिए स्रोत और दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण यह समझने में भी विफल रहा कि अपीलकर्ता के पास उक्त संपत्तियों को खरीदने के लिए साधन और वित्तीय क्षमता थी। वास्तव में अपीलार्थी ने अधिग्रहण हेतु संपत्तियों की प्रचलित वृत्त दर से अधिक का भुगतान किया। अपीलकर्ता ने संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अपने धन के स्रोत का खुलासा किया था, इसलिए उस पर सूर्यकांत तिवारी के गिरोह द्वारा अर्जित धन को छिपाने में संलिप्त होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता था। अपीलकर्ता के खिलाफ नकद भुगतान या अवैध स्रोतों से भुगतान का कोई आरोप नहीं है। नकद भुगतान का कोई भी आरोप केवल सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ है, अपीलकर्ता के विरुद्ध नहीं है।

48. आगे यह निवेदन किया जाता है कि माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने प्रत्येक अपीलकर्ता के तथ्यों पर अलग-अलग विचार किए बिना ही तर्कहीन आदेश पारित कर दिया है। अपीलकर्ता कंपनी के विरुद्ध उसकी संपत्तियों की कुर्की को उचित ठहराने का कोई कारण नहीं है। माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने पूरी तरह से भिन्न तथ्यों पर आधारित अपीलों में एक समान आदेश पारित करके गलती की है। श्री वर्शनी ने मेसर्स आईएमआईपीएल के संबंध में दिए गए समान तर्कों को दोहराया है।

49. श्री वर्शनी ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी/ईडी ने दिनांक 11.04.2025 के अपने उत्तर में अपीलकर्ता के विरुद्ध निराधार आरोप लगाए हैं जो केवल कल्पना मात्र हैं। यह दावा किया गया है कि अपीलकर्ता ने अनुसूचित अपराध के फलस्वरूप प्राप्त सबूतों से कोयला वाशरीज का अधिग्रहण किया है। जवाब में, श्री वर्शनी ने प्रस्तुत किया है कि कोयला वाशरीज की खरीद के लिए भुगतान उचित बैंकिंग माध्यम से और विधिवत पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से किया गया है। इसके अलावा, प्रतिवादी यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश करने में



विफल रहा है कि लेन-देन में प्रमाण पत्र या नकद का इस्तेमाल किया गया था, और उसने इस तथ्य को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है कि अपीलकर्ता के पास कोयला वाशरीज को खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन थे। प्रतिवादी/संपादक ने यह भी दावा किया है कि आयकर विभाग द्वारा 30.06.2022 को तलाशी और जब्ती के बाद एमएमसीबीपीएल द्वारा कोयला वाशरीज को अपीलकर्ता को बेचा गया था। इसके जवाब में यह निवेदन किया जाता है कि कोयला वाशरी की खरीद आयकर विभाग द्वारा तलाशी और जब्ती से पहले ही कर ली गई थी। कोयला वाशरी की विक्रय हेतु करार अपीलकर्ता के निदेशकों द्वारा 15.06.2022 को पारित बोर्ड प्रस्ताव के अनुसार किया गया था। अपीलकर्ता को यह अनुमान नहीं था कि सूर्यकांत तिवारी के परिसर पर आयकर विभाग द्वारा छापे मारे जाएंगे। प्रतिवादी/ईडी का यह भी दावा है कि अपीलकर्ता ने कुछ संपत्तियां केवल कागजों पर ही खरीदी हैं, जबकि वास्तविकता में इन संपत्तियों का वास्तविक स्वामित्व अभी भी सूर्यकांत तिवारी के पास है। इसके जवाब में श्री वर्शनी ने कहा है कि अपीलकर्ता ने अपने व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए इन संपत्तियों का अधिग्रहण किया है। प्रतिवादी/ईडी द्वारा यह दावा कि दिनेश चौधरी ने श्रीमती कैलाश तिवारी के साथ कुर्क की गई संपत्तियों में से एक पर ढाबा चलाने के लिए करार किया है, निराधार है। अपीलकर्ता के निदेशक सुनील कुमार अग्रवाल को 13.10.2022 को गिरफ्तार कर लिया गया, अर्थात् उक्त संपत्ति के अधिग्रहण के तुरंत बाद। इसलिए, अपीलकर्ता और उसके निदेशक कुर्क की गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा हस्तांतरण सुनिश्चित नहीं कर सके। प्रतिवादी/ईडी ने आगे दावा किया है कि एमएमसीबीपीएल के 13% शेयर इंदरमणि मिनरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आईएमआईपीएल) को हस्तांतरित कर दिए गए हैं, हालांकि इस आरोप का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। यह निवेदन किया जाता है कि पुख्ता सबूतों के अभाव में प्रतिवादी अनुप बंसल के बयानों के आधार पर एमएमसीबीपीएल से आईएमआईपीएल को शेयरों के हस्तांतरण का दावा नहीं कर सकता है। यह सर्वविदित कानून है कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत दिए गए बयान ठोस सबूत नहीं होते और इनका उपयोग केवल अन्य सबूतों के समर्थन में पुष्टि के उद्देश्य से किया जा सकता है ताकि न्यायालय को दोषी पाए जाने के निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिल सके। प्रतिवादी/ईडी ने आगे यह भी कहा है कि अतिरिक्त कोयला वाशरी खरीदने के लिए दिनांक 15.06.2022 के बोर्ड संकल्प और दिनांक 20.06.2022 के कोयला वाशरी की विक्रय हेतु करार के तथ्य मनगढ़ंत हैं, क्योंकि सुनील कुमार अग्रवाल ने आज तक किसी भी कानूनी मंच के समक्ष इन तथ्यों का खुलासा नहीं किया है। इसके जवाब में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(3) के अनुसार दिनांक 03.06.2022 के नोटिस द्वारा अपीलकर्ता के निदेशक मंडल की बैठक विधिवत बुलाई गई थी और उसी के अनुसरण में, निदेशक मंडल की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें दिनांक 15.06.2022 के बोर्ड संकल्प को कोयला वाशरी की खरीद को मंजूरी देते हुए विधिवत पारित किया गया था। इसके अलावा यह निवेदन किया जाता है कि सुनील कुमार अग्रवाल द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनील कुमार अग्रवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय मामले में दायर विशेष अनुमति याचिका (विशेष अनुमति अपील संख्या 5890/2024) में कोयला वाशरी की खरीद के लिए बोर्ड संकल्प और विक्रय करार के अस्तित्व के तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। प्रतिवादी/ईडी का यह भी



आरोप है कि अपीलकर्ता कंपनी सूर्यकांत तिवारी की बेनामीदार है, हालांकि, प्रतिवादी/ईडी अपने इस आरोप के समर्थन में कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई है

50. इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी/ईडी ने स्वीकार किया है कि एसीबी/ईओडब्ल्यू द्वारा 18.07.2024 और 09.10.2024 को दायर की गई आरोपपत्र या पूरक आरोपपत्र में अपीलकर्ता कंपनी को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था। अपीलकर्ता ने एमएमसीबीपीएल से कोरबा और बिलासपुर में स्थित दो कोयला वाशरी 34,93,67,390/- रुपये (टीडीएस को छोड़कर) के मूल्य पर खरीदीं और एमएमसीबीपीएल को कोयला वाशरी की खरीद के लिए अपीलकर्ता द्वारा कोई नकद भुगतान नहीं किया गया था।

51. अपने तर्कों के समर्थन में, श्री परधानिया द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा करने के अलावा, अपीलकर्ताओं - सौरभ मोदी, अनुराग चौरासिया और शांति देवी चौरासिया के विद्वान वकील श्री वर्शनी ने ठाकुर भीम सिंह (मृत) बनाम ठाकुर कां सिंह {(1980) 3 एससीसी 72}, बी. रामा राजू बनाम भारत संघ {(2011) 4 एएलडी 383}, अब्दुल्ला ए.एच. बलशराफ बनाम प्रवर्तन निदेशालय {2019 एससीसी ऑनलाइन डेल 6428}, सतीश मोतीलाल बनाम भारत संघ {2024 एससीसी ऑनलाइन केर 3410} के निर्णयों पर भरोसा किया है।

52. अपीलकर्ताओं (एमए संख्या 48/2025-दिव्या तिवारी, 49/2025-कैलाश तिवारी, 50/2025-रजनीकांत तिवारी और 51/2025-सूर्यकांत तिवारी) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शशांक मिश्रा ने प्रस्तुत किया कि (i) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। (ii) उक्त ईसीआईआर जिस आधार पर जारी किया गया है, वह कोई अंतर्निहित अनुसूचित अपराध नहीं है और संबंधित ओसी में कार्यवाही प्रतिवादी द्वारा पूर्णतः अधिकार क्षेत्र से बाहर की गई थी; (iii) इन याचिकाओं में धन शोधन का कोई अपराध शामिल नहीं है; (iv) माननीय प्रशासनिक परिषद की संरचना में न्यायालय के समक्ष गैर-न्यायिक होने का दोष है; और (v) इस माननीय प्राधिकरण को सभी प्रशासनिक सहायता वित्त मंत्रालय से प्राप्त होती है।

53. श्री मिश्रा का निवेदन है कि क्रमांक 15-16, 44-46 और 63-64 पर उल्लिखित संपत्तियां, हालांकि दिव्या तिवारी द्वारा खरीदी और स्वामित्व में थीं, इस आधार पर कुर्क की गई हैं कि ये कथित तौर पर सूर्यकांत तिवारी द्वारा अधिग्रहित प्रमाण पत्र से संबंधित संपत्तियां हैं। विशेष रूप से, यद्यपि अपीलकर्ता उक्त संपत्तियों की पंजीकृत क्रेता और स्वामी थीं, उन्हें दुर्भावनापूर्ण रूप से संबंधित OC में पक्षकार नहीं बनाया गया और माननीय सहायक न्यायालय (AA) द्वारा उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और माननीय सहायक न्यायालय (AA) के समक्ष सुनवाई और प्रतिनिधित्व के उनके अधिकार का उल्लंघन हुआ। यह दृढ़ता से अस्वीकार किया जाता है कि उपरोक्त संपत्तियों में से कोई भी सूर्यकांत तिवारी द्वारा अधिग्रहित प्रमाण पत्र (PoC) से संबंधित संपत्ति है। सूर्यकांत तिवारी का उपरोक्त किसी भी संपत्ति से कोई संबंध नहीं है। इसके विपरीत, ये ऐसी संपत्तियाँ हैं जो अपीलार्थी द्वारा आय के अपने बेदाग,



वैध तथा विधिवत प्रकट किए गए स्रोतों से अर्जित की गई थीं तथा जो संबंधित लेखा पुस्तकों/आई. टी. आर. में भी विधिवत दिखाई दी थीं। इसके अलावा, अपीलार्थी की जानकारी के अनुसार, सूर्यकांत तिवारी या अपीलार्थी के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत कोई कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। इस प्रकार, इस आधार पर संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई कि वे कथित रूप से सूर्यकांत तिवारी के लाभकारी स्वामित्व में हैं, किसी भी योग्यता या सार से रहित होने के अलावा पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना तथा असमर्थनीय है। अन्यथा भी, तथा ईडी के अपने मामले के अनुसार, ये समस्त संपत्तियां वर्तमान में (तथा पी. ए. ओ. के पारित होने तथा विषय ओ. सी. दाखिल करने से पहले भी) मेसर्स आई. एम. आई. पी. एल. के पास हैं। इस प्रकार, अपीलार्थी को इन संपत्तियों से कोई सरोकार नहीं है, तथा सूर्यकांत तिवारी द्वारा अधिग्रहित अभिकथित पीओसी के संबंध में उन्हें गलत तरीके से कुर्क किया जा रहा है।

54. श्री मिश्रा ने आगे कहा कि ए. ए. के समक्ष वैध अचल संपत्तियां, जो पहले इसमें अपीलार्थी के स्वामित्व में थीं (अब बेची गई हैं तथा उसके कब्जे में नहीं हैं) पूरी तरह से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत तथा उल्लंघनकारी हैं। अपीलकर्ता को न तो कोई नोटिस दिया गया, न ही उसे ओसी (और उससे संबंधित दस्तावेज़) की प्रति दी गई, न ही उसे अपना जवाब दाखिल करने का अवसर दिया गया, न ही उसे एए द्वारा सुनवाई का अवसर दिया गया, और न ही उसे उन व्यक्तियों से जिरह करने का अवसर दिया गया जिनके बयान कथित तौर पर प्रतिवादी द्वारा पीएओ की पुष्टि होने और प्रतिवादी द्वारा बेदखली नोटिस जारी किए जाने से पहले दर्ज किए गए थे। इस प्रकार, पीएओ, एओ और बेदखली नोटिस मनमाने, अन्यायपूर्ण और विधिवत रूप से दोषपूर्ण हैं। ईडी द्वारा अपीलकर्ता को दिए गए बेदखली नोटिस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण उल्लंघन हैं। पीएमएलए की धारा 6 (15) के अनुसार, माननीय एए को भले ही अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार हो, लेकिन वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया है। इस मामले में कोई अंतर्निहित अनुसूचित अपराध नहीं है, इसलिए अनुसूचित अपराधों से कोई पीओसी (PoC) प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उक्त ईसीआईआर को ईडी द्वारा बेंगलुरु एफआईआर के आधार पर पंजीकृत किया गया था, जिसमें आईपीसी की धारा 120-बी और आईपीसी की धारा 384 (बाद में जोड़ी गई) को कथित अनुसूचित अपराध माना गया था। उल्लेखनीय है कि बेंगलुरु एफआईआर के संबंध में पुलिस स्टेशन कडुगोडी द्वारा दिनांक 08.06.2023 को दायर अंतिम रिपोर्ट में, आईपीसी की धारा 384 और 120 बी को हटा दिया गया था और केवल आईपीसी की धारा 353 और 204 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। इसके बाद, बेंगलुरु की संबंधित अदालत ने दिनांक 15.06.2023 के अपने आदेश के माध्यम से आईपीसी की धारा 353 और 204 के तहत अपराधों का संज्ञान लिया (इनमें से कोई भी पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध नहीं है)। यहां तक कि रायपुर स्थित ईओडब्ल्यू द्वारा 17.01.2024 को छत्तीसगढ़ में दर्ज एफआईआर में भी आईपीसी की धारा 384 के तहत कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया था। यह विधि की तय स्थिति के विरुद्ध है क्योंकि एक अनुसूचित अपराध का अस्तित्व पीएमएलए के तहत एक अपराध हेतु एक अनिवार्य शर्त है। वास्तव में, अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध के लिए अभियोजन शुरू करने के लिए अनुसूचित



अपराध का पंजीकरण एक पूर्व शर्त है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ एफआईआर में 22.05.2024 को आईपीसी की धारा 384 को विलंबित रूप से जोड़ना महत्वहीन है क्योंकि यह उपरोक्त 17.05.2024 के आदेश के बाद और उसे दरकिनार करने के उद्देश्य से किया गया था। आईपीसी की धारा 384 को जोड़ने के बाद भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या 3403/2024 और एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या 6963/2024 में क्रमशः 08.07.2024 के आदेश द्वारा दो अन्य सह-आरोपियों दीपेश ताउंक और रानू साहू को अंतरिम जमानत प्रदान की। 07.08.2024 के आदेश द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तीनों सह-आरोपियों सुनील कुमार अग्रवाल, दीपेश ताउंक और रानू साहू को दी गई अंतरिम जमानत को स्थायी कर दिया। घटनाक्रम का यह क्रम, और यह तथ्य कि अभियोग शिकायत दर्ज करने की तिथि पर कोई अनुसूचित अपराध अस्तित्व में नहीं था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी (आपराधिक) संख्या 11141/2024 के दिनांक 04.10.2024 के आदेश में भी दर्ज किया गया था। अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सौम्या चौरसिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, आपराधिक अपील संख्या 3840/2023 के निर्णय पर भरोसा करना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इसके बाद के आदेश, जैसे सुनील कुमार अग्रवाल बनाम ईडी के मामले में एसएलपी (आपराधिक) संख्या 5890/2024 में दिनांक 17.05.2024 को पारित आदेश और लक्ष्मीकांत तिवारी बनाम प्रवर्तन निदेशालय के मामले में एसएलपी (आपराधिक) संख्या 11141/2024 में दिनांक 04.10.2024 को पारित आदेश, दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि कोई अनुसूचित अपराध नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या 5890/2024 में दिनांक 17.05.2024 को पारित उपरोक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने 07.08.2024 को पुष्टि कर दी है (सौम्या चौरसिया (उपरोक्त) में दो-न्यायाधीशों की पीठ के विपरीत)। ईडी के मामले का सार यह है कि सूर्यकांत तिवारी एक अभिकथित जबरन वसूली रैकेट चलाने में शामिल थे, जिसमें कोयला खदानों से कोयले के परिवहन के लिए प्रति मीट्रिक टन 25 रुपये की राशि जबरन वसूली जाती थी। हालाँकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि जबरन वसूली का अपराध अर्थात् आई. पी. सी. की धारा 384 को बेंगलुरु पुलिस द्वारा उचित अन्वेषण के पश्चात् हटा दिया गया था। यहां तक कि ईओडब्ल्यू, रायपुर ने भी 45 नहीं किया। रायपुर ने 17.01.2024 को दर्ज की गई अपनी एफआईआर में आईपीसी की धारा 384 शामिल नहीं की। ईडी का आरोप है कि इस मामले में कुल सबूत लगभग 540 करोड़ रुपये हैं, जबकि रायपुर की एसीबी/ईओडब्ल्यू का आरोप है कि यह राशि लगभग 318 करोड़ रुपये है। ये आंकड़े तथ्यों या कानून के आधार पर निराधार हैं। अन्वेषण एजेंसी, अधिक से अधिक, केवल अपने पास मौजूद सामग्री के आधार पर ही आरोप लगा सकती थी, अर्थात् एजेंसी द्वारा दर्ज किए गए बयानों में व्यक्तियों द्वारा उल्लिखित राशि, जो कि 25-30 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। सूर्यकांत तिवारी के बयानों के अनुसार, वह 2004-2005 से कोयला परिवहन के व्यवसाय में थे। 2013 में उन्हें अदानी समूह के नियंत्रण वाली पीकेसीएल से कोयला परिवहन का ठेका मिला और वे 2013 से अदानी समूह के साथ काम कर रहे हैं। अपीलकर्ता एक डायरी रखता था और उसमें काल्पनिक/फर्जी और कुछ वास्तविक प्रविष्टियाँ लिखता था, ताकि अगर कोई उसके व्यवसाय को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे तो वह



उनका इस्तेमाल कर सके। 2018 में छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार परिवर्तन के बाद, उसने विधायकों और अन्य अधिकारियों से संपर्क किया और उनके नाम और अन्य विवरण उस डायरी में लिखे, जिसका इस्तेमाल वह अपने व्यवसाय को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने पर करता, लेकिन अपीलकर्ता ने वास्तव में कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। ईडी द्वारा सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ जिन कथित सामग्रियों पर भरोसा किया जा रहा है, चाहे वे सह-आरोपियों के बयान हों या कथित डायरी प्रविष्टियाँ, वे साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं।

55. श्री मिश्रा ने आगे कहा कि इस मामले में पीएमएलए की धारा 50 के तहत सह-आरोपियों द्वारा दिए गए झूठे बयानों की पुष्टि करने वाली कोई सामग्री नहीं है। सह-आरोपी का बयान अत्यंत कमजोर साक्ष्य है और इसे अन्य सह-आरोपियों के विरुद्ध ठोस साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता। अतः, सूर्यकांत तिवारी के विरुद्ध आरोपों को पुष्टि करने के लिए ईडी द्वारा पीएमएलए की धारा 50 के अंतर्गत जिन सभी बयानों पर भरोसा किया जा रहा है, वे अस्वीकार्य हैं। ईडी ने दावा किया है कि उक्त बयान स्वीकार्य हैं क्योंकि पीएमएलए की धारा 50 के तहत कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही है। हालांकि, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के इस तर्क का कोई जवाब नहीं दिया है कि चूंकि ईडी द्वारा जिन धारा 50 के बयानों पर भरोसा किया जा रहा है, वे सह-आरोपियों के हैं, इसलिए वे ठोस सबूत नहीं हैं। इसके अलावा, ईडी ने इन बयानों की पुष्टि करने के लिए कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं की है। इसके अलावा, केवल डायरी प्रविष्टियों को साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है तथा वे विधि में अस्वीकार्य हैं, विशेष रूप से उनकी विश्वसनीयता के स्वतंत्र साक्ष्य के बिना। जबकि ईडी ने स्वीकार किया है कि डायरी प्रविष्टियों का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि उनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जाती है, इसने केवल यह कहा है कि ईडी ने वॉट्सऐप चैट, धारा 50 पीएमएलए बयानों, विक्रय विलेख दस्तावेज, बैंक लेनदेन के विरुद्ध डायरी प्रविष्टियों का विश्लेषण किया है। हालांकि, प्रतिवादी/ईडी ने कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है या यह नहीं बताया है कि उक्त दस्तावेज के साथ किस तरह या किस डायरी प्रविष्टि की पुष्टि की गई है।

56. श्री मिश्रा ने आगे कहा कि पी. एम. एल. ए. की धारा 2 (1) (ए) के अनुसार, जो ए. ए. को परिभाषित करती है, जिसे धारा 6 (1) तथा (2) पी. एम. एल. ए. के साथ पढ़ा जाता है, ए. ए. में अनिवार्य रूप से एक अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य होने चाहिए, जहां एक-एक सदस्य विधि, प्रशासन, वित्त या लेखा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा। इस प्रकार, ए. ए. का गठन करने के लिए कुल मिलाकर 3 व्यक्ति होने चाहिए। वर्तमान में, पीएमएलए की धारा 6 के तहत गठित एए में विधि के क्षेत्र से बाहर का केवल एक सदस्य शामिल है, जो कार्यवाहक अध्यक्ष भी है। इसलिए, न्यायालय द्वारा या उसके समक्ष कार्यवाही का संचालन पूर्णतः अधिकार क्षेत्र से बाहर और न्यायालय के समक्ष कार्यवाही न करने के कारण अवैध है। चूंकि संबंधित ओसी में कार्यवाही केवल सदस्य (वित्त) द्वारा एकल सदस्य के रूप में की गई है, इसलिए धारा 6 के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। यह सर्वविदित है कि यदि आदेश देने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं था, तो ऐसा आदेश निरर्थक होगा। इस मामले में, विशेषकर पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित विशुद्ध विधिक प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक था। यह विधि में सर्वविदित है कि यदि किसी न्यायाधिकरण के



समक्ष किसी वैधानिक प्रावधान या नियम की व्याख्या का प्रश्न उठता है, तो उस मामले की सुनवाई और निर्णय कम से कम एक न्यायिक सदस्य वाली पीठ द्वारा किया जाना चाहिए। पीएमएलए के तहत गठित एए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मंच नहीं है। एए का प्रशासनिक नियंत्रण वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के पास है, जो वही विभाग/मंत्रालय है जिसका ईडी पर भी सीधा प्रशासनिक नियंत्रण है, जो एए के समक्ष मुकदमे में शामिल पक्षों में से एक था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार, राज्य को कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे।

57. उपरोक्त के अतिरिक्त, अपीलकर्ता कैलाश तिवारी के संबंध में, श्री मिश्रा ने प्रस्तुत किया कि क्रमांक 9, 52, 67 और 68 पर उल्लिखित संपत्तियां, हालांकि अपीलकर्ता द्वारा खरीदी और स्वामित्व में थीं, इस आधार पर कुर्क की गई हैं कि ये कथित तौर पर सूर्यकांत तिवारी द्वारा अधिग्रहित पीओसी से संबंधित संपत्तियां हैं। संबंधित अचल संपत्तियां, जिन्हें प्रतिवादी द्वारा दुर्भावनापूर्ण और अनैच्छिक रूप से अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था और बाद में एए द्वारा पुष्टि की गई थी, अपीलकर्ता द्वारा बेदाग और वैध धन से अधिग्रहित की गई थीं, जिनका कथित "अनुसूचित अपराध" या कथित "पीओसी" से कोई संबंध नहीं है, और बाद में कानूनी रूप से एक तीसरे पक्ष को बेच दी गई थीं। उक्त संपत्तियों का भुगतान विधिवत बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया गया था और इसकी जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों को विधिवत दी गई थी, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की अवैधता नहीं हो सकती है। उक्त संपत्तियों की बिक्री के बाद विधिवत निष्पादित दस्तावेजों के माध्यम से भुगतान भी विधिवत बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त किया गया था। इसमें अपीलार्थी, जो ओ. सी. में प्रतिवादी नहीं है, को उक्त ओ. सी./आपत्ति का जवाब दाखिल करने तथा ए. ए. के समक्ष कोई दस्तावेज पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था, जो उक्त संपत्तियों की क्रय हेतु धन के स्रोत की वैधता तथा उसी की विक्रय पर धन की प्राप्ति को स्थापित करता है। उक्त संपत्तियाँ अपीलार्थी द्वारा मैसर्स आई. एम. आई. पी. एल. को पहले ही बेच दी गई हैं तथा इस प्रकार, अपीलार्थी अब उक्त संपत्तियों के कब्जे में नहीं है।

58. अपीलकर्ता रजनीकांत तिवारी के संबंध में, क्रमांक 14, 22-23, 28, 40-43 और 70 पर स्थित संपत्तियां और क्रमांक 18-19 और 27 पर स्थित संपत्तियां मेसर्स रिद्धि सिद्धि बिल्डकॉन के स्वामित्व में थीं, जिसमें रजनीकांत तिवारी भागीदार थे, और क्रमांक 26 पर स्थित संपत्ति मेसर्स महाराज मोर्ध्वज मेघा प्रोजेक्ट्स के स्वामित्व में थी, जिसमें अपीलकर्ता भागीदार थे। हालांकि ये संपत्तियां रजनीकांत तिवारी द्वारा खरीदी और स्वामित्व में थीं, लेकिन इन्हें इस आधार पर कुर्क किया गया है कि ये कथित तौर पर सूर्यकांत तिवारी द्वारा अधिग्रहित पीओसी से संबंधित संपत्तियां हैं। 59. जहाँ तक अपीलार्थी-सूर्यकांत तिवारी का संबंध है, क्र. सं. में उल्लिखित संपत्तियाँ। संख्या 6-70 को इस आधार पर कुर्क किया गया है कि ये कथित रूप से अपीलार्थी द्वारा अर्जित पी. ओ. सी. के संबंध में संपत्तियां हैं। इस बात से पूरी तरह इनकार किया जाता है कि उपरोक्त संपत्तियों में से कोई भी अपीलार्थी द्वारा अर्जित पी. ओ. सी. के संबंध में संपत्तियां हैं। इसके अलावा इस बात से पूरी तरह इनकार किया जाता है कि अपीलार्थी ने कोई पी. ओ. सी. प्राप्त किया है, प्राप्त किया है या प्राप्त किया है, जैसा कि अभिकथित गया है या अन्यथा। जैसा कि संबंधित ओसी में निहित इन संपत्तियों के विवरण



से स्पष्ट है, इनमें से कई संपत्तियां अपीलकर्ता के स्वामित्व में भी नहीं हैं और वास्तव में, अन्य व्यक्तियों के नाम पर विधिवत पंजीकृत हैं, जो अलग-अलग कानूनी संस्थाएं/व्यक्ति हैं। उदाहरण हेतु, (ए) क्रमांक 6 और 66 पर स्थित संपत्तियां नवनीत तिवारी के स्वामित्व में थीं। (बी) क्रमांक 7 पर स्थित संपत्ति नवनीत तिवारी के स्वामित्व में थी और आभिका तिवारी (सी) क्रमांक 8 पर स्थित संपत्ति सोनाली दुबे के स्वामित्व में थी। (डी) क्रमांक 9, 52 और 67-68 पर स्थित संपत्तियां कैलाश तिवारी के स्वामित्व में थीं। (ई) क्रमांक 10-12 पर स्थित संपत्तियां शेष चरण तिवारी के स्वामित्व में थीं। (एफ) क्रमांक 13 पर स्थित संपत्ति मेसर्स ए.ए. बिल्डकॉन (साझेदार अविनाश पांडे) के स्वामित्व में थी। (जी) क्रमांक 14, 22-23, 28, 40-43 और 70 पर स्थित संपत्तियां रजनीकांत तिवारी के स्वामित्व में थीं। (एच) क्रमांक 15-16, 44-46 और 63-64 पर स्थित संपत्तियां दिव्या तिवारी (आई) के स्वामित्व में थीं। क्रमांक 17 और 25 पर स्थित संपत्तियां लक्ष्मीकांत तिवारी (जे) के स्वामित्व में थीं। क्रमांक 18-19 और 27 पर स्थित संपत्तियां मेसर्स रिद्धि सिद्धि बिल्डकॉन के स्वामित्व में थीं, जिसमें रजनीकांत तिवारी भागीदार थे। (के) क्रमांक 24 पर स्थित संपत्ति उत्कर्ष तिवारी (एल) के स्वामित्व में थी। क्रमांक 26 पर स्थित संपत्ति मेसर्स महाराज मोर्ध्वज मेघा प्रोजेक्ट्स के स्वामित्व में थी, जिसमें रजनीकांत तिवारी साझेदार थे। (एम) क्रमांक 47-48 पर स्थित संपत्तियां मुकुट दुबे (एन) के स्वामित्व में थीं। क्रमांक 50-51 पर स्थित संपत्तियां फूल दुबे के स्वामित्व में थीं।

60. अतः, अपीलकर्ता सूर्यकांत तिवारी का उपरोक्त संपत्तियों से कोई संबंध नहीं है और इस प्रकार, इन संपत्तियों की खरीद/अधिग्रहण के लिए धन के स्रोत या साधन, विधि या ढंग की व्याख्या केवल उक्त तृतीय पक्ष ही कर सकते हैं, न कि अपीलकर्ता। अपीलार्थी केवल शेष संपत्तियों से संबंधित है जो अपराध की अभिकथित अवधि से समस्त पहले खरीदी गई हैं तथा इस प्रकार, अभिकथित पीओसी से अर्जित या व्युत्पन्न नहीं की जा सकती थीं: अर्थात् (ए) क्रमांक 49, 56-62 और 69 पर स्थित संपत्तियां अपीलकर्ता के स्वामित्व में थीं। (बी) क्रमांक 53 पर स्थित संपत्ति आर्यन तिवारी (सूर्यकांत तिवारी के नाबालिग पुत्र) (सी) के स्वामित्व में थी। क्रमांक 54-55 पर स्थित संपत्तियां आनवी तिवारी (सूर्यकांत तिवारी की नाबालिग पुत्री) (डी) के स्वामित्व में थीं। क्रमांक 20-21 पर स्थित संपत्तियां मेसर्स एस.एस. बिल्डर डेवलपर्स के स्वामित्व में थीं, जिसमें अपीलकर्ता भागीदार है। (ई) क्रमांक 29-39 पर स्थित संपत्तियां मेसर्स मां मदवारानी कोल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में थीं, जिसके अपीलकर्ता निदेशक हैं। (एफ) क्रमांक 65 पर स्थित संपत्ति आदिलक्ष्मी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में थी, जिसके अपीलकर्ता निदेशक हैं।

61. क्रमांक 69 पर स्थित संपत्ति के संबंध में, यह बताना महत्वपूर्ण है कि उक्त संपत्ति 04.08.2022 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से मेसर्स आईएमआईपीएल को बेची गई थी। यद्यपि उक्त संपत्ति 09.12.2022 के विषयगत पीएओ से पहले बेची जा चुकी थी, इसके बावजूद ईडी ने इस संपत्ति को अपीलकर्ता के हाथों में गलत तरीके से कुर्क कर लिया है। अपीलकर्ता की जानकारी के अनुसार, क्रमांक 70 वाली संपत्ति के मामले में भी यही स्थिति है, जिसे 22.08.2022 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से मेसर्स आईएमआईपीएल को बेच दिया गया था।



इसके अलावा, और ईडी के स्वयं के मामले के अनुसार, ये सभी संपत्तियां (अर्थात् क्रमांक 6-70) वर्तमान में (और पीएओ पारित होने और संबंधित ओके दाखिल होने से पहले भी) मेसर्स इंदरमणि मिनरल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (क्रम संख्या 6-28, 40-70) या मेसर्स केजेएसएल कोल एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड (क्रम संख्या 29-39) के स्वामित्व में हैं। इस प्रकार, अपीलकर्ता का इन संपत्तियों से कोई संबंध नहीं है, और कथित रूप से अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त पीओसी के संबंध में इन्हें गलत तरीके से कुर्क किया जा रहा है। इसके अलावा, अपीलकर्ता की जानकारी के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपीलकर्ता या उसके किसी भी कथित 'बेनामीदार' के विरुद्ध बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत कोई कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। इसलिए, इस आधार पर संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई कि वे कथित रूप से अपीलकर्ता के स्वामित्व में हैं, पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर और निराधार है, साथ ही इसमें कोई योग्यता या सार भी नहीं है। बाकी प्रस्तुतियाँ वही रहती हैं जो ऊपर दी गई हैं।

62. अपने तर्कों के समर्थन में, अपीलकर्ताओं के अन्य अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तथ्यों के अतिरिक्त, श्री मिश्रा निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा करते हैं: हरिचरण कुर्मी बनाम बिहार राज्य {ए. आई. आर 1964 SC 1184}, संजय जैन बनाम ईडी {2024 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 656}, हाइग्रो केमिकल्स फार्माटिक प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य {WP 34238/2022}, एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ {(1997) 3 एस. सी. सी. 261}, भारत संघ बनाम मद्रास बार एसोसिएशन {(2010) 11 एस. सी. सी. 1}, स्विस रिबन्स (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ {(2019) 4 एस. सी. सी. 17}।

63. अपीलकर्ता (एमए संख्या 80/2025-समीर विशनोई) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभुदय त्रिपाठी ने बताया कि 11.10.2022 को पीएमएलए की धारा 17 के तहत अपीलकर्ता के आवासीय परिसर में तलाशी और जब्ती की गई, जो 12.10.2022 तक जारी रही। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न वस्तुएं और संपत्तियां जब्त की गईं, जिनमें 47,03,900 रुपये नकद, लगभग 2,50,00,000 रुपये का सोना और जमीन/अचल संपत्तियां शामिल हैं। श्री त्रिपाठी ने कहा कि ईडी द्वारा पीएमएलए की धारा 5 के तहत विश्वास का कारण ठीक से दर्ज नहीं किया गया है। पीएमएलए की धारा 8 के तहत जांच अधिकारी द्वारा विश्वास का कारण अलग से और स्वतंत्र रूप से दर्ज किया जाना था। इसके अलावा, जांच अधिकारी/जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए विश्वास के कारण को कारण बताओ नोटिस के साथ अपीलकर्ता को सूचित किया जाना था, जो इस मामले में नहीं है। अपीलकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया और पीएओ जारी करने में लगभग 60 दिनों की देरी हुई। यहां तक कि अपीलकर्ता न्यायाधिकरण भी यह समझने में विफल रहा कि जब्त की गई संपत्तियां वैध संपत्तियां हैं क्योंकि इसमें कोई प्रमाण पत्र शामिल नहीं है।

64. श्री त्रिपाठी ने निवेदन किया है कि अपीलकर्ता समीर विशनोई एक प्रतिष्ठित आईएएस अधिकारी हैं और उनका कोई आपराधिक या अनुशासनात्मक रिकॉर्ड नहीं है। अपीलकर्ता ने वर्ष 2009 में एलबीएसएनए में सेवा प्रशिक्षण में शामिल होने के समय ही विभाग को सोने सहित



अपनी संपत्तियों की घोषणा कर दी थी। अपीलकर्ता का सूर्यकांत तिवारी के कथित गिरोह से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा, यह विनम्रतापूर्वक निवेदन किया जाता है कि अपीलकर्ता चल संपत्ति का स्वामी है, अर्थात् लगभग 500 ग्राम सोने के आभूषण। और यह संपत्ति भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अभिलेखों में पहले से ही दर्ज है। शेष चल और अचल संपत्तियां अपीलकर्ता की पत्नी और परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों की हैं, और उन्होंने इनके स्रोत के बारे में पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है। अपीलकर्ता द्वारा 2009 में एलबीएसएनए में सेवा में शामिल होने के समय 500 ग्राम से अधिक सोने की घोषणा करने के बावजूद, जिसे जांच प्राधिकरण द्वारा अवैध रूप से 'पीओसी' माना गया था, और अपीलीय न्यायाधिकरण ने भी विवादित आदेश में इसके लिए कोई वैध कारण बताए बिना इसकी पुष्टि की। अन्वेषण प्राधिकारी द्वारा कुर्क की गई संपत्ति/संपत्तियां अपीलकर्ता की पत्नी द्वारा अपनी वैध आय से खरीदी गई हैं और न तो इनका कोई प्रमाण है और न ही ये किसी आपराधिक गतिविधि से जुड़ी हैं, मूल अपराधों से तो बिलकुल भी नहीं। इसके अलावा, जांच प्राधिकारी का कहना है कि कुर्क की गई उक्त संपत्ति/संपत्तियां अपीलकर्ता की हैं और अपीलकर्ता उक्त संपत्ति/संपत्तियों के स्रोत के बारे में स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहा है। हालांकि, उक्त संपत्ति/संपत्तियों के संबंध में यह निवेदन किया जाता है कि उक्त संपत्ति/संपत्तियों से अपीलकर्ता का कोई संबंध नहीं है क्योंकि ये उसकी पत्नी और परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों की हैं, जो विभिन्न पारिवारिक व्यवसायों से वैध आय के माध्यम से अर्जित की गई हैं। जिस प्रकार से कुर्की अपीलकर्ता के नाम पर दिखाई गई है, उससे स्पष्ट रूप से जांच प्राधिकारी की पूर्व नियोजित मानसिकता झलकती है कि वे अपीलकर्ता के खिलाफ मामला बनाकर उसे गिरफ्तार करना चाहते थे, जिसे उन्होंने 12.10.2022 को अपीलकर्ता की गिरफ्तारी करके हासिल कर लिया। इसके अलावा, अपीलीय न्यायाधिकरण इस तथ्य को समझने में घोर विफल रहा है कि ईडी ने अपीलकर्ता के 500 ग्राम सोने को भी जब्त कर लिया है, जिसे अपीलकर्ता ने वर्ष 2009 में एलबीएसएनए के समक्ष पहले ही घोषित/खुलासा कर दिया था। इसलिए इसे किसी भी तरह से पीएमएलए की धारा 3 के तहत "अपराध की आय" नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए, अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपील को खारिज करते हुए और अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दलीलों पर कोई टिप्पणी किए बिना, न्यायाधिकरण के समान यांत्रिक आदेश पारित कर दिया है। यह निवेदन किया जाता है कि कथित अपराध के घटित होने से पहले अर्जित संपत्तियां पीएमएलए की धारा 3 के तहत पीओसी नहीं हैं। माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने समतुल्य मूल्य की अवधारणा को उसकी वैधानिक सीमाओं से परे गलत तरीके से लागू किया है। "संभावित स्वामित्व प्रमाण पत्र" की परिभाषा में "समकक्ष मूल्य" वाक्यांश केवल तभी लागू होता है जब वास्तविक स्वामित्व प्रमाण पत्र भारत से बाहर ले जाया गया हो या रखा गया हो। यदि ऐसा कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है, तो असंबंधित संपत्ति की कुर्की कानूनी रूप से अमान्य है।

65. अपने तर्कों के समर्थन में, अन्य अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के अतिरिक्त, श्री त्रिपाठी दिल्ली उच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा करते हैं:



एक्सिस बैंक बनाम प्रवर्तन निदेशालय {(2019) एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 8254}, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम प्रवर्तन निदेशालय {(2020 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 2450}, जे.के. टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम प्रवर्तन निदेशालय {2021 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 4836}, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का कुमार पप्पू सिंह बनाम भारत संघ {(2021) एससीसी ऑनलाइन एपी 983} और पटना उच्च न्यायालय का एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बनाम भारत संघ {2021 एससीसी ऑनलाइन पटना 4222}।

66. दूसरी ओर, प्रतिवादी/ईडी की ओर से पेश होने वाले विद्वान विशेष अभियोजक डॉ. सौरभ कुमार पांडे इन अपीलों हेतु विरोध करते हैं तथा प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत तथा उचित है तथा इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सूर्यकांत तिवारी और उनके सहयोगियों के परिसरों पर आयकर विभाग द्वारा की गई तलाशी और ज़ब्ती तथा आयकर विभाग की जांच के दौरान हस्तलिखित डायरियों, कागज़ों और डिजिटल साक्ष्यों के रूप में विभिन्न प्रमाण एकत्र किए गए। ये प्रमाण सूर्यकांत तिवारी, उनके सहयोगियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा संचालित और समन्वित एक गिरोह से संबंधित नकद लेन-देन से जुड़े हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भर में कोयले की ढुलाई और परिवहन करने वाली विभिन्न संस्थाओं से एसईसीएल द्वारा जारी डिलीवरी ऑर्डर के तहत निर्धारित कानूनी राशि से अधिक अनधिकृत नकद राशि एकत्र की जा रही थी। कर्नाटक राज्य पुलिस, काडुगोडी पुलिस थाना, व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु द्वारा सूर्यकांत तिवारी स्टाॅ स्वर्गीय श्री शशि भूषण तिवारी, निवासी 102 तथा 103, एक्सोटिका ग्रैंड, के विरुद्ध टीवी टॉवर, रायपुर-492001 तथा अन्य के सामने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 186, 204, 353, 384 तथा 120 बी के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि आई. पी. सी. की धारा 384 को कर्नाटक राज्य पुलिस द्वारा आवेदन दिनांक 03.09.2022 के माध्यम से एफ. आई. आर. में जोड़ा गया था। इसके बाद, ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू., रायपुर, छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसी मामले में अपीलकर्ताओं तथा अन्य आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध आई. पी. सी. की धारा 420, 120 बी तथा पी. सी. अधिनियम, 1988 (संशोधित) की धारा 7, 7 ए तथा 12 के तहत अपराध संख्या 17.01.2024 दिनांकित 17.01.2024 वाली एक एफ. आई. आर. दर्ज की है। चूंकि आई. पी. सी. की धारा 420, 120 बी तथा पी. सी. अधिनियम, 1988 की धारा 7, 7 ए तथा 12 पी. एम. एल. ए. के तहत अनुसूचित अपराध हैं, इसलिए उक्त एफ. आई. आर. को एक परिशिष्ट जारी करके ई. सी. आई. आर. में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा, सीबीडीटी का कार्यालय ज्ञापन एफ. संख्या 289/ईडी/36/2022-आईटी (जांच II) दिनांक 13.09.2022, जिसका विषय 'रेपाइप के जय अम्बे समूह (सूर्यकांत तिवारी समूह) के मामले में ईडी के साथ सूचना साझा करना' है, डीजीआईटी जांच भोपाल की रिपोर्ट के आधार पर प्राप्त हुआ है। ओ. एम. ने बेंगलुरु पुलिस द्वारा डी. डी. आई. टी. एफ. ए. आई. यू. इकाई-1 बेंगलुरु की शिकायत पर दर्ज एक एफ. आई. आर. संलग्न की। सीबीडीटी के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, यह सूचित किया गया है कि सूर्यकांत तिवारी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके आईपीसी की धारा 384 और 120 बी के तहत दंडनीय बड़े पैमाने पर अवैध जबरन वसूली के अपराध कर रहे थे और पीएमएलए की धारा 3 के उल्लंघन के लिए ईडी द्वारा इस मामले की जांच की आवश्यकता है। तदनुसार, दिनांक 29.09.2022 को ईसीआईआर



संख्या ईसीआईआर/आरपीजेडओ/09/2022 के तहत ईसीआईआर दर्ज किया गया। रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी के अनुसार, यह पता चला कि एसईसीएल आदि खानों और अन्य स्थानों से परिवहन किए गए कोयले के प्रत्येक टन पर 25 रुपये का अवैध शुल्क वसूला जा रहा था। लेवी की यह अवैध जबरन वसूली राज्य के खनन अधिकारियों, जिला अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत से तथा कोयला क्षेत्र में तैनात एजेंटों के एक विस्तृत नेटवर्क का उपयोग करके तथा प्रशासन के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखते हुए की जा रही थी। अवैध शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् ही वितरण आदेश (डी. ओ.) जारी किए गए थे। यह जबरन वसूली सिंडिकेट एक सुनियोजित षड़यंत्र में चलाया जा रहा था। श्री सूर्यकांत तिवारी को छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया, आईएएस समीर विश्‍नोई जैसे राज्य सरकारी अधिकारियों और रजनीकांत तिवारी, रोशन सिंह, निखिल चंद्रकार, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी, हेमंत जायसवाल, जोगिंदर सिंह आदि जैसे सहयोगियों का सहयोग प्राप्त था। इस प्रकार एकत्रित धन का उपयोग सरकारी कर्मचारियों और राजनेताओं को रिश्वत देने के लिए किया जा रहा था। इस धन का एक हिस्सा चुनाव खर्च के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा था। अब तक की अन्वेषण से यह भी पता चला है कि इस धन का एक बड़ा हिस्सा कई स्तरों के लेन-देन में लगाया गया है ताकि इसे बेदाग धन के रूप में दिखाया जा सके और संपत्तियों और कोयला वाशरी आदि के अधिग्रहण में निवेश करके इसे मुख्यधारा में लाया जा सके। ईडी की अन्वेषण में पता चला कि छत्तीसगढ़ के खनन और भूविज्ञान निदेशालय के तत्कालीन निदेशक समीर विश्‍नोई ने 15.07.2020 को एक पत्र जारी किया था, जिसके अनुसार कोयला परिवहन के लिए ट्रांजिट पास (डीओ) का संबंधित खनन कार्यालय से मैनुअल सत्यापन अनिवार्य था। इस पत्र और डीओ के मैनुअल सत्यापन के निर्देश की आड़ में, सूर्यकांत तिवारी ने अपने सहयोगियों के माध्यम से कोयला परिवहन के लिए 25 रुपये प्रति टन की उगाही शुरू कर दी। सूर्यकांत तिवारी ने छत्तीसगढ़ राज्य के उन जिलों में अपने कई सहयोगियों को तैनात किया, जहां से एसईसीएल द्वारा कोयला खनन किया जाता था। इन लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय और अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क स्थापित किया। सूर्यकांत तिवारी के सहयोगियों को 25 रुपये प्रति टन कोयला नकद भुगतान किए बिना, कलेक्ट्रेट कार्यालय में संबंधित खनन अधिकारी आवश्यक ट्रांजिट पास जारी नहीं करते थे। यह सब सूर्यकांत तिवारी द्वारा श्रीमती सौम्या चौरसिया और अन्य सरकारी अधिकारियों के प्रभाव से सुगम बनाया गया/समन्वित किया गया था। सूर्यकांत तिवारी के इन सहयोगियों को परिवहन किए जाने वाले कोयले पर 25 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होते ही, इसकी सूचना खनन अधिकारी को दी जाती थी और उसके बाद परिवहन के लिए डिलीवरी ऑर्डर जारी कर दिए जाते थे। इसके बाद, सूर्यकांत तिवारी के सहयोगी (विभिन्न स्थानों पर तैनात संग्रह एजेंट) कोयला खनन अधिकारी का रिकॉर्ड रखते थे और कोयले पर 25 रुपये प्रति टन के अवैध शुल्क के भुगतान का हिसाब रखते थे। शुल्क वसूलने के बाद, वे इस नकद राशि को संग्रह डेटा के साथ रजनीकांत तिवारी, निखिल चंद्रकार और रोशन कुमार सिंह को सौंप देते थे। सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया और उनके सहयोगियों के कई परिसरों पर पीएमएलए के तहत तलाशी ली गई और कई आपत्तिजनक दस्तावेज/डिजिटल उपकरण और कीमती सामान



जैसे नकदी, आभूषण, सोना आदि बरामद किए गए। जब्त किए गए दस्तावेजों/डिजिटल उपकरणों और पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज बयान के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि इस कोयला कार्टेल ने जुलाई 2020 से जून 2022 की अवधि के दौरान कोयला परिवहन और अन्य करों से जबरन वसूली के माध्यम से लगभग 540 करोड़ रुपये की वसूली की।

67. डॉ. पांडे ने प्रस्तुत किया कि माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण और माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर ध्यानपूर्वक विचार किया और फिर उनके द्वारा उठाए गए तर्कों पर गौर किया गया। इसके बाद, माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ताओं के विरुद्ध पीएओ की पुष्टि करने का आदेश पारित किया गया। अतः, पुष्टिकरण आदेश उचित है, क्योंकि अपीलीय न्यायाधिकरण ने इसे पीएमएलए के प्रावधानों के अनुसार और उचित विचार-विमर्श के बाद ही पारित किया है। डॉ. पांडे का कहना है कि पीएमएलए के तहत जांच अनुसूचित अपराध में एफआईआर दर्ज होने के बाद ही शुरू की गई थी। सूर्यकांत तिवारी और अन्य के खिलाफ कर्नाटक राज्य पुलिस द्वारा दिनांक 12.07.2022 को एफआईआर संख्या 129/2022 दर्ज की गई थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 186, 204, 353, 384 और 120 बी लगाई गई थीं। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि कर्नाटक राज्य पुलिस ने दिनांक 03.09.2022 के आवेदन के माध्यम से एफआईआर में आईपीसी की धारा 384 जोड़ी थी। अतः उक्त एफआईआर के आधार पर प्रतिवादी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच के लिए एक ईसीआईआर दर्ज किया था। इसके अलावा, कर्नाटक पुलिस द्वारा एफआईआर संख्या 129/23 में दायर आरोपपत्र में, आईपीसी की धारा 120 बी के तहत अपराध को हटा दिया गया है, लेकिन आईपीसी की धारा 384 के तहत अपराध को बंद/हटाया नहीं गया है। दिनांक 15.06.2023 को संबंधित न्यायालय में दायर आरोपपत्र में कर्नाटक पुलिस ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि आईपीसी की धारा 384 के तहत अपराध छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ पाया गया है और वे इस मामले को छत्तीसगढ़ पुलिस को सौंप रहे हैं। मामले को छत्तीसगढ़ पुलिस को सौंपने से संबंधित पक्षों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और न ही इससे न्याय में कोई बाधा उत्पन्न हुई है। इसके बाद, 17.01.2024, ACB/EOW, रायपुर, छत्तीसगढ़ 58 पर दिनांक 17.01.2024 को एसीबी/ईओडब्ल्यू, रायपुर, छत्तीसगढ़ पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित) की धारा 7, 7 ए और 12 के तहत अपीलकर्ताओं और उसी मामले में अन्य आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर संख्या 03/2024 दिनांक 17.01.2024 दर्ज की है। इसके अलावा, राज्य के ईओडब्ल्यू द्वारा उक्त एफआईआर में आईपीसी की धारा 384 जोड़ी गई है, जो पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध है। चूंकि एफआईआर में आईपीसी की धारा 420, 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 7 ए और 12 का उल्लेख पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध है, इसलिए उक्त एफआईआर को परिशिष्ट जारी करके ईसीआईआर में भी शामिल किया गया है। यह भी बताया गया है कि राज्य के ईओडब्ल्यू ने इसी मामले में 18.07.2024 को आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसका संज्ञान 19.07.2024 को लिया गया था। इसके अलावा, इसी मामले में ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू. द्वारा 09.10.2024 पर एक पूरक आरोप पत्र भी दायर किया गया था।



68. श्री पांडे ने प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सौम्याचौरासिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय विशेष अनुमति याचिका(आपराधिक) संख्या 8847/2023 में दिनांक 14.12.2023 के अपने निर्णय के कंडिका 26 और 27 में आरोप पत्र और अनुसूचित अपराध की वर्तमान स्थिति के बारे में उपरोक्त समझ को भी बरकरार रखा है।

69. अतः, अनुसूचित अपराध के न होने के संबंध में अपीलकर्ताओं का दावा निराधार है। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता सुनील कुमार अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 17.05.2024 और दिनांक 04.10.2024 के दो आदेशों का हवाला देकर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दोनों आरोपियों को लंबी कारावास अवधि के आधार पर जमानत दी गई थी, न कि अनुसूचित अपराध के न होने के कारण।

70. श्री पांडे ने आगे कहा कि इस न्यायालय ने सीआर.एम.पी संख्या 721/2024 में अनिल तुतेजा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में पारित अपने आदेश में यह स्वीकार किया था कि ईडी को पीएमएलए की धारा 66 के तहत संबंधित एजेंसियों को अपराधों के घटित होने की सूचना साझा करना कानूनी रूप से अनिवार्य है और संज्ञेय अपराध घटित होने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद, पीएमएलए की धारा 66 के तहत ईडी द्वारा साझा की गई सूचना के आधार पर, 17.01.2024 को एसीबी/ईओडब्ल्यू, रायपुर, छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपीलकर्ता और उसी मामले में अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित) की धारा 7, 7 ए और 12 के तहत एफआईआर संख्या 03/2024 दिनांक 17.01.2024 दर्ज की। इसके अलावा, राज्य के ईओडब्ल्यू द्वारा उक्त एफआईआर में आईपीसी की धारा 384 जोड़ी गई है, जो पीएमएलए के तहत एक अनुसूचित अपराध है। यह भी निवेदन किया जाता है कि पीएमएलए, 2002 की धारा 66(2) केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 158(1) और धारा 158(3) के समरूप है, और इसी प्रकार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138(1)(ए)(ii) के समरूप है। इन संबंधित अधिनियमों में पाए जाने वाले ये प्रावधान, संबंधित कानून के तहत अपने कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से अन्य अधिकारियों, प्राधिकरणों या निकायों के साथ सूचना साझा करने का दायित्व निर्धारित करते हैं। इन प्रावधानों में विधायी उद्देश्य एक ही है: अर्थात्, कानून प्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरणों के बीच सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान की अनुमति देना। सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने ए.आर. अंतुले बनाम रामदास श्रीनिवास नायक मामले में (1984) 2 एससीसी 500 में कहा था कि कोई भी व्यक्ति आपराधिक कानून को लागू कर सकता है, सिवाय इसके कि जहां कानून इसके विपरीत संकेत देता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पी. एम. एल. ए. 2002 की धारा 66 (2) का उद्देश्य संवैधानिक पीठ की टिप्पणियों के अनुरूप है।

71. पीएमएलए की धारा 66 के तहत ईडी द्वारा संबंधित एजेंसियों को सूचना साझा करने की वैधता के संबंध में, यह निवेदन किया जाता है कि वर्तमान मामले में अन्वेषण के दौरान, ईडी को कई संज्ञेय अपराधों का पता



चलता है जो छत्तीसगढ़ एसीबी और ईओडब्ल्यू के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, और फिर इस निदेशालय द्वारा पीएमएलए की धारा 66 (2) के तहत एसीबी और ईओडब्ल्यू को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद, एसीबी और ईओडब्ल्यू ने इस जानकारी का स्वतंत्र सत्यापन किया और चूंकि प्रथम दृष्टया एक संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ था, इसलिए एसीबी और ईओडब्ल्यू ने अपने वैधानिक कर्तव्य के तहत एफआईआर संख्या 03/2024 दर्ज की। यह दोहराया जाता है कि इस न्यायालय ने सीआरएमपी संख्या 721/2024 (उपरोक्त) में पारित अपने आदेश में यह स्वीकार किया था कि पीएमएलए की धारा 66 के तहत संबंधित एजेंसियों को अपराधों की सूचना साझा करना ईडी के लिए विधिक रूप से अनिवार्य है और संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। किसी भी न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है; बल्कि, राज्य की कार्यवाही कानून का पूर्ण अनुपालन है।

72. आगे यह निवेदन किया जाता है कि माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने सभी प्रतिवादियों के लिए सामूहिक रूप से विश्वास के कारण बनाए थे। ईएसटी से परिवाद प्राप्त होने पर, ए. ए. को व्यापक रूप से विश्वास के कारण बनाने होते हैं और यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि माननीय प्राधिकारी कारण बताओ नोटिस जारी करने के उस चरण में प्रत्येक प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत सभी सामग्री का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करके उनके संबंध में अपना विचार व्यक्त करे। माननीय ए. ए. ने किए गए अपराध को समग्र रूप से समझा और ओसीएस के सभी प्रतिवादियों के संबंध में सामूहिक रूप से विश्वास के कारण बनाए। इसके अलावा, माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 05.12.2024 के विवादित आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि अलग-अलग विश्वास के कारण देना आवश्यक नहीं है, बल्कि नोटिस के लिए एक साथ दिए जा सकते हैं। अपीलकर्ता या तो आरोपी हैं या उनके पास प्रमाण पत्र (पी. ओ. सी) है, जैसा कि कारण बताओ नोटिस में बताया गया है। अपीलकर्ताओं की जब्त की गई संपत्ति अनुसूचित अपराध के घटित होने से प्राप्त प्रमाण पत्र से संबंधित है। अपीलकर्ता सौरभ मोदी (एमए संख्या 34/2025 में) छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे शक्तिशाली नौकरशाहों में से एक सौम्या चौरसिया के पति हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य में चल रहे पूरे अवैध कोयला शुल्क घोटाले के मास्टरमाइंड भी हैं। इसके अलावा, सौम्या चौरसिया और सह-आरोपी सूर्यकांत तिवारी को प्राप्त प्रमाण पत्र (पीओसी) को विभिन्न स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से कई अचल संपत्तियों की खरीद में इस्तेमाल किया गया था, जिनमें सौरभ मोदी (इस मामले में अपीलकर्ता) द्वारा सौम्या चौरसिया के बेनामीदार के रूप में धारित संपत्तियां भी शामिल हैं। इसके अलावा, सौम्या चौरसिया द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिका का वर्णन नीचे किया गया है:

- अपीलकर्ता सौरभ मोदी मुख्य आरोपी सौम्या चौरसिया का पति है। सौम्या चौरसिया छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा की अधिकारी हैं, जो अंतिम बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर तैनात थीं और मुख्यमंत्री की सहायक सचिव के रूप में कार्यरत थीं। सौम्या चौरसिया का राज्य के पूरे नौकरशाही तंत्र पर मजबूत नियंत्रण था और वे अधिकारियों को गैर-कानूनी निर्देश दे सकती थीं। वे श्री सूर्यकांत तिवारी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई थीं। ईडी को पता चलता है कि सूर्यकांत तिवारी विभिन्न वरिष्ठ नौकरशाहों के संपर्क में



थे। बातचीत की जांच से पता चलता है कि अधिकांश नौकरशाह अपने अधिकार क्षेत्र की घटनाओं की जानकारी सूर्यकांत तिवारी को देते थे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि सौम्या चौरसिया ही सूर्यकांत के पीछे असली ताकत थीं। वही अन्य नौकरशाहों पर श्री सूर्यकांत तिवारी के प्रभाव का स्रोत थीं। श्री सूर्यकांत तिवारी मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे और सौम्या चौरसिया से जिला स्तरीय आईएस/आईपीएस अधिकारियों को अनौपचारिक निर्देश प्राप्त करते और पहुंचाते थे। सूर्यकांत तिवारी उनके तथा राज्य के नौकरशाहों मध्य सुरक्षा की परत थे। ये आईएस/आईपीएस अधिकारी कोयला कार्टेल द्वारा अवैध कर वसूली के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान कर रहे थे। यह अवैध अधिकार उन्हें जिला तंत्र पर नियंत्रण रखने और कोयला परिवहन से 25 रुपये प्रति टन का अवैध कर वसूलने में सक्षम बनाता था। उनकी सहमति के बिना जिला तंत्र द्वारा कोई भी एनओसी जारी नहीं की जाती थी। उसे कंपनी ने अपने अनौपचारिक लेन-देन और अपनी ओर से की गई कार्रवाइयों के परिणामों से खुद को बचाने के लिए नियुक्त किया था।

- कोयला कार्टेल के लिए सौम्या चौरसिया द्वारा किए गए उपरोक्त कृत्यों के लिए, सौम्या चौरसिया के लिए पीओसी का एक हिस्सा सूर्यकांत तिवारी द्वारा किसी मनीष उपाध्याय के माध्यम से स्थानांतरित किया जा रहा था। मनीष उपाध्याय सूर्यकांत तिवारी के रिश्तेदार और सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी दोनों के करीबी सहयोगी हैं। ईडी की अन्वेषण से यह साबित हुआ है कि मनीष उपाध्याय को सौम्या चौरसिया के फ्लैट के ठीक सामने वाले फ्लैट में रखा गया था और वह सौम्या चौरसिया के लाभ के लिए नकद के रूप में सबूतों की आवाजाही से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को संभालकर बिचौलिए और कूरियर की भूमिका निभाता था।
- मनीष उपाध्याय ने श्रीमती सौम्या चौरसिया की ओर से सूर्यकांत तिवारी से 30 करोड़ रुपये से अधिक की नकद राशि एकत्र की। श्री मनीष उपाध्याय श्रीमती सौम्या चौरसिया के लिए जमीन खरीदने, फार्म हाउस के लिए दीपेश टॉक को पैसे सौंपने या किसी भी अन्य प्रकार के अवैध काम के लिए सभी प्रकार के नकद लेनदेन का प्रबंधन भी करते थे। सूर्यकांत के दल सौम्या चौरसिया को किए गए सभी भुगतानों का अभिलेख रखती थी, जिनमें से अधिकांश भुगतान मनीष उपाध्याय के नाम पर एमयू कोडनेम से किए जाते थे। मनीष उपाध्याय और सूर्यकांत तिवारी के कर्मचारियों के बीच व्हाट्सएप पर कई चैट हुई थीं, जिनमें सौम्या चौरसिया के लिए उन्हें पैसे ट्रांसफर करने के बारे में चर्चा हुई थी।
- धन के लेन-देन का अन्वेषण और उसी अवधि के दौरान सौम्या चौरसिया के परिवार के सदस्यों के नाम पर किए गए भूमि सौदों, दर्ज बयानों, जब्त डायरियों और व्हाट्सएप चैट से यह स्पष्ट रूप से साबित हो गया है कि सूर्यकांत तिवारी से मनीष उपाध्याय के माध्यम से सौम्या चौरसिया को हस्तांतरित अवैध नकदी में छोटी-छोटी चेक राशियां शामिल थीं और इस धन का उपयोग सौम्या चौरसिया द्वारा अपीलकर्ता सौरभ मोदी (सौम्या चौरसिया के पति), श्रीमती शांति देवी चौरसिया (सौम्या चौरसिया की माता), श्री अनुराग चौरसिया (सौम्या चौरसिया के चचेरे भाई) और अन्य बेनामीदारों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया था।



73. विचाराधीन संपत्ति के संबंध में, यह निवेदन किया जाता है कि आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई डायरी (बीएस-41) के पृष्ठ 16 पर दर्ज प्रविष्टियों से पता चलता है कि दुर्ग में भूमि की खरीद के लिए मनीष उपाध्याय को 3 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। इसी डायरी के पृष्ठ 19 (पीछे की ओर) पर इस प्रविष्टि का स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसमें उल्लेख है कि मनीष उपाध्याय को भूमि सौदों के लिए कुल 5 करोड़ रुपये नकद दिए गए थे; जिसमें से 2 करोड़ रुपये सेवती भूमि के लिए और 3 करोड़ रुपये जेवरा की भूमि के लिए हैं, अर्थात् यहाँ चर्चाधीन भूमि, जिसे श्रीमती सौम्या चौरसिया के पति श्री सौरभ मोदी के नाम पर खरीदा गया है। यह उल्लेख करना उचित है कि सौरभ मोदी के नाम पर जेवरा गांव में भूमि का पंजीकरण 18.02.2022 को हुआ था। पंजीकरण की तिथि जब्त किए गए दस्तावेजों में उल्लिखित नकद हस्तांतरण की तिथि से मेल खाती है

74. उपरोक्त के आलोक में यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता सौरभ मोदी के नाम पर धारित संपत्तियां सौम्या चौरसिया के लिए बेनामी रूप से धारित थीं और ये सभी अपीलकर्ता सौरभ द्वारा धारित अचल संपत्तियों में प्रत्यक्ष स्वामित्व अधिकार (पीओसी) के हस्तांतरण का परिणाम थीं।

75. जहां तक अपीलकर्ता शांति देवी चौरसिया {एमए संख्या 35/2025 में} का संबंध है, वह सौम्या चौरसिया की माता हैं। नकदी का इस्तेमाल दो स्तरों पर किया गया। पहला, इन संपत्तियों की खरीद के लिए चेक भुगतान अनुराग चौरसिया द्वारा "अमीर" व्यक्ति से असुरक्षित ऋण के बहाने किया गया था। दूसरा, चौरसिया परिवार के नाम पर संपत्तियों की खरीद के लिए भुगतान की गई राशि से अधिक नकद राशि का भुगतान किया गया था। वास्तविक विक्रय राशि का अधिकांश हिस्सा विक्रेताओं को नकद में और शेष हिस्सा चेक के माध्यम से दिया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुर्क की गई संपत्तियां उनकी बेटी सौरभ चौरसिया द्वारा हस्तांतरित राशि से खरीदी गई थीं। कुछ कुर्क की गई संपत्तियां अपीलकर्ता ने अपने रिश्तेदार अनुराग चौरसिया के साथ संयुक्त रूप से खरीदी थीं। अनुराग चौरसिया ने छोटी सी चेक राशि के लिए मोटेल मधुबन को सब्जियां आपूर्ति करने के बहाने फर्जी खाते बनवाए और बबलू साव से असुरक्षित ऋण लिए। मोटेल मधुबन और बबलू साव से प्राप्त धनराशि वास्तव में श्री अनुराग चौरसिया द्वारा श्रीमती सौम्या चौरसिया द्वारा अर्जित और मनीष उपाध्याय द्वारा रांची भेजी गई अवैध नकदी के बदले में बनवाई गई बैंक खाते थीं। श्री अनुराग चौरसिया के परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में बैंक प्रविष्टियों के रूप में प्राप्त धनराशि को श्री अनुराग चौरसिया और श्रीमती शांति देवी चौरसिया (श्रीमती सौम्या चौरसिया की माता) को असुरक्षित ऋण के रूप में दिया गया और बाद में इसका उपयोग श्री अनुराग चौरसिया और श्रीमती शांति देवी चौरसिया के नाम पर संपत्तियों की खरीद में किया गया। अन्वेषण से पता चलता है कि मामले के मुख्य आरोपियों में से एक सुनील अग्रवाल ने श्रीमती शांति देवी चौरसिया के नाम पर पंजीकृत जमीन का संदिग्ध लेनदेन किया, ताकि वह अपने लिए बैंक बैलेंस बना सके और अपनी बेटी सौम्या चौरसिया द्वारा आगे के जमीन सौदों से प्राप्त अपराध की रकम का इस्तेमाल कर सके। उसने जमीन को अपने रिश्तेदार अनिल अग्रवाल के नाम पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था की। इस सौदे में, हालांकि जमीन की खरीद का पंजीकरण 2 दिसंबर 2021 को किया गया था, लेकिन पंजीकरण के समय केवल 2.27 लाख रुपये की मामूली राशि का भुगतान किया गया था और लगभग पूरी राशि जमीन की



बिक्री के पंजीकरण के बाद भुगतान की गई थी। सुनील अग्रवाल, इंदरमणि ग्रुप से प्रतिवादी को जब भी राशि प्राप्त हुई, तब-तब उसका भुगतान किया गया था। हस्तांतरित राशि को प्रमाण पत्र (पीओसी) के रूप में दर्ज किया गया था। इसके अलावा, यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि आयकर विभाग द्वारा 30.06.2022 को सूर्यकांत तिवारी के परिसर में तलाशी के दौरान इस संपत्ति के मूल विक्रय विलेख बरामद किए गए थे। इस प्रकार, यह फिर से स्पष्ट हो जाता है कि अपीलकर्ता अपनी बेटी सौम्या चौरसिया द्वारा अर्जित प्रमाण पत्र (पीओसी) के निपटान के लिए उसके बेनामीदार के रूप में काम कर रही थी। दीपेश टांक ने धारा 50 के तहत अपने बयान में कहा कि उन्होंने अचल संपत्तियां अपीलकर्ता को बेचीं और श्रीमती सौम्या चौरसिया के परिवार के सदस्यों को बेची गई जमीनों के मूल्य के अतिरिक्त कोई नकद राशि प्राप्त नहीं की। हालांकि, दीपेश टांक के बैंक खातों से पता चला कि जमीन के पंजीकरण से ठीक पहले भारी मात्रा में नकद जमा किए गए थे। दीपेश टांक ने दावा किया कि जमा राशि उनके द्वारा फल और सब्जियां बेचने के कारण थी, लेकिन वे इस बिक्री का बिल/इनवॉइस प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बजाय उन्होंने खरीदारों के नाम और बेची गई मात्रा दर्ज करते हुए एक विक्रय पुस्तिका प्रस्तुत की, लेकिन श्री चंद्रशेखर सिन्हा को छोड़कर बाकी सभी के संपर्क विवरण उनके पास नहीं थे। उन्होंने आगे दावा किया कि इन सभी खरीदारों ने उन्हें केवल नकद भुगतान किया था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि ईडी ने श्रीमती सौरभी चौरसिया द्वारा अपनी माता श्रीमती शांति देवी चौरसिया को हस्तांतरित धनराशि के स्रोत का विश्लेषण किया है और यह पता चला है कि श्रीमती सौरभी चौरसिया द्वारा हस्तांतरित धनराशि विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त हुई थी, जिनमें कोयला परिवहन कंपनियां जैसे कि मेसर्स आरके ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (आरकेटीसी), मेसर्स पृथ्वी रियलकॉन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एमएस पटेल शामिल हैं। यह उल्लेखनीय है कि जांच में पता चला है कि आर के ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और पृथ्वी रियलकॉन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों का इस्तेमाल कोयला कार्टेल द्वारा अवैध नकदी के बदले बैंक लेनदेन में किया जा रहा था। ये कंपनियां सूर्यकांत तिवारी को कोयले पर 25 रुपये प्रति टन की दर से जबरन वसूली भी कर रही थीं। इसके अलावा, मेसर्स एम.एस. पटेल के मालिक मनसुख लाल पटेल सौम्या चौरसिया के बेनामीदार के रूप में कार्य कर रहे हैं और उनके नाम पर पंजीकृत संपत्तियों को पीएओ संख्या 01/2023 दिनांक 29.01.2023 के माध्यम से अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया गया है, जिसकी पुष्टि माननीय एए ने दिनांक 17.07.2023 के आदेश द्वारा भी की है। यह सुस्पष्ट है कि श्रीमती सौरभी चौरसिया द्वारा अपनी माता को हस्तांतरित धनराशि का स्रोत क्या है। शांति देवी चौरसिया की आय उनकी वास्तविक आय नहीं है, बल्कि यह सौम्या चौरसिया द्वारा अवैध रूप से प्राप्त नकद राशि के बदले में की गई फर्जी प्रविष्टियाँ हैं। इस संदर्भ में, जैसा कि ऊपर और ओसी में भी बताया गया है, अनुराग चौरसिया ने विभिन्न संस्थाओं को नकद भुगतान के रूप में छोटी-छोटी चेक राशियाँ जारी कीं और उन्हें असुरक्षित ऋणों के बहाने शांति देवी चौरसिया को हस्तांतरित किया, जिनका उपयोग बाद में संपत्तियाँ खरीदने में किया गया था।

76. श्री अनुराग चौरसिया और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में विभिन्न संस्थाओं जैसे मोटेल मधुबन, बबलू सॉ, उद्योग एचपी गैस एजेंसी आदि से धनराशि प्राप्त हुई है और फिर इन निधियों का उपयोग



श्रीमती शांति देवी चौरसिया और श्री अनुराग चौरसिया के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया है। उपरोक्त धन के लेन-देन की अन्वेषण से पता चला है कि अपराध से प्राप्त लगभग 3.50 करोड़ रुपये मनीष उपाध्याय के माध्यम से रांची स्थित अनुराग चौरसिया को हस्तांतरित किए गए थे। इस अवैध धन को बबलू साव और उद्योग ज्योति एचपी गैस एजेंसी से लिए गए असुरक्षित ऋणों और परिवार के सदस्यों द्वारा मोटेल मधुबन को सब्जियां बेचने के बहाने छिपाया गया था। मोटेल मधुबन और उद्योग ज्योति एचपी गैस एजेंसी के मालिक मनोज कुमार सिन्हा और बबलू साव के बयानों से पता चला कि अनुराग चौरसिया और उनके परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों के साथ किए गए लेनदेन वास्तविक नहीं हैं और अनुराग चौरसिया ने कोयला कार्टेल से प्राप्त नकदी के बदले आवास प्रविष्टियां कराने के लिए इन लेनदेन में हेरफेर किया था। उपरोक्त के अलावा, अपीलकर्ता और उसके संयुक्त साझेदार अनुराग चौरसिया द्वारा अपराध की आय से संपत्तियों के अधिग्रहण में लगाए गए नकद के साक्ष्य को ओसी में स्पष्ट किया गया है। इसके मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि शांति देवी चौरसिया के नाम पर धारित संपत्तियां श्रीमती सौम्या चौरसिया के लिए बेनामी रूप से धारित थीं और ये सभी अपराध की आय के प्रत्यक्ष प्रवाह का परिणाम थीं जो अपीलकर्ता श्रीमती शांति देवी चौरसिया द्वारा धारित अचल संपत्तियों में प्रवाहित हुई थीं। पूर्ववर्ती कंडिका में दिए गए कथनों के आलोक में, सौम्या चौरसिया के लिए बेनामीदार के रूप में वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा धारित संपत्तियां, प्रमाण पत्र होने के नाते, कुर्क की जाने योग्य हैं।

77. अपीलकर्ता अनुराग चौरसिया {एमए संख्या 37/2025} का संबंध है, वह सौम्या चौरसिया का चचेरा भाई है। नकदी का उपयोग दो स्तरों पर किया गया था: पहला, इन संपत्तियों की खरीद के लिए किए गए चेक भुगतान अनुराग चौरसिया द्वारा "अधनहीन" व्यक्ति से असुरक्षित ऋण के बहाने व्यवस्थित किए गए थे; दूसरा, चौरसिया परिवार के नाम पर संपत्तियों की खरीद के लिए विचार राशि के अतिरिक्त नकद राशि का भुगतान किया गया था। विक्रय की अधिकांश राशि विक्रेताओं को नकद में दी गई थी और शेष राशि चेक द्वारा दी गई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुर्क की गई संपत्तियां उनकी बेटी सौरभ चौरसिया द्वारा हस्तांतरित राशि से खरीदी गई थीं। कुछ कुर्क की गई संपत्तियां अपीलकर्ता ने अपने रिश्तेदार अनुराग चौरसिया के साथ संयुक्त रूप से खरीदी थीं। छोटी सी रकम के चेक के बदले, अनुराग चौरसिया ने मोटेल मधुबन को सब्जियाँ सप्लाय करने के बहाने फर्जी खाते बनवाए और बबलू साव से असुरक्षित कर्ज भी लिया। मोटेल मधुबन और बबलू साव से मिली रकम असल में अनुराग चौरसिया द्वारा सौम्या चौरसिया द्वारा अवैध रूप से अर्जित और मनीष उपाध्याय द्वारा रांची भेजे गए पैसे के बदले में बनवाई गई बैंक खाते थे। अनुराग चौरसिया के परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में प्राप्त धनराशि को अनुराग चौरसिया और श्रीमती शांति देवी चौरसिया (श्रीमती सौम्या चौरसिया की माता) को असुरक्षित ऋण के रूप में दिया गया और बाद में इसका उपयोग अनुराग चौरसिया और शांति देवी चौरसिया के नाम पर संपत्तियां खरीदने में किया गया। श्री दीपेश टांक ने धारा 50 के तहत अपने बयान में कहा कि उन्होंने अचल संपत्तियां अपीलकर्ता को बेचीं और श्रीमती सौम्या चौरसिया के परिवार के सदस्यों को बेची गई जमीनों के मूल्य से अधिक कोई नकद राशि प्राप्त नहीं की। दीपेश टांक के बैंक खातों से पता चला कि जमीन के पंजीकरण से ठीक पहले भारी मात्रा में नकद जमा किए गए थे। दीपेश टांक ने दावा किया कि ये जमा उनके द्वारा फल और सब्जियाँ बेचने के लिए थे, लेकिन वे इस बिक्री का बिल/इनवॉइस पेश नहीं कर सके।



इसके बजाय उन्होंने खरीदारों के नाम और बेची गई मात्रा दर्ज करते हुए एक बिक्री पुस्तिका प्रस्तुत की, लेकिन चंद्रशेखर सिन्हा को छोड़कर बाकी सभी के संपर्क विवरण उनके पास नहीं थे। उन्होंने आगे दावा किया कि इन समस्त खरीदारों ने उन्हें केवल नकद में भुगतान किया। इस संदर्भ में, जैसा कि ऊपर और ओसी में भी बताया गया है, अनुराग चौरसिया ने विभिन्न संस्थाओं को नकद भुगतान करके छोटी-छोटी चेक राशियाँ जारी कीं और उन्हें असुरक्षित ऋणों के बहाने शांति देवी चौरसिया को हस्तांतरित किया, जिनका उपयोग बाद में संपत्तियाँ खरीदने में किया गया। यह देखा जा सकता है कि विभिन्न संस्थाओं, जैसे मोटेल मधुबन, बबलू साँ, उद्योग एचपी गैस एजेंसी आदि से श्री अनुराग चौरसिया और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में धनराशि प्राप्त हुई और फिर इन धनराशियों का उपयोग श्री अनुराग चौरसिया और श्रीमती शांति देवी चौरसिया के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों को खरीदने में किया गया। उपरोक्त धन लेन-देन की अन्वेषण से पता चला है कि लगभग 3.50 करोड़ रुपये की राशि (संपत्ति प्रमाण पत्र) मनीष उपाध्याय के माध्यम से रांची स्थित अनुराग चौरसिया को हस्तांतरित की गई थी। इस अवैध नकदी को बबलू साव और उद्योग, ज्योति एचपी गैस एजेंसी से लिए गए असुरक्षित ऋणों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा मोटेल मधुबन को सब्जियाँ बेचने के बहाने छिपाया गया था। मोटेल मधुबन और उद्योग ज्योति एचपी गैस एजेंसी के मालिक मनोज कुमार सिन्हा और बबलू साव के बयानों से पता चला है कि अनुराग चौरसिया और उनके परिवार के सदस्यों/रिशतेदारों के साथ किए गए लेन-देन वास्तविक नहीं हैं और अनुराग चौरसिया ने कोयला कार्टेल से प्राप्त नकदी के बदले फर्जी प्रविष्टियाँ कराने के लिए इन लेन-देनों में हेराफेरी की थी। उपरोक्त के अलावा, अपीलकर्ता और उनकी संयुक्त साझेदार शांति देवी चौरसिया द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण में (संपत्ति प्रमाण पत्र) से ली गई नकदी के साक्ष्य को मूल दस्तावेज़ में स्पष्ट किया गया है। उपरोक्त के आलोक में, यह स्पष्ट है कि अनुराग चौरसिया के नाम पर धारित संपत्तियाँ सौम्या चौरसिया के लिए बेनामी रूप से धारित थीं और ये सभी अपीलकर्ता अनुराग चौरसिया द्वारा धारित अचल संपत्तियों में प्रत्यक्ष प्रमाण पत्र (पी ओ. सी.) के प्रवाह का परिणाम थीं।

78. जहां तक अपीलकर्ता-आई. एम. आई. पी. एल. का संबंध है, उक्त कंपनी के प्रमोटर सुनील कुमार अग्रवाल की भूमिका सूर्यकांत तिवारी के साथ घनिष्ठ संबंधों पर आधारित है और जांच से पता चला है कि सुनील कुमार अग्रवाल ने जानबूझकर और स्वेच्छा से सूर्यकांत तिवारी को प्रमाण पत्र में हेरफेर करने और सूर्यकांत तिवारी और उनके बेनामीदारों की दागी संपत्तियों के वास्तविक स्वामित्व को छिपाने में मदद की थी। धनवान और व्यापारिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होने के बावजूद, उसने जानबूझकर सूर्यकांत तिवारी के लिए बेनामी के रूप में काम किया और मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया में सहायता की।

79. डॉ. पांडे ने निवेदन किया कि यद्यपि अपीलकर्ता-आईएमआईपीएल का नाम कानून प्रवर्तन एजेंसी की आरोपपत्र में नहीं है, यह स्थापित कानून है कि जिन व्यक्तियों पर आरोपपत्र में नामजद नहीं है, उनकी भी पीएमएलए के तहत जांच की जा सकती है और पीएमएलए के तहत कुर्की कार्यवाही की जा सकती है। निवेदन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के नाम पर मौजूद किसी भी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है, चाहे वह व्यक्ति मूल अपराध में आरोपी हो या नहीं, यदि यह पाया जाता है कि ऐसी संपत्ति अनुसूचित अपराध के घटित



होने से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अर्जित की गई है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 04.03.2011 को बी. रामा राजू (उपरोक्त) मामले में अपने निर्णय में भी यही बात कही थी। पी. एम. एल. ए. की धारा 5 का विस्तार केवल धन शोधन के अपराध के अभियुक्त व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है। इस संदर्भ में **विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ और अन्य {2022 एससीसी ऑनलाइन 929, अनुच्छेद 269 और 295}**, न्यायमूर्ति शेखर (उपरोक्त) के अनुच्छेद 52 और 53, और राधा मोहनलखोटिया बनाम उप निदेशक, पीएमएलए, निदेशालय प्रवर्तन {2010 एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे 1116, कंडिका 13} के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया गया है।

80. इसके अलावा, यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि 17.05.2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी संख्या 5890/2024 में सुनील कुमार अग्रवाल को अंतरिम जमानत देने से पहले इस तथ्य से अवगत नहीं कराया था कि कर्नाटक पुलिस की एफआईआर 129/2022 में दर्ज आरोपपत्र के आधार पर, एसीबी और ईओडब्ल्यू ने एफआईआर 03/2024 दिनांक 17.01.2024 में चल रही अपनी जांच में आईपीसी की धारा 384 पहले ही जोड़ दी थी। उस समय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एसीबी और ईओडब्ल्यू द्वारा उक्त एफआईआर में चल रही जांच में आईपीसी की धारा 384 को शामिल किए जाने की जानकारी भी नहीं थी। इसीलिए प्रवर्तन निदेशालय के वकील के अनुरोध पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी को छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा की जा रही जांच की स्थिति और उसके संभावित परिणामों का पता लगाने के लिए समय दिया। इसके बाद, ईडी ने एफआईआर संख्या 03/2024 में आईपीसी की धारा 384 को शामिल किए जाने के संबंध में पूछताछ की और एसीबी और ईओडब्ल्यू ने जवाब में निदेशालय को सूचित किया कि कर्नाटक पुलिस के कडुगोड़ी पुलिस स्टेशन द्वारा एफआईआर संख्या 129/2022 में दायर आरोपपत्र के आलोक में, छत्तीसगढ़ सरकार से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद एफआईआर संख्या 03/2024 में चल रही जांच में आईपीसी की धारा 384 जोड़ी गई है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 7.08.2024 के आदेश में सुनील कुमार अग्रवाल को अनुसूचित अपराध के अस्तित्व में न होने के आधार पर नहीं, बल्कि नियमित जमानत दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनील कुमार अग्रवाल को जमानत मामले के प्रासंगिक तथ्यों की विस्तृत सुनवाई के बाद ही दी है, जो सुनील कुमार अग्रवाल से संबंधित विशिष्ट तथ्य थे।

81. डॉ. पांडे ने आगे निवेदन किया कि उपरोक्त तालिका 'ए' में उल्लिखित सभी 29 संपत्तियां सूर्यकांत तिवारी द्वारा अपराध काल से पहले, अर्थात् 15.07.2020 से पहले, अपने बेनामीदारों के नाम पर खरीदी गई थीं। इन संपत्तियों को ईडी द्वारा पीएमएलए की धारा 2(1)(यू) के तहत कुर्क किया गया था, क्योंकि इस मामले में सूर्यकांत तिवारी और उनके गिरोह द्वारा एकत्र किए गए कुल साक्ष्य का मूल्य लगभग 540 करोड़ रुपये था और सूर्यकांत तिवारी के असहयोग के कारण ईडी केवल आंशिक साक्ष्य राशि ही प्राप्त कर सकी।



बाद में, आयकर विभाग की तलाशी और पीएमएलए के तहत इस जबरन वसूली रैकेट की जांच शुरू होने के बाद, सूर्यकांत तिवारी ने इन संपत्तियों की कानूनी कुर्की से बचने के लिए उपरोक्त संपत्तियों को मेसर्स इंदरमणि मिनरल प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया। अपीलकर्ता स्वयं को जबरन वसूली गिरोह का शिकार बताकर गलत तरीके से पेश कर रहा है। अन्वेषण के दौरान यह पता चला कि सुनील कुमार अग्रवाल, जो "अपीलकर्ता का प्रमोटर" है, ने सूर्यकांत तिवारी को कोयला गिरोह द्वारा उत्पन्न प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पी. ओ. सी) को छिपाने और उसे बेदाग संपत्ति के रूप में प्रदर्शित करने में सहायता की है। यह उल्लेखनीय है कि शुरुआत में सुनील अग्रवाल एक कोयला उपयोगकर्ता था जो सूर्यकांत तिवारी के गिरोह को भुगतान करता था। लेकिन बाद में, गिरोह को अपनी बढ़ती हुई नकदी को छिपाने और आयकर विभाग द्वारा कुर्की से बचने के लिए अपनी संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए हिसाब-किताब वाले धन की बढ़ती आवश्यकता के चलते, सुनील अग्रवाल को गिरोह के सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया। प्रमुख वाशरी में हिस्सा हासिल करके और विभिन्न लाभों के लिए तत्कालीन सरकार के करीब आकर खुद को समृद्ध करने के लिए वह स्वेच्छा से इस गिरोह में शामिल हो गया।

इस प्रकार, उपरोक्त से यह सिद्ध होता है कि सुनील अग्रवाल जबरन वसूली करने वाले गिरोह का शिकार नहीं है, बल्कि उसने सूर्यकांत तिवारी की सक्रिय रूप से और जानबूझकर सहायता की है। उसने अपने नाम और अपने सहयोगियों तथा बेनामीदारों के नाम पर दर्ज संपत्तियों को अपने (या अपनी कंपनी के) नाम पर स्थानांतरित करवाया और इस प्रकार पीओसी से प्राप्त संपत्तियों को बेदाग दिखाने में मदद की, जो मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

82. सुनील कुमार अग्रवाल सूर्यकांत तिवारी के साथ मिलीभगत से सक्रिय रूप से काम कर रहा था और उसने सूर्यकांत तिवारी द्वारा प्राप्त किए गए प्रमाण पत्र (पीओसी) की रक्षा करने के प्रयास में सक्रिय रूप से उसकी सहायता की। उसने अपनी कंपनी के संसाधनों का उपयोग फर्जी लेनदेन में प्रवेश करने के लिए किया, जो घोटाले के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी की संपत्तियों के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए केवल कागजों पर मौजूद थे, ताकि उन्हें कानून के शिकंजे से बचाया जा सके। इन संपत्तियों को तेजी से खरीदने का उद्देश्य उन्हें पीओसी से अलग करने परंतु कोशिश करने के अलावा और कुछ नहीं था। इसी कारण जब सुनील कुमार अग्रवाल से जांच के दौरान पूछा गया कि विवादित संपत्तियों की खरीद से उनकी कंपनी को क्या लाभ होगा, तो वे इसका उत्तर नहीं दे सके। अपीलकर्ता जिस 01.05.2022 के कथित बोर्ड प्रस्ताव का हवाला दे रहे हैं, वह जांच के बाद गढ़ा गया है। इसके अलावा, यह निवेदन किया जाता है कि अपीलकर्ता झूठा दावा कर रहे हैं कि सूर्यकांत तिवारी ने उन पर अपनी संपत्तियां खरीदने के लिए दबाव डाला था, जबकि जांच से पता चला है कि अपीलकर्ता ने सूर्यकांत तिवारी के हाथों से संपत्तियों के हस्तांतरण में स्वेच्छा से सहयोग किया था। अपीलकर्ता ने अब तक की अन्वेषण के दौरान यह दावा नहीं किया है कि उसे सूर्यकांत तिवारी से ये संपत्तियां खरीदने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि उसके पास ऐसा करने के पर्याप्त अवसर थे। सुनील कुमार अग्रवाल और अपीलकर्ता के विरुद्ध समान निष्कर्ष माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 05.12.2024 के आदेश में दर्ज किए हैं और संबंधित ओसी में माननीय एए के दिनांक 01.06.2023



के आदेश को बरकरार रखा है। 83. यद्यपि यह सच है कि अपीलकर्ता की कोयला कार्टेल द्वारा की गई जबरन वसूली के अपराध में कोई भूमिका नहीं थी, फिर भी उसने मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी को पीओसी के साथ अर्जित या पीओसी के समान मानी जाने वाली संपत्तियों को समतुल्य मूल्य पर हस्तांतरित करने और उन्हें बेदाग दिखाने में निश्चित रूप से सहायता की। इसके लिए, उन्होंने सूर्यकांत तिवारी और उनके सहयोगियों से कागजी तौर पर उन संपत्तियों को खरीदा और बैंक के माध्यम से विक्रय राशि का भुगतान किया, जिसे बाद में सूर्यकांत तिवारी के सहयोगियों ने उन्हें नकद में लौटा दिया। इस प्रकार, यह सिद्ध होता है कि अपीलकर्ता ने जानबूझकर सूर्यकांत तिवारी और उनके सहयोगियों के साथ फर्जी लेनदेन किया ताकि स्वामित्व प्रमाण पत्र (पीओसी) को अपने (अपनी कंपनी के) नाम पर स्थानांतरित किया जा सके। इसलिए, सुनील कुमार अग्रवाल को सूर्यकांत तिवारी और उनके सहयोगियों की 52 संपत्तियों के रूप में प्रमाण पत्र प्राप्त हुए, जिन्हें बाद में पीएमएलए के तहत जब्त कर लिया गया। इस दावे के संबंध में कि अपीलकर्ता को आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था, यह निवेदन किया जाता है कि पीएमएलए के तहत जांच का दायरा व्यापक है और कानून प्रवर्तन एजेंसी के आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामित न किए गए व्यक्ति की भी पीएमएलए, 2002 के तहत जांच और अभियोजन किया जा सकता है, यदि वह प्रमाण पत्र की मनी लॉन्ड्रिंग या उससे संबंधित किसी गतिविधि में शामिल पाया जाता है।

84. आगे यह भी निवेदन किया जाता है कि जांच के दौरान, सूर्यकांत तिवारी की संपत्तियों के विभिन्न विक्रेताओं के बयान दर्ज किए गए हैं और उनके बयानों में उन्होंने विलेख राशि से अधिक नकद राशि प्राप्त करने की बात स्वीकार की है। हालांकि, सुनील कुमार अग्रवाल ने उन्हीं संपत्तियों को अपने नाम पर खरीदते समय सूर्यकांत तिवारी को केवल विलेख राशि का भुगतान किया और संपत्ति हस्तांतरण के लिए धनराशि प्राप्त होने के तुरंत बाद, सूर्यकांत तिवारी के सहयोगियों द्वारा ज्यादातर स्व-चेकों के माध्यम से नकद राशि निकाल ली गई और सुनील कुमार अग्रवाल को सौंप दी गई।

85. इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि सुनील कुमार अग्रवाल ने सूर्यकांत तिवारी और उनके बेनामीदारों की कुछ संपत्तियां केवल कागजों पर ही खरीदी हैं, जबकि वास्तव में वे संपत्तियां अभी भी सूर्यकांत तिवारी और उनके बेनामीदारों के स्वामित्व में हैं। इसका एक उदाहरण वह संपत्ति है जिस पर एक ढाबा चल रहा था और ढाबे के मालिक ने यह जमीन सूर्यकांत तिवारी से किराए पर ली थी; यह जमीन 22.08.2022 को मेसर्स इंद्रमणि मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी गई थी। हालांकि, पूछताछ करने पर, उक्त ढाबे के मालिक दिनेश चौधरी ने दिनांक 30.12.2022 का एक नोटरीकृत समझौता प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार श्रीमती कैलाश तिवारी ने दिनेश चौधरी के साथ उपर्युक्त संपत्ति पर ढाबा चलाने के लिए मासिक किराए की राशि का भुगतान करने का समझौता किया था।

86. अपीलकर्ता-केजेएसएल {एमए संख्या 44/2025} के संबंध में, डॉ. पांडे ने बताया कि मेसर्स केजेएसएल कोल एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर श्री सुनील अग्रवाल का श्री सूर्यकांत तिवारी से घनिष्ठ संबंध है।



अन्वेषण में पता चला कि श्री सुनील अग्रवाल ने मेसर्स इंडस उद्योग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स सत्या पावर एंड इस्पात लिमिटेड से कोयला वाशरी हासिल करने में श्री सूर्यकांत तिवारी की मदद की थी। ये कोयला वाशरी 96 करोड़ रुपये में हासिल की गई थीं, जिसमें से 34 करोड़ रुपये पंजीकृत मूल्य था और इसका भुगतान बैंकिंग माध्यम से किया गया था, शेष राशि का भुगतान नकद में किया जाना था। इस प्रकार, इन लेन-देन में अवैध रूप से अर्जित बड़ी मात्रा में नकदी का इस्तेमाल किया गया था। आई. टी. छापों पश्चात् उसने यह दिखाने के लिए नकली कागजी लेन-देन किया कि वह इन दो वाशरीज का मालिक था। ये लेन-देन तथा कुछ नहीं परंतु गलत तरीके से अर्जित पीओसी को अलग करने तथा उन्हें आईटी तथा ईडी विभागों के हाथों से दूर ले जाने तथा उनकी कुर्की को रोकने तथा उन्हें बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करने का एक व्यर्थ प्रयास था। स्पष्ट रूप से, सुनील अग्रवाल ने जानबूझकर तथा स्वेच्छा से इन लेन-देनों में भाग लिया ताकि इन दागी संपत्तियों के वास्तविक स्वामित्व को छिपाया जा सके। साधनों तथा व्यावसायिक स्थिति के बावजूद, उन्होंने जानबूझकर सूर्यकांत तिवारी हेतु बेनामी के रूप में काम किया तथा धन शोधन प्रक्रिया में सहायता की। उन्होंने लिखित प्रस्तुति की तालिका ए के रूप में पी. ए. ओ. सं. 2/2022 में अपीलार्थी के संबंध में कुर्की के विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

87. अन्वेषण ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि सूर्यकांत तिवारी ने कोयला वाशरी की क्रय में पीओसी अर्थात् नकदी का निवेश किया था। दो कोयला धुलाई कारखानों का सौदा 96 करोड़ रुपये में हुआ था, जिसमें से 34 करोड़ रुपये पंजीकृत मूल्य था और इसका भुगतान बैंकिंग माध्यम से किया गया था, जबकि शेष राशि का भुगतान नकद में किया जाना था। सूर्यकांत तिवारी ने इन संपत्तियों को मेसर्स इंडस उद्योग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और सत्या पावर एंड इस्पात लिमिटेड से लगभग 96 करोड़ रुपये में जबरन खरीदा था, जो कि सूर्यकांत तिवारी द्वारा खरीद के समय दर्शाए गए बुक वैल्यू से कहीं अधिक है। बाद में, इन कोयला वाशरी को फर्जी लेनदेन के जरिए अपीलकर्ता के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया, ताकि इसे अपीलकर्ता के हाथों में बेदाग दिखाया जा सके। यहां तक कि सुनील कुमार अग्रवाल ने पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज अपने बयान में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा कि उन्होंने उक्त खरीद के लिए 34 करोड़ रुपये के चेक भुगतान के बदले कोयला वाशरी खरीदी थी। इसके अलावा, सुनील कुमार यह समझने में विफल रहे कि जब सूर्यकांत तिवारी ने कोयला वाशरी की खरीद में नकद राशि (पोस ऑफ क्रेडिट) डाली, तो पोस ऑफ क्रेडिट का स्वरूप बदल गया और सूर्यकांत तिवारी के हाथों में मौजूद कोयला वाशरी पोस ऑफ क्रेडिट बन गई, जिसे बाद में फर्जी लेनदेन के जरिए अपीलकर्ता के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया, ताकि इसे अपीलकर्ता के हाथों में बेदाग दिखाया जा सके। इसके अलावा, सुनील कुमार अग्रवाल ने अतिरिक्त कोयला वाशरी अधिग्रहण के लिए दिनांक 15.06.2022 के किसी भी बोर्ड प्रस्ताव, दो कोयला वाशरी की बिक्री के लिए एमएमसीबीपीएल और केजेएसएल के बीच दिनांक 20.06.2022 को हुए किसी भी समझौते, या एमएमसीबीपीएल को 2.5 करोड़ रुपये की सांकेतिक राशि के भुगतान का उल्लेख नहीं किया, जबकि अन्वेषण के दौरान उन्हें कई अवसर दिए गए थे। उन्होंने आज तक किसी भी कानूनी मंच के समक्ष इन तथ्यों का खुलासा नहीं किया है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि ये तथ्य और दस्तावेज बाद में गढ़े गए हैं और झूठे हैं। सूर्यकांत तिवारी ने रूपेश गर्ग और



आशीष कुमार अग्रवाल पर दबाव डालकर ये वाशरी कारखाने उन्हें बेच दिए थे, और सुनील कुमार अग्रवाल ने सूर्यकांत तिवारी द्वारा अपनी कंपनी मेसर्स मां मदवारानी के नाम पर इन वाशरी कारखानों की खरीद में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इन कोयला वाशरी कारखानों का अधिग्रहण 96 करोड़ रुपये में किया गया था, जिसमें से 34 करोड़ रुपये पंजीकृत मूल्य था, जिसका भुगतान बैंकिंग माध्यम से किया गया था, और शेष राशि का भुगतान नकद में किया जाना था। आयकर विभाग द्वारा 30.06.2022 को की गई तलाशी और ज़ब्ती के बाद, दोनों कोयला वाशरी मेसर्स मां मदवारानी कोल बेनिफिशिएशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मेसर्स केजेएसएल कोल एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी गई, जो सुनील कुमार अग्रवाल की समूह कंपनी है। सुनील कुमार अग्रवाल शुरू से ही वाशरी सौदे में शामिल थे। यह सौदा 2 अगस्त, 2022 को कुल पंजीकृत राशि 35,28,84,000 रुपये में हुआ। वाशरी को कागजी तौर पर अपीलकर्ता के नाम पर हस्तांतरित करना उचित समझा गया ताकि इसे दागी संपत्ति घोषित होने से बचाया जा सके। इसके अलावा, इन दो वाशरी के अलावा, सूर्यकांत तिवारी और उनके सहयोगियों पर आयकर विभाग के छापों के बाद, सुनील कुमार अग्रवाल ने श्री सूर्यकांत तिवारी की सभी बेनामी संपत्तियां खरीद लीं ताकि अवैध रूप से अर्जित प्रमाण पत्र (पीओसी) को सुरक्षित रखा जा सके और भविष्य में ईडी द्वारा पीओसी को जब्त करने के प्रयासों को विफल किया जा सके। ये समस्त लेन-देन नकली लेन-देन हैं तथा वास्तव में सुनील अग्रवाल के इंद्रमानी समूह के पास सूर्यकांत तिवारी तथा उनके बेनामी लोगों हेतु ये संपत्तियां हैं। एमएमसीबीपीएल में 13% शेयर की आईएमआईपीएल को बिक्री के संबंध में, यह कहा गया है कि शेयरों के हस्तांतरण की सूचना एमसीए को दी गई थी या नहीं, इस तथ्य के बावजूद, अनुप बंसल ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें सुनील कुमार अग्रवाल से 3,00,00,000 रुपये प्राप्त हुए थे और शेष राशि सूर्यकांत तिवारी द्वारा उन्हें समायोजित की गई थी। सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज बयानों के विपरीत, पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयान न्यायिक कार्यवाही माने जाते हैं और साक्ष्य के रूप में मान्य हैं।

88. अपीलकर्ताओं – दिव्या तिवारी {एमए संख्या 48/2025}, कैलाश तिवारी {एमए संख्या 49/2025}, रजनीकांत तिवारी {एमए संख्या 50/2025} और सूर्यकांत तिवारी {एमए संख्या 51/2025} के संबंध में, वे सभी करीबी रिश्तेदार हैं। श्रीमती दिव्या तिवारी, श्रीमती... कैलाश तिवारी और रजनीकांत तिवारी क्रमशः अपीलकर्ता सूर्यकांत तिवारी की पत्नी, माता और बड़े भाई हैं।

89. सूर्यकांत तिवारी कोयला और अन्य खनिजों के परिवहन से अवैध कर वसूलने वाले गिरोह का प्रमुख समन्वयक और मुख्य व्यक्ति है। छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वोच्च राजनीतिक पदों तक उसकी पहुंच है और मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत एक प्रभावशाली अधिकारी सुश्री सौम्या चौरसिया के साथ उसके व्यक्तिगत और वित्तीय संबंध हैं। वह पहले दिन से ही इस व्यापक षड्यंत्र का हिस्सा था और जमीनी स्तर पर मुख्य अपराधी है, हालांकि पिछले दो वर्षों में की गई कुल जबरन वसूली की राशि का अंतिम लाभार्थी वह नहीं है। उसका काम जिला स्तर या उससे भी निचले स्तर के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना था ताकि वे जबरन वसूली के आदेश के अनुसार काम कर सकें और 'सुविधा शुल्क' की तय राशि की वास्तविक वसूली के लिए व्यक्तिगत व्यापारियों से बातचीत कर सकें



उसके पास से बरामद कॉन्सेप्ट नोट से श्री समीर विश्‍नोई आईएएस, तत्कालीन भूविज्ञान और खनन निदेशक द्वारा जारी दिनांक 15.07.2020 के आदेश से उसका संबंध स्‍थापित होता है, जो जबरन वसूली के धंधे का शुरुआती बिंदु बना गया। उन्होंने कर्मचारियों का एक नेटवर्क बनाया, उन्हें विभिन्न स्‍थानों पर तैनात किया, मोबाइल हैंडसेट आदि के नियमित परिवर्तन जैसी उनकी जरूरतों का वित्तपोषण किया, बड़े व्यापारियों के साथ बातचीत की, जबरन वसूली की राशि का उचित अभिलेख रखा गया। यहां तक कि अपनी हिरासत में पूछताछ के दौरान भी, वह टालमटोल करने वाला तथा असहयोगी था तथा उसने बड़ी मात्रा में आउटगोइंग भुगतानों के बारे में नहीं बताया जो अब तक अपुष्ट लाभार्थियों को किए गए हैं। वह हाथ रहा है जो जमीनी स्‍तर पर काम कर रहा है, तथा पीओसी के अधिग्रहण, उनके स्‍तर, उनके उपयोग, उनके अलगाव, उनके आनंद समस्त शामिल है तथा अप्रकाशित पीओसी के बड़े हिस्से को छिपाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। उसने बड़ी संख्या समस्त सहयोगियों के साथ मिलकर आवास प्रविष्टियां जुटाने तथा बेनामी संपत्तियों को खरीदने के लिए नकदी जमा करने की षडयंत्र रची ताकि उन पर बेदाग संपत्ति के रूप समस्त दावा किया जा सके। जब उसे यह आभास हुआ कि आयकर विभाग/संपादकीय विभाग उसकी योजना को समझ जाएगा, तो उसने सुनील अग्रवाल का इस्तेमाल किया और जमीनों को बेचने और उन्हें सुनील अग्रवाल के नाम पर बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करने के लिए और प्रयास किए। सह-आरोपी श्री सुनील कुमार अग्रवाल के बयान से भी यह बात साबित होती है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भूविज्ञान एवं खनन निदेशक के दिनांक 15.07.2020 के पत्र के बाद अवैध रूप से वसूली शुरू हुई। कई साक्षी ने सूर्यकांत तिवारी और उनके साथियों को इस रैकेट का कर्ता बताया है, जिन्हें जबरन वसूली की रकम दी गई थी। उन्होंने उच्च अधिकारियों के समर्थन से दो साल से अधिक समय तक बिना किसी रोक-टोक या एफआईआर के पूरे जबरन वसूली रैकेट को चलाया। राज्य तंत्र के सक्रिय समर्थन से उन्होंने इतना भय पैदा कर रखा था कि किसी ने भी उनके खिलाफ औपचारिक शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। ईडी की तलाशी के दौरान सूर्यकांत तिवारी अपने आवास से फरार हो गए और मोबाइल फोन व अन्य निजी उपकरण छिपाकर ही वापस लौटे। वापस आने पर उन्होंने पिछले 10 दिनों के अपने ठिकाने के बारे में बहुत ही अस्पष्ट स्पष्टीकरण दिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया है कि उनके सभी कर्मचारी छिप गए हैं और ईडी के समन का जवाब नहीं दे रहे हैं।

90. श्रीमती कैलाश तिवारी, सूर्यकांत तिवारी की माता हैं और अवैध नकदी के लेन-देन के मामले में उनके अवैध कारोबार में सक्रिय रूप से शामिल थीं। पीएमएलए की धारा 3 के तहत परिभाषित धन शोधन के अपराध के अनुसार, उन्होंने जानबूझकर अवैध नकदी को छिपाने, अपने पास रखने, उपयोग करने और उसे बेदाग संपत्ति के रूप में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया में सहायता की है। वह शंकर नगर में रहती हैं, जहां अधिकांश अवैध नकदी सुरक्षित अभिरक्षा हेतु रखी गई थी। जब्त किए गए बैलेंस शीट में रजनीकांत तिवारी द्वारा श्रीमती कैलाश तिवारी के नाम से किए गए कई नकद लेन-देन दर्ज हैं। कैलाश तिवारी जानती थीं कि उनका बेटा अवैध वसूली के धंधे में शामिल है। उन्होंने रसीद के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल किया और संदिग्ध संपत्तियों की खरीद के लिए अपने नाम का इस्तेमाल किया तथा कई मौकों पर अपने बेटे के लिए नकदी का लेन-देन किया। अन्वेषण के दौरान पता चला है कि सूर्यकांत तिवारी के 80 साल हैं।



सूर्यकांत तिवारी ने अपने परिवार के सदस्यों और बेनामीदारों के नाम पर कई संपत्तियां खरीदी हैं। अपने और अपने सहयोगियों के परिसरों पर आयकर विभाग द्वारा की गई तलाशी के बाद, उन्होंने अपने स्वामित्व वाली संपत्तियों का फर्जी लेनदेन किया और उन्हें मेसर्स आईएमआईपीएल और अन्य कंपनियों के नाम पर हस्तांतरित कर दिया ताकि ईडी या अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उन्हें कुर्क होने से बचाया जा सके। इसी प्रकार, श्रीमती कैलाश तिवारी ने सूर्यकांत तिवारी की मदद से जानबूझकर अपनी संबंधित संपत्तियों को मेसर्स इंदरमणि ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम पर बेच दिया और नकद राशि निकालकर बिक्री की रकम को गबन कर लिया। आयकर विभाग/प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संदिग्ध संपत्तियों की कुर्की से बचने के लिए ऐसा किया गया था।

91. अपीलकर्ता दिव्या तिवारी, सूर्यकांत तिवारी की पत्नी हैं, जिन्होंने कोयला सिंडिकेट का निर्माण किया और कोयले और अन्य खनिजों के परिवहन से अवैध कर वसूलने के लिए जमीनी स्तर पर समन्वय किया। जुलाई 2020 से जून 2022 तक दो वर्षों के दौरान, सूर्यकांत तिवारी द्वारा संचालित कोयला कार्टेल ने लगभग 540 करोड़ रुपये की अपराध की आय की उगाही की। कोयला कार्टेल द्वारा अर्जित इस आय का उपयोग सूर्यकांत तिवारी ने संपत्तियां खरीदने, चुनाव के लिए धन जुटाने और नौकरशाहों और राजनेताओं को रिश्वत देने के लिए किया था। अन्वेषण के दौरान यह खुलासा हुआ है कि सूर्यकांत तिवारी ने अपराध से प्राप्त धन से अपने परिवार के सदस्यों और बेनामीदारों के नाम पर कई संपत्तियां खरीदी हैं। आयकर विभाग द्वारा उनके और उनके सहयोगियों के परिसरों पर की गई तलाशी के बाद, उन्होंने अपने स्वामित्व वाली संपत्तियों का फर्जी लेनदेन किया और उन्हें मेसर्स आईएमआईपीएल और अन्य को हस्तांतरित कर दिया ताकि ईडी या अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उन्हें कुर्क होने से बचाया जा सके। इसी प्रकार, उन्होंने दिव्या तिवारी के नाम पर संपत्तियों को मेसर्स आईएमआईपीएल को हस्तांतरित कर दिया। इसके अलावा, इस मामले में पीएमएलए के तहत जांच के दौरान, दिव्या तिवारी को कई समन जारी किए गए, हालांकि, इन समनों के जवाब में, उन्होंने जानबूझकर और सोच-समझकर न तो अधिकृत प्राधिकारी के समक्ष पेशी की और न ही किसी न किसी बहाने से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

92. अपीलकर्ता रजनीकांत तिवारी, सूर्यकांत तिवारी के बड़े भाई हैं और उनके मुख्य सहयोगी और विश्वासपात्र हैं। अन्वेषण के निष्कर्षों के अनुसार, वे पूरे घोटाले के खातों के संरक्षक थे। वे जबरन वसूली से प्राप्त सभी नकदी का प्रबंधन और भंडारण करते थे। वे इस षड्यंत्र के लिए जिम्मेदार और भागीदार हैं और उन्होंने अवैध धन को वैध धन के रूप में प्रदर्शित करने में भूमिका निभाई है। विभिन्न साझेदारी फर्मों और कंपनियों की स्थापना करके, रजनीकांत तिवारी को असुरक्षित ऋणों के माध्यम से प्रमाण पत्र (पीओसी) को जाली बनाने और बेनामी संपत्तियां बनाने में मदद की है, और उन्हें बेदाग संपत्ति के रूप में प्रदर्शित किया है। अन्वेषण के दौरान, सूर्यकांत तिवारी के विभिन्न सहयोगियों जैसे निखिल चंद्रकार, लक्ष्मीकांत तिवारी और अन्य के बयानों से पता चला है कि सूर्यकांत तिवारी के अलावा, केवल रजनीकांत तिवारी ही



सूर्यकांत तिवारी की देखरेख में चल रही विभिन्न परियोजनाओं, जैसे निर्माण कार्य आदि के व्यय से संबंधित बिलों का सत्यापन कर सकते थे। सूर्यकांत तिवारी के कर्मचारी अपने द्वारा किए गए खर्चों के साथ-साथ सूर्यकांत तिवारी की परियोजनाओं में भुगतान/प्रतिपूर्ति के लिए खर्च की गई राशि के बारे में रजनीकांत तिवारी को संदेश भेजते थे। रजनीकांत तिवारी के आवास पर आयकर विभाग की तलाशी के दौरान, उनके पास से 48,38,600 रुपये जब्त किए गए। इसके अलावा, पीएमएलए की धारा 50 के तहत दिए गए बयान में कोयला सिंडिकेट द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के कई विक्रेताओं ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी संपत्तियों की विक्रय का सौदा केवल रजनीकांत तिवारी के साथ ही अंतिम रूप दिया था और उन्होंने ही उन्हें विक्रय विलेख में उल्लिखित राशि के अतिरिक्त नकद भुगतान किया था। वेद प्रकाश साहू और वतन चंद्रकार जैसे भूमि दलालों ने भी पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज अपने बयानों में स्वीकार किया कि वे विक्रय के लिए संपत्तियों की खोज करते थे और सौदा रजनीकांत तिवारी द्वारा ही अंतिम रूप दिया जाता था। और रजनीकांत तिवारी ने ही संपत्तियों के विक्रेताओं को नकद भुगतान किया था। रजनीकांत तिवारी विभिन्न व्यक्तियों से आवास प्रविष्टियाँ प्राप्त करने के लिए नकद भुगतान भी संभालते थे।

93. अपीलकर्ता समीर विश्नोई {एमए संख्या 80/2025} का संबंध है, जो भूविज्ञान एवं खनन विभाग के निदेशक हैं। सरकारी विभाग ने 15.07.2020 को एक आदेश जारी किया था, जो कोयला सिंडिकेट की उत्पत्ति का कारण बना। उसने जानबूझकर निजी लाभ के लिए इस षड्यंत्र में भाग लिया। इस कोयला सिंडिकेट ने जुलाई 2020 से जून 2022 की अवधि के दौरान कोयला व्यापारियों/परिवहनों और अन्य क्षेत्रों से लगभग 540 करोड़ रुपये की अवैध वसूली की। अवैध नकदी संग्रह की इस प्रणाली को सूर्यकांत तिवारी ने जमीनी स्तर पर सुगम बनाया/समन्वित किया, और यह प्रणाली बेरोकटोक और बिना किसी रुकावट के चलती रही क्योंकि सूर्यकांत तिवारी को राज्य के सर्वोच्च अधिकारियों का समर्थन प्राप्त था और सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई और अन्य वरिष्ठ आईएएस/आईपीएस अधिकारियों के साथ-साथ राजनेताओं के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। पीएमएलए, 2002 के तहत किया गया अन्वेषण से पता चला है कि समीर विश्नोई सूर्यकांत तिवारी द्वारा एकत्र किए गए प्रमाण पत्र (पीओसी) में से अपना हिस्सा प्राप्त कर रहा था। इस प्रकार, वह प्रमाण पत्र प्राप्त करने में संलिप्त था। इस बात के प्रमाण हैं कि उसने लगभग 7.84 करोड़ रुपये मूल्य की कम से कम 3 संपत्तियां अर्जित की हैं। इस प्रकार, समीर विश्नोई जबरन वसूली रैकेट से अर्जित लगभग 7.84 करोड़ रुपये की संपत्तियों को छिपाने, उपयोग करने, दावा करने और उन्हें बेदाग संपत्ति के रूप में प्रदर्शित करने में भी संलिप्त है। उत्तरवादी ने अपीलकर्ता के विरुद्ध पीएमएलए की धारा 45 के तहत माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, रायपुर में 09.12.2022 को अभियोजन परिवाद दर्ज कराई है, जिसमें अन्य बातों के अलावा धन शोधन का अपराध करने का आरोप है। पीएमएलए न्यायालय ने दिनांक 30.05.2023 के आदेश द्वारा परिवाद का संज्ञान लिया है। जहां तक अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि उन्हें साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने का अवसर नहीं दिया गया, तो न्यायनिर्णय के चरण में या अपीलीय न्यायाधिकरण मामले के साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने का उचित मंच नहीं है। यह अवसर अपीलकर्ता को विशेष पीएमएलए न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के



दौरान विधि द्वारा प्रदान किया जाता है, जो इस मामले के साक्ष्यों और साक्षी का गुण-दोष के आधार पर मूल्यांकन करने और कुर्क संपत्तियों की अंतिम ज़बती पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। यद्यपि प्रतिपरीक्षा निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होगा तथा धारा 8 की कार्यवाहियों के लिए अलग नहीं होगा, फिर भी हर मामले में न्यायनिर्णय के चरण में ऐसे आधारों की अनुमति देने से देरी होगी और उक्त न्यायनिर्णय का उद्देश्य विफल हो जाएगा। प्रतिपरीक्षा न्यायनिर्णय के अनुरोध की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए, न कि एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में। इस विद्वान ए. ए. के समक्ष कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाना होगा क्योंकि उन्हें 180 दिनों के भीतर पूरा करने की आवश्यकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अरुण कुमार मिश्रा बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में एलपीए 99/2014 में प्रतिपरीक्षा करने वाले अधिकार की अस्वीकृति से संबंधित एक समान मामले पर विचार किया था, और उसमें विद्वान खंडपीठ ने टिप्पणी की थी कि याचिकाकर्ता, एए का अंतिम आदेश पारित होने के बाद, अपने वैधानिक उपायों का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने एबेज़ रियलकॉन एलएलपी बनाम निदेशालय प्रवर्तन पीएमएलए, नई दिल्ली के मामले में एफपीए-पीएमएलए-5226/डीएलआई/2022 दिनांक 19.12.2022 को यह टिप्पणी की कि साक्षी से प्रतिपरीक्षा करना प्राकृतिक न्याय का एक हिस्सा है, हालांकि, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत अनियंत्रित नहीं हो सकता है और इसलिए, इसमें अपवाद हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिपरीक्षा का अवसर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का हिस्सा है और उचित मामले में इसे दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके अपवाद भी हैं, जैसे कि जब प्रतिपरीक्षा का कोई कारण मौजूद न हो या यदि पक्षों का आशय केवल प्रतिपरीक्षा के लिए साक्षी को बुलाकर कार्यवाही को निष्फल करना हो। डॉ. पांडे ने आगे बताया कि ईडी द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान समीर विश्नोई और प्रीति गोदारा के परिसरों से नकदी, आभूषण, डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए, जो उनके कब्जे में थे। पीएमएलए, 2002 की धाराओं के तहत दिए गए अपने बयानों में वे उक्त नकदी और आभूषणों के कब्जे के संबंध में कोई संतोषजनक कारण नहीं बता सके। साथ ही, ईडी द्वारा की गई तलाशी के समय, समीर विश्नोई ने पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत अपने बयान में कहा कि जब्त की गई सभी नकदी और आभूषण उनकी पत्नी प्रीति गोदारा के हैं, जो जब्त की गई नकदी और कीमती सामान के स्रोत के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे सके। पीएमएलए की धारा 17 के तहत अपने बयान में प्रीति गोदारा ने कहा कि उनके कब्जे से बरामद आभूषण उनके हैं, जबकि पीएमएलए की धारा 50 के तहत अपने बयान में उन्होंने जब्त की गई नकदी और आभूषणों के विभिन्न फर्जी मालिकों के नाम बताए, जो स्पष्ट रूप से दागी धन को बेदाग धन के रूप में दिखाने का एक सोचा-समझा प्रयास था। पीएमएलए की अन्वेषण से पता चला है कि समीर विश्नोई ने छत्तीसगढ़ सरकार में अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग करके अवैध आय अर्जित की है। इसके अलावा, यह निवेदन किया जाता है कि चूंकि आक्षेपित संपत्ति समीर विश्नोई के कब्जे में थी, इसलिए पीएमएलए की धारा 24 के तहत सबूत का भार उन्हीं पर है। अभियुक्त व्यक्ति प्रत्यक्षदर्शी से अर्जित संपत्तियों को तीसरे पक्ष की मिलीभगत से बेच रहे थे या साक्ष्यों को नष्ट/छेड़छाड़ कर गवाहों को प्रभावित कर रहे थे। पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो स्पष्ट रूप से अभियुक्त व्यक्तियों



द्वारा प्रत्यक्षदर्शी से संपत्ति को बेचने, हस्तांतरित करने और छिपाने के इन अवैध प्रयासों को दर्शाते हैं। संक्षेप में, अभियुक्तों की ये सभी अवैध गतिविधियाँ साक्ष्यों का पता लगाने की प्रक्रिया में बाधा डाल रही थीं और अभियुक्तों को साक्ष्यों को छिपाने, स्थानांतरित करने और उनसे संबंध तोड़ने के अवसर प्रदान कर रही थीं। दोनों ही प्राधिकारियों, अर्थात् अपीलीय न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण, ने यह निर्धारित करने का प्रयास किया है कि क्या संबंधित अपीलकर्ता धन शोधन के अपराध में संलिप्त है या नहीं। ईडी द्वारा की गई तलाशी के समय, समीर विश्नोई ने पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत अपने बयान में कहा कि जब्त की गई सभी नकदी और आभूषण उनकी पत्नी प्रीति गोदारा के हैं, जो जब्त की गई नकदी और कीमती सामान के स्रोत के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे सकीं। पीएमएलए की धारा 17 के तहत अपने बयान में प्रीति गोदारा ने कहा कि उनके कब्जे से बरामद किए गए गहने उनके हैं, जबकि पीएमएलए की धारा 50 के तहत अपने बयान में उन्होंने जब्त की गई नकदी और गहनों के कई फर्जी मालिकों के नाम बताए, जो स्पष्ट रूप से दागी धन को बेदाग धन के रूप में दिखाने का एक सोचा-समझा प्रयास था। पीएमएलए के अन्वेषण से पता चला है कि समीर विश्नोई ने छत्तीसगढ़ सरकार में अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग करके अवैध आय अर्जित की है। इसके अलावा, संबंधित संपत्तियों का झूठा कानूनी स्वामित्व स्थापित करने के लिए, अपीलकर्ता और उसकी पत्नी के परिवार के सदस्यों ने अपील दायर की है और खुद को संबंधित संपत्तियों का कानूनी मालिक होने का दावा किया है। अतः, संपत्तियों की कुर्की कानून के अनुसार है और बाद में माननीय एए और माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण दोनों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। अपीलकर्ता की 'अपराध से प्राप्त आय' शब्द की समझ त्रुटिपूर्ण है और वह विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण की कार्यवाही पर निराधार आरोप लगा रहा है। अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी गतिविधि से आय प्राप्त होने और किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित किए जाने पर, वह संपत्ति या उस व्यक्ति के पास मौजूद ऐसी संपत्ति का मूल्य, समतुल्य मूल्य (पी. ओ. सी) बन जाता है। इसके अलावा, "समतुल्य मूल्य" के तहत संपत्ति की कुर्की के संबंध में, यह निवेदन किया जाता है कि समतुल्य मूल्य की संपत्ति की कुर्की वैध है। पीएमएलए की धारा 2(1)(यू) "पी. ओ. सी" को परिभाषित करती है जिसमें न केवल अपराध से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त संपत्ति बल्कि समतुल्य मूल्य की कोई भी संपत्ति शामिल है। यदि दूषित संपत्ति उपलब्ध नहीं है, तो प्रतिस्थापन कुर्की कानूनी रूप से वैध है।

94. डॉ. पांडे ने अंत में यह तर्क दिया कि एए, पीएमएलए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी या कार्यकारी अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है और कार्यकारी अपीलीय प्राधिकारी होने के नाते यह वित्त मंत्रालय के अधीन है, जो निदेशालय के लिए क्षेत्राधिकार वाला मंत्रालय है। इसके अतिरिक्त, प्रथम वैधानिक अपीलीय प्राधिकारी के कार्यकारी अपीलीय प्राधिकारी होने की प्रणाली को भारत में न्यायालयों द्वारा लंबे समय से स्वीकार और अनुमोदित किया गया है। आयकर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम से संबंधित विधानों में संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन में इस प्रकार के प्रावधान/प्रथा को लंबे समय से शामिल किया गया है और इसे न्यायालयों द्वारा स्वीकृति प्राप्त है। अपने तर्कों के समर्थन में,



वह मद्रास उच्च न्यायालय के पे परफॉर्मा इंडिया पी लिमिटेड बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा जताते हैं {डब्लू पी नंबर 12925/2023 दिनांक 31.01.2024 का निर्णय}।

95. 45 दिन की वैधानिक अवधि के दावे के संबंध में, विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि प्रतिवादी को बेदखली नोटिस जारी करने का पूरा अधिकार था। पीएमएलए, 2002 और धन शोधन निवारण (न्यायपालिका द्वारा पुष्टि की गई कुर्क या फ्रीज की गई संपत्तियों पर कब्जा लेने) नियम, 2013 में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि उक्त बेदखली नोटिस को 45 दिन की अपील अवधि समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। जैसे ही कुर्की की पुष्टि हो जाती है, अधिकृत अधिकारी बेदखली नोटिस जारी करने के लिए पूर्णतः सक्षम हो जाता है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि पूरी प्रक्रिया निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओपीटीओ सर्किट इंडिया लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक और अन्य, आपराधिक अपील संख्या 102/2021 के मामले में पीएमएलए के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के मुद्दे पर विचार किया है और यह माना है कि उक्त प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और यदि कानून के अनुसार इसका पालन किया जाता है, तो कोई प्रक्रियात्मक खामी नहीं होगी।

96. हमने पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है जिन्होंने अभिलेख पर उपलब्ध तर्क पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया है।

97. हमने माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 01.06.2023 को पारित पुष्टिकरण आदेश और माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 05.12.2024 को पारित आदेश तथा पीएमएलए की धारा 50 के अंतर्गत दर्ज साक्षियों के बयानों का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

98. बेहतर समझ के लिए पीएमएलए के कुछ सुसंगत प्रावधानों का उल्लेख करना लाभकारी होगा। मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को पीएमएलए की धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

"3. धन-शोधन का अपराध।--जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से संबंधित किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में लिप्त होने का प्रयास करता है, जानबूझकर सहायता करता है, जानबूझकर उसमें भागीदार होता है या वास्तव में उसमें शामिल होता है, जिसमें अपराध की आय को छुपाना, अपने पास रखना, प्राप्त करना या उसका उपयोग करना और उसे बेदाग संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करना या दावा करना शामिल है, वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा।

स्पष्टीकरण

—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि -

(i) कोई व्यक्ति धन शोधन के अपराध का दोषी होगा यदि यह पाया जाता है कि उसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से संबंधित निम्नलिखित प्रक्रियाओं या गतिविधियों में से एक या अधिक में लिप्त होने का



प्रयास किया है या जानबूझकर सहायता की है या जानबूझकर भागीदार है या वास्तव में उसमें शामिल है,

अर्थात्:-----

(क) छिपाना; या

(ख) अधिकार; या

(ग) अधिग्रहण; या

(घ) उपयोग; या

(ई) बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना; या (च) बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना, किसी भी तरह से;

(ii) अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि एक निरंतर गतिविधि है तथा तब तक जारी रहती है जब तक कि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय का आनंद उसे छिपाकर या कब्जा करके या अधिग्रहण करके या उसका उपयोग करके या उसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करके या किसी भी तरह से बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करके ले रहा हो।"

99. धन शोधन में शामिल संपत्ति की कुर्की, न्यायनिर्णय और ज़ब्ती का प्रावधान पीएमएलए के अध्याय III के अंतर्गत धारा 5 में किया गया है, जो इस प्रकार है:

"5. धन शोधन में

शामिल संपत्ति की कुर्की।—(1) जहाँ निदेशक या उप निदेशक से कम रैंक के किसी अन्य अधिकारी को, जिसे निदेशक द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए अधिकृत किया गया हो, अपने पास मौजूद सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण हो (ऐसे विश्वास का कारण लिखित में दर्ज किया जाएगा) कि—
 (क) यदि कोई व्यक्ति अपराध से प्राप्त किसी धन पर कब्जा रखता है; और
 (ख) यदि अपराध से प्राप्त ऐसे धन को छुपाया, हस्तांतरित किया या किसी ऐसे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे इस अध्याय के अंतर्गत अपराध से प्राप्त धन की ज़ब्ती से संबंधित किसी कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो सकती है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, आदेश की तिथि से एक सौ अस्सी दिनों से अधिक की अवधि के लिए, निर्धारित तरीके से, ऐसी संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर सकता है। परंतु कि ऐसा कोई कुर्की आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि अनुसूचित अपराध के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 173 के तहत किसी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट नहीं भेजी गई हो, या उस अनुसूची में उल्लिखित अपराध की जांच करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध का संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष परिवाद दर्ज नहीं की गई हो, या किसी अन्य देश के संबंधित विधि के तहत इसी तरह की रिपोर्ट या परिवाद दर्ज नहीं की गई हो।



इसके अलावा, प्रथम परंतुक में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति की संपत्ति को इस धारा के अंतर्गत कुर्क किया जा सकता है, यदि निदेशक या उनके द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए अधिकृत उप निदेशक से कम रैंक के किसी अन्य अधिकारी को अपने पास मौजूद सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण हो (ऐसे विश्वास के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा) कि यदि धन शोधन में शामिल ऐसी संपत्ति को इस अध्याय के अंतर्गत तुरंत कुर्क नहीं किया जाता है, तो संपत्ति की कुर्की न होने से इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी कार्यवाही विफल हो सकती है। परन्तु यह भी कि एक सौ अस्सी दिनों की अवधि की संगणना करने के प्रयोजनों हेतु, उस अवधि को, जिसके दौरान इस धारा के तहत कार्यवाही पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई जाती है, बाहर रखा जाएगा तथा ऐसे स्थगन आदेश को समाप्त करने के आदेश की तारीख से तीस दिनों से अधिक की अवधि की गणना नहीं की जाएगी। (2) उप-धारा (1) के तहत कुर्की के तुरंत बाद, निदेशक या उप-निदेशक से कम रैंक का कोई अन्य अधिकारी, अपने पास मौजूद उप-धारा में निर्दिष्ट सामग्री सहित आदेश की एक प्रति, सीलबंद लिफाफे में, निर्धारित तरीके से निर्णय प्राधिकारी को भेजेगा और ऐसा निर्णय प्राधिकारी ऐसे आदेश और सामग्री को निर्धारित अवधि तक अपने पास रखेगा। (3) उप-धारा (1) के तहत जारी किया गया प्रत्येक कुर्की आदेश, उस उप-धारा में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद या धारा 8 की उप-धारा (3) के तहत जारी किए गए आदेश की तिथि को, जो भी पहले हो, प्रभावी नहीं रहेगा। (4) इस धारा की कोई भी बात उप-धारा (1) के तहत कुर्क की गई अचल संपत्ति के उपभोग में रुचि रखने वाले व्यक्ति को इस तरह के उपभोग से नहीं रोकेगी।

स्पष्टीकरण--

—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी भी अचल संपत्ति के संबंध में "इच्छुक व्यक्ति" में वे समस्त व्यक्ति शामिल हैं जो संपत्ति में किसी भी हित का दावा करने या दावा करने के हकदार हैं।

(5) निदेशक या कोई अन्य अधिकारी जो उप-धारा (1) के तहत किसी भी संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करता है, ऐसी कुर्की से तीस दिनों की अवधि के भीतर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष ऐसी कुर्की के तथ्यों को बताते हुए परिवाद दर्ज करेगा।"

100. पीएमएलए की धारा 5(1) और धारा 8(1) के तहत, एए को केवल कब्जे में मौजूद सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण बनाना आवश्यक है कि संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। ऐसा विश्वास प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित होना आवश्यक नहीं है, बल्कि परिस्थितिजन्य संकेतों से भी निकाला जा सकता है। ईडी द्वारा दायर ओ.सी. काफी विस्तृत है और इसमें प्रासंगिक सामग्रियां शामिल हैं जो विश्वास करने का कारण बनाने के लिए पर्याप्त प्रतीत होती हैं।

101. वर्तमान मामले में, वित्तीय लेन-देन, आय के वैध स्रोतों का अभाव और अनुसूचित अपराध से संबंध सहित घटनाओं की श्रृंखला, प्रथम दृष्टया यह सिद्ध करती है कि कुर्क की गई संपत्ति अपराध की आय है। पीएमएलए के तहत कुर्की का उद्देश्य एक निवारक उपाय है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्वेषण



और विचारण की कार्यवाही के दौरान संपत्ति का हस्तांतरण या निराकरण न हो। यह दोष सिद्ध करने का अंतिम निर्णय नहीं है, बल्कि धन शोधन में शामिल होने के संदेह वाली संपत्ति को संरक्षित करने का एक कदम है। यह सर्वविदित है कि पीएमएलए के अंतर्गत अपराध विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, जहां अक्सर संपत्ति के स्रोत को कई स्तरों के लेन-देन और अप्रत्यक्ष तरीकों से छिपाया जाता है। ऐसे मामलों में प्रत्यक्ष साक्ष्य शायद ही कभी उपलब्ध होते हैं, और अपराध से प्राप्त आय का निर्धारण अक्सर परिस्थितिजन्य साक्ष्य और वित्तीय लेन-देन के विश्लेषण पर निर्भर करता है।

102. पीएमएलए की धारा 24 सबूत के भार से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध की आय से संबंधित किसी भी कार्यवाही में, (क) धारा 3 के अंतर्गत धन शोधन के अपराध के आरोप में किसी व्यक्ति के मामले में, प्राधिकरण या न्यायालय, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए, यह मान लेगा कि अपराध की ऐसी आय धन शोधन में शामिल है; और (ख) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में प्राधिकरण या न्यायालय यह मान सकता है कि अपराध की ऐसी आय धन शोधन में शामिल है। एक बार जब संपत्ति को धन शोधन में संलिप्त पाया जाता है, तो यह साबित करने का भार आरोपी पर आ जाता है कि संपत्ति अपराध की आय नहीं है। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं ने इस भार को संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं किया है।

103. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता सूर्यकांत तिवारी और उनके सहयोगियों के परिसर में तलाशी और जब्ती की गई, जिसमें हस्तलिखित डायरियों, कागजों और नकद लेन-देन के डिजिटल साक्ष्यों के रूप में विभिन्न सबूत एकत्र किए गए। ये साक्ष्य सूर्यकांत तिवारी और उनके सहयोगियों द्वारा संचालित और समन्वित एक गिरोह से संबंधित थे। सूर्यकांत तिवारी, दिव्या तिवारी, कैलाश तिवारी और रजनीकांत तिवारी सभी आपस में रिश्तेदार हैं। इसी प्रकार, सौरभ मोदी सौम्या चौरसिया के पति हैं, शांति देवी चौरसिया सौम्या चौरसिया की माता हैं और अनुराग चौरसिया सौम्या चौरसिया के चचेरे भाई हैं। अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं और पूरा अपराध संगठित अपराध का उदाहरण है। समीर विश्नोई छत्तीसगढ़ भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय के तत्कालीन निदेशक थे, जिन्होंने 15.07.2020 को एक पत्र जारी किया था, जिसके अनुसार कोयला परिवहन के लिए डिलीवरी ऑर्डर को संबंधित खनन कार्यालय से मैन्युअल रूप से सत्यापित करना अनिवार्य था। उक्त पत्र और डी.ओ. को मैन्युअल सत्यापन के निर्देश की आड़ में, सूर्यकांत तिवारी ने अपने सहयोगियों के माध्यम से कोयला परिवहन के बदले 25 रुपये प्रति टन की उगाही शुरू कर दी। सौम्या चौरसिया और अन्य सरकारी अधिकारियों ने उक्त अपराध में सहायता की। पीओसी से सभी अपीलकर्ताओं को लाभ हुआ और उन्होंने संपत्तियां अर्जित कीं। जब आईटीडी ने छापा मारा, तो अपीलकर्ता सतर्क हो गए और फर्जी लेन-देन के माध्यम से अपनी संपत्तियों का निपटान शुरू कर दिया। प्रतिवादी/ईडी ने माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष ओसी दाखिल किया और माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ताओं को नोटिस जारी करने के बाद, और कारण बताओ नोटिसों के उत्तरों पर विचार करने के बाद, दिनांक 01.06.2023 को पुष्टिकरण आदेश पारित किया, जिसमें ईडी द्वारा दिनांक 09.12.2022 के आदेश द्वारा पारित पीएओ की पुष्टि की गई।



104. यद्यपि पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा काफी विस्तार से तर्क दी गई, फिर भी, सार रूप में, माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दिया गया तर्क को इस न्यायालय के समक्ष दोहराया गया है। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का सार यह है कि प्रथम, अपीलीय न्यायाधिकरण ने तथ्यात्मक और कानूनी मुद्दों पर विचार करते समय विवेक का प्रयोग नहीं किया है, आधारभूत अपराध का अभाव था, कथित साक्ष्य और अपीलकर्ताओं के बीच संबंध स्थापित नहीं किया गया है क्योंकि अपीलकर्ता कुर्क की जाने वाली संपत्तियों के वास्तविक क्रेता हैं, कारण बताओ नोटिस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं था, अपीलकर्ता सूर्यकांत तिवारी के गिरोह द्वारा की गई जबरन वसूली के शिकार हैं।

105. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलीय न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण दोनों ने विवेक का प्रयोग नहीं किया है और प्रत्येक अपीलकर्ता के मामले पर व्यक्तिगत रूप से विचार किया जाना चाहिए था। जब सभी अपीलकर्ताओं पर एक ही अपराध का आरोप है, तो उनके मामलों को अलग-अलग करने का कोई कारण नहीं था। यह प्रथम दृष्टया सिद्ध हो चुका है कि अपीलकर्ताओं द्वारा अर्जित संपत्तियां सिंडिकेट के माध्यम से अर्जित संपत्ति से प्राप्त की गई थीं। इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तर्क माननीय सहायक न्यायालय और माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष भी प्रस्तुत की गई थीं और उन तर्क पर सहायक न्यायालय और माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा विचार-विमर्श किया गया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आदेश बिना सोचे-समझे पारित किए गए थे। विद्वान ए. ए. द्वारा पारित आदेश काफी विस्तृत है तथा इसी तरह अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश भी है। अपराध साबित करने वाली सामग्रियों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है और उसके बाद ही, यहां चुनौती दिए गए आदेश पारित किए गए हैं। एक न्याय निर्णायक (एए) परिवादी द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर न्याय निर्णय की कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए अपनी राय बनाता है और इसकी सूचना अपीलकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस के माध्यम से दी जाती है, जिसमें ऐसी राय बनाने के कारण भी बताए जाते हैं।

106. धन शोधन के अपराध में मूल रूप से तीन चीजें शामिल होती हैं, अर्थात् प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। अवैध धन (जिसे अक्सर "काला धन" कहा जाता है) को वित्तीय प्रणाली में शामिल करने का प्रारंभिक चरण प्लेसमेंट कहलाता है। इसका उद्देश्य बिना संदेह पैदा किए धन को उसके स्रोत से दूर ले जाना है। सबसे आम तकनीकों में बैंक खातों में छोटी रकम जमा करना (स्मॉर्फिंग), नकदी का उपयोग करके गहने, कलाकृति या अचल संपत्ति जैसी मूल्यवान संपत्तियां खरीदना और अवैध आय को वैध व्यावसायिक आय के साथ मिलाना (जैसे, नकदी-प्रधान व्यवसाय) शामिल हैं। दूसरा चरण, अर्थात् लेन-देन की परतें बनाना, धन के स्रोत को छिपाने के लिए वित्तीय लेन-देन की जटिल परतों को शामिल करता है। इसका उद्देश्य धन के लेन-देन के मार्ग का पता लगाना कठिन बनाना है, जैसे कि कई खातों के बीच (अक्सर सीमाओं के पार) धन हस्तांतरण करना, शेल कंपनियों और ऑफशोर खातों का उपयोग करना, वित्तीय साधनों की खरीद और विक्रय करना। तीसरा चरण एकीकरण है और इस अंतिम चरण में, काले धन को वैध अर्थव्यवस्था में पुनः शामिल किया जाता है, जो वैध और स्वच्छ आय के रूप में दिखाई देता है। इसमें कानूनी



व्यवसायों में निवेश करना, उच्च मूल्य की वस्तुएं या संपत्ति खरीदना और जाली चालान और व्यावसायिक लेनदेन बनाना शामिल है। ये चरण अक्सर आपस में जुड़े होते हैं और धन शोधन योजना की जटिलता के आधार पर इनमें कुछ अतिव्याप्त भी हो सकता है।

107. विद्वान ए. ए. के कोरम के विवाद्यक के संबंध में, उक्त विवाद्यक अब एकीकृत नहीं है। मद्रास उच्च न्यायालय ने जी. गोपालकृष्णन बनाम उप निदेशक डब्ल्यू.पी.(एमडी) संख्या 11454/2018 के मामले में स्पष्ट रूप से कहा है कि पीएमएलए के तहत विवादों का निपटारा करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की एकल सदस्यीय पीठ भी उपयुक्त है। वास्तव में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जे. शेखर (उपरोक्त) मामले में यह निर्णय दिया था कि पीएमएलए के तहत तीन से कम सदस्यीय न्यायनिर्णायक प्राधिकरण भी स्वीकार्य है। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसी एकल सदस्यीय पीठों में न्यायिक सदस्यों का होना अनिवार्य नहीं है और न्यायाधिकरण की एकल सदस्यीय पीठों में प्रशासनिक सदस्यों का होना भी कानून का पर्याप्त अनुपालन माना जाएगा।

108. यह आवश्यक नहीं है कि आरोपी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अपराध में शामिल हो और उसे अंजाम दे, बल्कि यदि उस पर पीओसी की हेराफेरी और एकीकरण का आरोप है, तो भी पीएमएलए के तहत अपराध बनता है

109. माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने प्रत्येक आरोपी द्वारा और उसके विरुद्ध लगाए गए प्रत्येक आरोप का विस्तृत विश्लेषण किया है और उसके परिणामस्वरूप दिनांक 05.12.2024 को अपना आदेश पारित किया है। माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने संबंधित अपीलकर्ताओं की प्रत्येक संपत्ति के बारे में विस्तार से चर्चा की है और उनके द्वारा लगाए गए सभी मनगढ़ंत आरोपों का खंडन किया है। इसके बाद ही, विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ताओं की अपीलें यह कहते हुए खारिज कर दीं कि उन्हें विद्वान न्यायाधिकरण के विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं मिलता है। न्यायाधिकरण ने परिवाद में प्रस्तुत सामग्री के आधार पर न्यायाधिकरण कार्यवाही आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और इसकी सूचना अपीलकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस के माध्यम से दी गई, जिसमें इस निर्णय के कारण भी बताए गए थे। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि केवल राय बनाने का मतलब यह नहीं है कि मामला एए द्वारा निर्धारित किया जाता है। एए ने दोनों पक्षों को सुनने और मौखिक एवं लिखित दोनों तर्क पर विचार करने के बाद ही पीएमएलए की धारा 8(3) के तहत एक स्पष्ट आदेश पारित करके प्रकरण का निर्णय किया गया। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए है कि विद्वान एए द्वारा पीएमएलए की धारा 8 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने मात्र से यह तात्पर्य होगा कि एए ने विश्वास करने के लिए कारण दर्ज किए थे और निदेशालय द्वारा प्रस्तुत ओ.सी. पर विचार किया था। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ब्रिजो रियलिटी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम आदित्य बिरला फाइनेंस {MANU/MH/0845/2014} मामले में उपरोक्त कथन की पुष्टि की है। उक्त निर्णय का सुसंगत अवलोकन इस प्रकार है:



"7. यह तर्क कि कारण बताओ नोटिस में यह उल्लेख नहीं है कि निर्णय प्राधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अपराध किया है या उसके पास अपराध की आय है, निराधार है। नोटिस ने व्यावहारिक रूप से शिकायत को पूर्णतः अपना लिया है। नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि निर्णय प्राधिकारी के पास शिकायत में मौजूद सामग्री के आधार पर यह मानने का कारण था कि कुर्की आदेश के लिए आवश्यक तत्व मौजूद थे। अतः, इससे यह स्पष्ट होता है कि निर्णयकर्ता प्राधिकारी ने कारण बताओ नोटिस में कहा था कि उनके पास यह मानने का कारण था कि नोटिस जारी करने के लिए आवश्यक कारक मौजूद थे। ये कारण, बदले में, परिवाद से संबंधित नोटिस में शामिल किए गए हैं। यह स्पष्ट है कि नोटिस परिवाद में पाए जाने वाले कारणों और विवाद में स्पष्ट रूप से संदर्भित दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है। परिवाद स्वयं स्पष्ट रूप से विश्वास करने का कारण बताती है। यदि संलग्न दस्तावेजों में दी गई जानकारी के आधार पर निर्णय प्राधिकारी ने यह राय बनाई होती कि धारा 8 में उल्लिखित कारकों के अस्तित्व पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है, तो वह कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करता है। उसने नोटिस जारी किया, यह दर्शाता है कि उसके पास उक्त कारकों के अस्तित्व पर विश्वास करने का कारण था। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह पर्याप्त अनुपालन है।"

110. आधार अपराध के अभाव के संबंध में लगाए गए आरोप को खारिज किया जाता है क्योंकि इसी तरह का तर्क सौम्या चौरासिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय के मामले में सीआर.ए. संख्या 2840/2023 में दिनांक 14.12.2023 को उठाया गया था। विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण ने कंडिका 26 से 30 का हवाला दिया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे आईपीसी की धारा 384 के तहत अपराध को समाप्त करने का मामला नहीं माना है। कर्नाटक की विशेष न्यायालय ने राज्य पुलिस से आईपीसी की धारा 384 के तहत अपराध को छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था, जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। यह एफआईआर न केवल एफआईआर में उल्लिखित अपराध के लिए थी, बल्कि इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और अन्य अनुसूचित अपराधों को भी शामिल किया गया था। अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा कंडिका 30 और 31 में की गई टिप्पणियां तर्कसंगत हैं और हम उनसे सहमत हैं। 111. अपीलकर्ता और कथित पीओसी के बीच संबंध भी सुस्थापित है। अपीलकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने संबंधित संपत्ति के अधिग्रहण के लिए स्रोत को विधिवत सूचित कर दिया था, इसलिए एए और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण हैं। इस मामले में, प्रथम दृष्टया अपराध होने की जानकारी मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन अपराध ईसीआईआर और एफआईआर के पंजीकरण से बहुत पहले हुआ था। गिरोह एक-दो दिन में धन की उगाही नहीं कर सकता था, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया थी और यह जांच का विषय है कि उक्त उगाही किस दिनांक से शुरू हुई थी। इसके अलावा, यदि अपीलकर्ताओं द्वारा अपराध किए जाने की दिनांक से पहले कोई संपत्ति अर्जित की गई थी, तो उन संपत्तियों को भी कुर्की का विषय बनाया जा सकता है यदि आय उपलब्ध नहीं है या गायब हो गई है। माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने श्री सदानंद नायक बनाम उप



निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, {एफपीए-पीएमएलए-5612/बीबीएस/2023 दिनांक 14.10.2024 को निर्णय लिया गया} मामले में पारित अपने ही आदेश का उल्लेख किया है। पुनरावर्तन से बचने के लिए, सुसंगत कंडिका को उद्धृत करना लाभकारी होगा, जो इस प्रकार हैं:

22. हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यदि "अपराध से प्राप्त आय" की परिभाषा को दो भागों में बाँटकर या केवल दो भागों में विभाजित करके व्याख्यायित किया जाए, तो अभियुक्त के लिए अनुसूचित अपराध के घटित होने के तुरंत बाद आय को गबन करना या गायब कर देना आसान हो जाएगा और उस स्थिति में विचारण की समाप्ति तक पीड़ित के हितों की रक्षा के लिए उसकी कोई भी संपत्ति कुर्क नहीं की जा सकेगी। इससे न केवल 2002 के अधिनियम का उद्देश्य विफल होगा, बल्कि अभियुक्त को धन शोधन के अपराध को बढ़ावा देने में भी सहायता मिलेगी। विजय मदनलाल चौधरी (उपरोक्त) मामले में फैसला तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया था, जबकि पवना दिबुर (उपरोक्त) मामले में निर्णय दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया था। इस न्यायाधिकरण ने इस विवादाक पर एफपीए-पीएमएलए-2909/सीएचडी/2019 मेसर्स बेस्को इंटरनेशनल एफजेडई बनाम उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, चंडीगढ़ के मामले में दिनांक 31.07.2024 को विचार किया था। उक्त निर्णय का सुसंगत कंडिका नीचे उद्धृत किया गया है: ऐसा नहीं है कि केवल अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त संपत्तियों को ही कुर्क किया जा सकता है, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त संपत्ति की अनुपलब्धता की स्थिति में, अर्थात् जब वह संपत्ति गायब हो जाती है या कहीं और ले जाई जाती है, तो समतुल्य मूल्य की किसी भी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अपराध की आय में केवल अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त संपत्ति ही शामिल नहीं होगी, बल्कि समतुल्य मूल्य की कोई अन्य संपत्ति भी शामिल होगी। "या" शब्द को ऐसी किसी भी संपत्ति के मूल्य से पहले रखा गया है तथा इसका बहुत महत्व है। समान मूल्य की कोई भी संपत्ति तब कुर्क की जा सकती है जब अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त आय गायब हो गई हो या उसकी हेराफेरी की गई हो। यहाँ, महत्व अपराध करने से पहले अर्जित संपत्ति के लिए होगा। इसका कारण यह है कि अपराध किए जाने के बाद अर्जित कोई भी संपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय मानी जाएगी और इसलिए, यह अपराध की आय की परिभाषा के पहले भाग के अंतर्गत आएगी। दूसरे भाग में, जो "ऐसी किसी भी संपत्ति के मूल्य" को संदर्भित करता है, वह कोई भी अन्य संपत्ति होगी जो अपराध किए जाने से पहले अर्जित की गई थी और इसे तभी जब्त किया जाएगा जब आपराधिक गतिविधि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त आय उपलब्ध न हो। यह संपत्ति धन के गबन या आरोपी द्वारा गायब किए जाने के कारण हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में समतुल्य मूल्य की संपत्ति कुर्क की जा सकती है। "ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य" शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से यह है कि यह अपराध होने के बाद या उससे पहले खरीदी गई संपत्ति हो सकती है, बल्कि यह दोनों ही स्थितियों में लागू होता है। इस प्रकार, हम अपीलकर्ता के अधिवक्ता से सहमत नहीं हैं, जिन्होंने अपराध किए जाने से पहले अर्जित संपत्ति के संबंध में कुर्की पर सवाल उठाया है। हम इस बात से आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि संपत्तियों का अपराध से प्राप्त आय से कोई



संबंध है, लेकिन दी गई परिस्थितियों और परिदृश्य में भी यदि संपत्ति अपराध करने से पहले अधिग्रहित की गई थी, तो भी कुछ परिस्थितियों में, इसे "ऐसी किसी भी संपत्ति के मूल्य" के लिए कुर्क किया जा सकता है।"

23. इस स्तर पर यह दोहराया जाता है कि एक्सिस बैंक (उपरोक्त) और प्रकाश इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा "अपराध से प्राप्त आय" की परिभाषा के लिए अपनाई गई व्याख्या के अलावा कोई अन्य व्याख्या, 2002 के अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगी। यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि अपराध होने से पहले अर्जित संपत्ति "अपराध से प्राप्त आय" की परिभाषा में नहीं आती है। उस स्थिति में, आरोपी का काम बहुत आसान हो जाएगा: पहले अनुसूचित अपराध को अंजाम देना और आपराधिक गतिविधियों से संपत्ति प्राप्त करने के बाद, उसे तुरंत हड़प लेना या गायब कर देना ताकि वह कुर्की के लिए उपलब्ध न रहे। अन्यथा, उपर्युक्त स्थिति "अपराध की आय" की परिभाषा के केवल पहले भाग को ही संतुष्ट करेगी, दूसरे भाग को छोड़ देगी। इस प्रकार हम अपीलार्थी द्वारा उठाए गए तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं ताकि "अपराध की आय" की परिभाषा के मध्य भाग को अनावश्यक बनाया जा सके।"

112. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों में से एक यह है कि ईडी का पूरा मामला अपुष्ट डायरी प्रविष्टियों पर आधारित है, जिनका कानून में कोई महत्व नहीं है। इस न्यायालय को मूल रूप से यह देखना है कि पीएओ पारित करने से पहले पीएमएलए के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है या नहीं। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि विद्वान एए और विद्वान ट्रिब्यूनल दोनों ने पुष्टिकरण आदेश और विवादित आदेश पारित करने में न्यायसंगत निर्णय लिया है। यह न्यायालय अपीलकर्ताओं द्वारा प्राप्त और निवेश किए गए प्रत्येक एक-एक पैसे का हिसाब-किताब नहीं कर सकता है, बल्कि उसे यह देखना होगा कि क्या अपीलकर्ता लेन-देन के संबंध में कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण दे सकते हैं और उक्त लेन-देन के लिए वित्त कैसे उपलब्ध कराया गया था।

113. इस न्यायालय द्वारा यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या अपीलकर्ताओं - इंदरमणि आदि ने जबरन वसूली के संबंध में कोई परिवाद दर्ज कराई है, इस पर पूर्ण मौन है और यह स्वीकार किया गया है कि ऐसी कोई परिवाद किसी भी प्राधिकारी को नहीं की गई है और न ही किसी सक्षम न्यायालय में कोई विधिक कार्यवाही की गई है।

114. सूर्यकांत तिवारी इस मामले में मुख्य आरोपी हैं और अनुसूचित अपराध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं तथा अन्य सभी आरोपियों ने सबूतों को गढ़ने या एकीकृत करने में भाग लिया है। सूचना विभाग द्वारा सूर्यकांत तिवारी के रिश्तेदार रजनीकांत तिवारी के आवास पर छापेमारी के दौरान एक डायरी जब्त की गई है। समस्त अभियुक्तों ने अपराध करने में अलग-अलग भूमिका निभाई है। डायरी में धन के प्रवाह के संबंध में प्रविष्टियां हैं जो अवैध रूप से रुपये के संग्रह से उत्पन्न हुई थीं। सुरायकांत तिवारी के निर्देश पर कोयला व्यापारियों से 25 प्रति टन जबरन वसूली का पैसा। राज्य सरकार द्वारा डीओ जारी किया जाता था, जिसके बाद ही खनन किए



गए कोयले को राज्य के भीतर या राज्य के बाहर ले जाया जा सकता था। 2020 से पहले, डीओ जारी करने की प्रणाली ऑनलाइन थी। परंतु कोविड-19 का लाभ उठाते हुए, खनन विभाग के प्रमुख रहे समीर विश्नोई के निर्देश पर ऑनलाइन प्रणाली को ऑफलाइन प्रणाली में बदल दिया गया था। फिर जब रन वसूली का पूरा खेल शुरू हो गया। कोयला व्यापारी जो खनन प्राधिकरण (डीओ) प्राप्त करना चाहता था, उसे सूर्यकांत तिवारी के लोगों को जब रन वसूली की रकम देनी पड़ती थी, और उसके बाद ही खनन अधिकारी को हरी झंडी मिलती थी और डीओ जारी किया जाता था। ये तथ्य पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों में सामने आए हैं। पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयान सीआरपीसी की धारा 161 से इस मायने में भिन्न है कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयान को न्यायालय में दर्ज बयान के समान ही मान्यता दी गई है। यदि कोई साक्षी पीएमएलए की धारा 50 के तहत सच नहीं बोलता है, तो झूठे बयान देने वाले व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराएं झूठी गवाही के लिए लगाई जा सकती हैं।

115. डॉ. सौरभ कुमार पांडे के अनुसार, ऐसे साक्षी हैं जिन्होंने पीएमएलए की धारा 50 के तहत अपीलकर्ता सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ कथन किया है कि जब तक 25 रुपये प्रति टन की राशि नकद में जमा नहीं की गई, तब तक डीओ जारी नहीं किया गया और इस प्रकार, उन्हें जब रन वसूली की राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अपीलकर्ता समीर विश्नोई को ऑनलाइन डीओ जारी करने की प्रक्रिया को ऑफलाइन डीओ में बदलने के बदले लगभग 10.42 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली, और उस पैसे का इस्तेमाल अपीलकर्ता समीर विश्नोई की पत्नी के नाम पर कुछ कंपनियों को खरीदने में किया गया था। जब ईडी ने उन कंपनियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत की जांच की, तो अपीलकर्ता आय के वास्तविक स्रोत का खुलासा करने में विफल रहा, और यदि कोई गलत जानकारी दी जाती है, तभी मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बनता है। अपीलकर्ता यह बताने में विफल रहा कि उन्हें पैसा कहाँ से मिला और समीर विश्नोई से 22 लाख रुपये की नकद राशि बरामद की गई। वह यह समझाने में भी विफल रहा कि यह पैसा कहाँ से आया। इसलिए, यह अनुमान लगाया गया कि यह रिश्वत की राशि थी जो उसे डीओ जारी करने की ऑनलाइन प्रणाली को ऑफलाइन में बदलने के बदले में मिली थी। श्रीमती प्रीति गोदारा, समीर विश्नोई की पत्नी, श्री प्रीति तिरुमा एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड और तेजस्वी सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड नामक दो कंपनियों का संचालन करती हैं और प्रबंध निदेशक के पद पर हैं। इसी प्रकार, समीर विश्नोई और प्रीति गोदारा के परिसरों से जब्त की गई चल संपत्तियों पर उनके परिवार के सदस्यों ने दावा किया, लेकिन इन संपत्तियों के स्रोत का खुलासा नहीं किया गया था। अपीलकर्ता न्यायाधिकरण ने अपने आदेश के अनुच्छेद 36(2)(i) और (ii) में इस तथ्य का संज्ञान लिया है।

116. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन कि आक्षेपित आदेश पारित होने के समय कोई अनुसूचित अपराध अस्तित्व में नहीं था और कार्यवाही क्षेत्राधिकार से बाहर थी, को अस्वीकार किया जाना



चाहिए क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सह-आरोपी सौम्या चौरसिया द्वारा दायर जमानत याचिका के मामले में दिनांक 14.12.2023 के निर्णय के माध्यम से निम्नानुसार टिप्पणी की:

“26. न्यायालय अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत इस तर्क में भी कोई सार नहीं पाता है कि अनुसूचित अपराध, अर्थात् धारा 384 और 120 बी, बेंगलुरु के कडुगोडी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 129/2022 के संबंध में आरोपी सूर्यकांत तिवारी के विरुद्ध प्रस्तुत आरोपपत्र से हटा दिए गए थे, और बेंगलुरु के एसीजेएम ने दिनांक 16.06.2023 के आदेश द्वारा केवल धारा 204 और 353 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया था, जो पीएमएलए अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराध नहीं हैं, इसलिए आक्षेपित आदेश पारित होने के समय कोई अनुसूचित अपराध शेष नहीं था और कार्यवाही क्षेत्राधिकार से बाहर थी/है।”

27. इस तथ्य के अतिरिक्त कि न तो दिनांक 08.06.2023 की आरोपपत्र और न ही दिनांक 16.06.2023 का संज्ञान आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान अभिलेख पर रखा गया था, क्योंकि वे उस समय अस्तित्व में ही नहीं थे, उक्त एफआईआर संख्या 129/2022 के संबंध में सूर्यकांत तिवारी के विरुद्ध दायर आरोपपत्र में अन्वेषण अधिकारी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि "चूंकि आरोपी (सूर्यकांत तिवारी) छत्तीसगढ़ राज्य में अपने गुणों के साथ आईपीसी की धारा 384 के तहत अपराध करते हुए पाया गया है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ पुलिस को उचित माध्यम से रिपोर्ट भेजी जाएगी।" इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 384 के तहत अपराध को उक्त प्राथमिकी के संबंध में आरोप पत्र जमा करते समय आई. ओ. द्वारा हटा दिया गया था।

117. हमने ए. ए. के समक्ष ओ. सी. के साथ संलग्न दस्तावेज को भी देखा है जिसमें पी. एम. एल. ए. की धारा 50 के तहत दर्ज साक्षियों के बयान भी संलग्न किए गए हैं। ओ. सी. के अवलोकन से, जो एक विस्तृत विवरण भी है जिसमें समस्त आपत्तिजनक साक्ष्य संलग्न किए गए हैं, यह सुझाव देता है कि अपीलार्थियों के विरुद्ध उनकी संपत्तियों की कुर्की हेतु मामला बनाया गया है। अपीलकर्ता यह समझाने में विफल रहे हैं कि अन्य चल संपत्तियों के साथ-साथ वे संपत्तियां उनके नाम पर कैसे आईं।

118. पीएमएलए की धारा 50 इस प्रकार है:

“50. समन जारी करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने और साक्ष्य देने आदि के संबंध में अधिकारियों की शक्तियाँ

– (1) धारा 12 के प्रयोजनों के लिए, निदेशक को वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय को निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद के विचारण करते समय प्राप्त होती हैं, अर्थात्:

xxxxxx

xxxxxx



- (3) इस प्रकार बुलाए गए सभी व्यक्ति स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे, जैसा कि अधिकारी निर्देश दे, और वे किसी भी विषय पर सत्य बताने या बयान देने के लिए बाध्य होंगे, जिसके संबंध में उनसे पूछताछ की जाए, और ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे जो आवश्यक हों।
- (4) उपधारा (2) और (3) के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता, 1860 (45 ऑफ 1860) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा।

119. इसी प्रकार, ईडी की जांच में, जब डायरी प्रविष्टियों की पुष्टि संपत्तियों की खरीद/विक्रय के समय से की गई, तो यह स्पष्ट है कि उक्त लेन-देन में साक्ष्य के प्रमाण (पीओसी) का उपयोग किया गया था।

120. सर्वोच्च न्यायालय ने रोहित टंडन बनाम प्रवर्तन निदेशालय {(2018) 11 एससीसी 46} में निम्नलिखित टिप्पणी की:

“19. अधिनियम 2002 की धारा 45 का दायरा अब कोई नया विवाद्यक नहीं है। गौतम कुंदू बनाम प्रवर्तन निदेशालय {(2015) 16 एससीसी 1} के मामले में इस न्यायालय के हालिया निर्णय में, इस न्यायालय को कंडिका 28-30 में इसकी जांच करने का अवसर मिला है। इस निर्णय के कंडिका 28 से 30 में विज्ञापन देना उपयोगी होगा जो इस प्रकार है: (एस. सी. सी. पीपी. 14-15)

“28. जमानत याचिका पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने से पहले, यह विचार करना आवश्यक है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत याचिका पर विचार करते समय पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधान उच्च न्यायालय पर बाध्यकारी हैं या नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीएमएलए धन शोधन के अपराध से संबंधित है और संसद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रति देश की प्रतिबद्धता के अनुसार इस कानून को अधिनियमित किया है। पीएमएलए धन शोधन से निपटने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित एक विशेष कानून है।” दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान किसी विशेष कानून या स्थानीय कानून को प्रभावित नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में, किसी भी विरोधाभास की स्थिति में किसी विशेष कानून के प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता के सामान्य प्रावधानों पर हावी होंगे।

29. दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम (पी. एम. एल. ए.) की धारा 45 एक गैर-बाधा खंड से शुरू होती है, जो यह दर्शाता है कि किसी भी विरोधाभास की स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 45 में दिए गए प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता के सामान्य प्रावधानों पर अधिभावी होंगे। पीएमएलए की धारा 45, पीएमएलए की अनुसूची के भाग ए के अंतर्गत तीन वर्ष से अधिक कारावास की सजा वाले अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को जमानत देने के लिए निम्नलिखित दो शर्तें लगाती है:

(i) अभियोजक को जमानत आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए; और

(ii) यह कि, न्यायालय को यह संतुष्ट होना चाहिए कि यह मानने के लिए पर्याप्त आधार है कि अभियुक्त व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।



30. पीएमएलए की धारा 45 के अंतर्गत निर्दिष्ट शर्तें अनिवार्य हैं और इनका पालन करना आवश्यक है, जिसे पीएमएलए की धारा 65 और धारा 71 के प्रावधानों द्वारा और भी सुदृढ़ किया गया है। धारा 65 में यह कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत न हों, वहीं तक लागू होंगे और धारा 71 में यह प्रावधान है कि पीएमएलए के प्रावधान किसी अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद सर्वोपरि प्रभाव रखेंगे। पीएमएलए का प्रभाव सर्वोपरि है और सीआरपीसी के प्रावधान तभी लागू होंगे जब वे इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न हों। इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत दायर जमानत याचिका में भी पीएमएलए की धारा 45 में उल्लिखित शर्तों का पालन करना होगा। इसके साथ ही धारा 24 के प्रावधान यह भी कहते हैं कि जब तक इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए, प्राधिकरण या न्यायालय यह अवधारणा करता है कि धन शोधन में अपराध की आय शामिल है और यह साबित करने का भार कि अपराध की आय शामिल नहीं है, अपीलकर्ता पर है।"

20. कंडिका 34 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित दोहराया: 34. ".....हमने पाया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 45, दंड प्रक्रिया संहिता के सामान्य प्रावधानों पर परस्पर विरोधी स्थिति में अधिभावी होगी। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पीएमएलए की धारा 45 जमानत देने के लिए दो शर्तें निर्धारित करती है, जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट हैं। हमने उक्त अधिनियम की धारा 45 के उस प्रावधान को ध्यान में रखा है जो यह दर्शाता है कि विधायिका ने विशेष न्यायालय द्वारा जमानत देने के लिए एक अपवाद निर्धारित किया है, जब कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु का हो, महिला हो, या बीमार या दुर्बल है। अतः, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीएमएलए की धारा 45 ए के अंतर्गत निर्धारित शर्तें उच्च न्यायालय पर बाध्यकारी होंगी, क्योंकि विशेष विधि के प्रावधानों का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के प्रावधानों पर अधिभावी प्रभाव है, और ये प्रावधान पीएमएलए की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत देने के लिए लागू होते हैं, भले ही जमानत आवेदन पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अंतर्गत विचार किया जा रहा हो।" उपरोक्त निर्णय में सुब्रता चट्टोराज बनाम भारत संघ {(2014) 8 एससीसी 768}, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी बनाम सीबीआई {(2013) 7 एससीसी 439} और भारत संघ बनाम हसन अली खान {(2011) 10 एससीसी 235} के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया गया है।

21. इस न्यायालय का सर्वसम्मत मत है कि गहन षड्यंत्रों से जुड़े और सार्वजनिक धन की भारी हानि वाले आर्थिक अपराधों को गंभीरता से देखा जाना चाहिए और इन्हें देश की अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से प्रभावित करने वाले गंभीर अपराध माना जाना चाहिए, जिससे देश के वित्तीय स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। इसके अलावा, जब अपराध की आय को बेदाग धन के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है और यह भी कि आरोप अंततः साबित नहीं हो सकते हैं, लेकिन लगाए जाने के बाद, यह साबित करने का भार कि धन अपराध की आय नहीं था और इसलिए दागी नहीं था, अधिनियम 2002 की धारा 24 के तहत आरोपी व्यक्तियों पर आ जाता है।"



121. प्रवर्तन प्राधिकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध करे कि विचाराधीन संपत्ति अपराध की आय है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, कार्यप्रणाली में अक्सर जटिल और अस्पष्ट वित्तीय लेनदेन शामिल होते हैं, जिससे प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना स्वाभाविक रूप से कठिन हो जाता है। प्रस्तुत सामग्री के आधार पर, जिसमें वित्तीय विश्लेषण, संपत्ति अधिग्रहण की समय-सीमा और सत्यापन योग्य वैध आय का अभाव शामिल है, यह न्यायालय संतुष्ट है कि संपत्ति और साक्ष्य के बीच प्रथम दृष्ट्या संबंध मौजूद है। अतः पीएओ पीएमएलए के तहत वैधानिक योजना के अनुरूप है और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। यह मानने का उचित आधार है, जिसे विधिवत दर्ज किया गया है और ठोस साक्ष्यों द्वारा समर्थित है, कि कुर्क की गई संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं और इसके अलावा, अपीलकर्ता पीएमएलए की धारा 24 के तहत वैधानिक अनुमान का खंडन करने में विफल रहे हैं। हमें इन अपीलों में कोई भी विधिगत प्रश्न नहीं मिलता जिसका उत्तर दिया जाना आवश्यक हो।

122. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम विद्वान एए और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निष्कर्षों और तर्कों से पूर्णतः सहमत हैं और अतः, ये अपीलें योग्यताहीन होने के कारण खारिज की जाती हैं। हालाँकि, अपीलकर्ताओं को सलाह दी जाए तो पीएमएलए की धारा 8(8) का सहारा लेने की स्वतंत्रता है।

सही/-

(रमेश सिन्हा)

मुख्य न्यायाधीश

सही/-

(बिभू दत्त गुरु)

न्यायाधीश

हेड नोट :

मनी लॉन्ड्रिंग के प्रकरण में, चूंकि कार्यप्रणाली में अक्सर जटिल और अपारदर्शी वित्तीय लेनदेन शामिल होते हैं, जिससे प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना स्वाभाविक रूप से कठिन हो जाता है, इसलिए सत्यापन योग्य वैध आय की अनुपस्थिति न्यायालय को यह मानने के लिए प्रेरित कर सकती है कि कुर्क की जाने वाली संपत्ति और अपराध की आय के बीच एक संबंध मौजूद है।



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

